

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 2021

तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम मड़वा तहसील जांजगीर में जमीन की रजिस्ट्री

1. (*क्र. 2682) श्री नारायण चंदेल : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में महिन्द्रा पावर लि. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम मड़वा तहसील जांजगीर हेतु जमीन की रजिस्ट्री कब व कितनी राशि की हुई? (ख) प्रश्नांक “क” के संदर्भ में कब कितनी मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस के भुगतान में कितनी छूट प्रदान की गयी? (ग) किसी भी कंपनी का पंजीयन फीस में छूट देने का प्रावधान है? (घ) इस छूट के संबंध में कब-कब व क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई है व इस पर क्या कार्यवाही की गई है? दोषी कौन है व दोषी पर क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अंतर्गत जांजगीर चांपा जिले में महिन्द्रा पावर लि. औद्योगिक क्षेत्र ग्राम मड़वा तहसील जांजगीर के अंतर्गत उप पंजीयक कार्यालय जांजगीर में महिन्द्रा पावर प्रा.लि. के पक्ष में दिनांक 08-06-2017 को रजिस्ट्री हुई. जिसमें संपत्ति का बाजार मूल्य रु. 14,04,00,000/- है. (ख) प्रश्नांक “क” के संदर्भ में संपत्ति का बाजार मूल्य 14,04,00,000/- रु. पर 87,75,000/- रु. का मुद्रांक शुल्क एवं 11,23,200/- रु. का पंजीयन फीस छूट प्रदान किया गया है. (ग) राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत पंजीयन फीस में छूट देने का प्रावधान है. (घ) छूट के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है. अतः जानकारी निरंक है.

जिला राजनांदगांव में मध्याह्न भोजन योजना में सामग्री क्रय हेतु आवंटित राशि

2. (*क्र. 2728) श्रीमती छन्नी चन्दू साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 तक की अवधि में मध्याह्न भोजन योजना की सामग्री क्रय हेतु किन-किन मद में कितनी-कितनी राशि का आवंटन प्राप्त हुआ एवं प्राप्त आवंटन से क्या-क्या सामग्री किस-किस दर पर किन-किन फर्म से खरीदी की गई? (ख) क्या मध्याह्न भोजन सामग्री क्रय में गुणवत्ता विहीन सामग्री वितरण किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई? यदि हां, तो इस हेतु कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार व दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † सलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) गुणवत्ता विहीन सामग्री प्राप्त होने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई, अपितु विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन के समय वजन में कमी पायी जाने के कारण प्रदायकर्ता फर्म द्वारा प्रस्तुत दायक की राशि के भुगतान में कटौती की गई है.

रायपुर जिले में छ.ग. राज्य विपणन संघ द्वारा संचालित राईस मिल

3. (*क्र. 776) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्यादित द्वारा संचालित नूतन राईस मिल तथा पहाड़ी राईस मिल में कितने वर्षों से धान की मिलिंग नहीं की गई है? धान मिलिंग नहीं होने से इन मिल को शासन द्वारा किस प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जा रहा है? (ख) इन दोनों मिलों के संधारण पर शासन द्वारा वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 से 01-02-2021 तक कितनी राशि व्यय की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायपुर जिले में छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर द्वारा संचालित नूतन राईस मिल तथा पहाड़ी किसान राईस मिल स्थापित है. नूतन राईस मिल में पिछले 16 वर्षों से एवं पहाड़ी किसान राईस मिल में पिछले 14 वर्षों से धान की मिलिंग नहीं की गई. दोनों राईस मिल परिसर में स्थित भवन एवं गोदामों का उपयोग विपणन संघ द्वारा किया जा रहा है. (ख) नूतन किसान राईस मिल तथा पहाड़ी किसान राईस मिल बंद होने के बाद इन मिलों के संधारण पर किसी भी प्रकार का व्यय नहीं किया गया है.

जिला रायगढ़ अंतर्गत दर्ज सिंचित/असिंचित रकबा

4. (*क्र. 352) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कुल कितना रकबा दर्ज किया गया है, जिसमें गिरदावली से सिंचित एवं असिंचित कितना दर्ज किया गया है? (ख) जिला रायगढ़ में रकबा सुधार के कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं? (ग) जिला रायगढ़ में संयुक्त परिवार के बटवारा के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितनों में बटवारा कर दिया गया है कितना शेष है, कब तक कर दिये जायेंगे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कुल मकबूजा रकबा-319666 हे. है तथा फसल बोनी का रकबा-263318 हे. है. जिसमें गिरदावरी से सिंचित रकबा-25138 हे. एवं असिंचित रकबा-238180 हे. दर्ज किया गया है. (ख) जिला रायगढ़ में रकबा सुधार के कुल 5703 आवेदन विभाग को प्राप्त हुए हैं. (ग) जिला रायगढ़ में संयुक्त परिवार के बटवारा के कुल 991 आवेदन प्राप्त हुए हैं, कुल 326 बटवारा कर दिया गया है. 665 शेष है, 03 माह में निराकरण कर दिये जायेंगे.

जिला जांजगीर चांपा में स्थापित किए गए नवीन धान खरीदी केन्द्र

5. (*क्र. 3672) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में इस वित्तीय वर्ष में धान खरीदी हेतु कितने नवीन खरीदी केन्द्र खोले गये? नाम सहित बतायें? नवीन केन्द्रों के अलावा पुराने कितने खरीदी केन्द्र हैं? (ख) नवीन धान खरीदी केन्द्रों में खरीदी प्रभारी एवं कम्प्यूटर आपरेटर की नियुक्ति किसके द्वारा एवं किस प्रक्रिया के तहत की गई? नवीन खरीदी केन्द्रवार कम्प्यूटर आपरेटर की भर्ती हेतु नियमित/सविदा में कब विज्ञापन जारी किया? कितने आवेदन प्राप्त हुए एवं किसके द्वारा चयन कर नियुक्ति की गई? खरीदी केन्द्रवार बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

अंतागढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में वन अधिकार प्रमाण पत्र का प्रदाय

6. (*क्र. 2680) **डॉ. रमन सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कांकेर जिले की अंतागढ़ तहसील की पूर्व ग्राम पंचायत अंतागढ़ वर्तमान में नगर पंचायत अंतागढ़ क्षेत्र में कितने लोगों को वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र (व्यक्तिगत) दिया गया है? (ख) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत क्या यह सही है, कि जिला कलेक्टर कांकेर द्वारा शिकायत पश्चात् प्रदाय किए गए वन अधिकार मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की जांच कर पट्टों को निरस्त किया गया है? यदि हां, तो निरस्त करने के कारण व निरस्त प्रमाण पत्र धारकों की संख्या बताएं? (ग) प्रश्नांक "ख" के अंतर्गत क्या निरस्त किए गये वन अधिकार मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र धारकों से कब्जा खाली करा लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक खाली कराया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कुल 48 लोगों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिया गया है. (ख) जी हां. निरस्त करने के कारण व निरस्त वन अधिकार पत्र धारकों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वन अधिकार पत्र निरस्त करने के कारण	निरस्त वन अधिकार पत्रों की संख्या
1.	दावा की गई भूमि पर काबिज नहीं होने के कारण	07
2.	आजीविका हेतु दावित भूमि पर निर्भर नहीं होने के कारण	10
योग		17

(ग) जी नहीं, निरस्त किये गये 06 वन अधिकार पत्र धारक, दावा की गई भूमि पर काबिज नहीं है. शेष 11 वन अधिकार पत्र धारकों से कब्जा खाली कराया जाना प्रक्रियाधीन है. समय-सीमा निर्धारित नहीं है.

जिला नारायणपुर को सविधान के अनुच्छेद 275(1) मद में प्राप्त राशि

7. (*क्र. 2696) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला-नारायणपुर को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 26-2-21 तक सविधान के अनुच्छेद 275(1) मद से कितनी राशि, कौन-कौन से कार्य हेतु प्राप्त हुई? (ख) कंडिका "क" अनुसार कौन-कौन से कार्य पूर्ण, अपूर्ण एवं अप्रारंभ स्थिति में है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

प्रदेश में नायब तहसीलदार के रिक्त पद

8. (*क्र. 2528) श्री सन्तराम नेताम : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नायब तहसीलदार के कितने पद रिक्त हैं?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रदेश में नायब तहसीलदार के 52 पद रिक्त है.

व्याख्याताओं/शिक्षकों की भर्ती

9. (*क्र. 1315) श्री अजय चन्दाकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शीतकालीन सत्र 2020-21 में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत व्याख्याताओं/शिक्षकों की भर्ती के संबंध में दिनांक 28 दिसम्बर, 2020 के तारकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 823) के उत्तर में यह जानकारी दी गई है, कि सत्यापन का कार्य प्रचलन में है, तथा नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया गया है? यदि हां, तो बताने का कष्ट करेंगे कि क्या उक्त भर्ती की प्रक्रिया में सत्यापन का कार्य पूर्ण हो गया है, यदि हां, तो कब हुआ एवं कितने अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया? यदि नहीं, तो कितना पूर्ण/अपूर्ण है तथा अपूर्ण होने का क्या कारण है? कब तक कर दिया जायेगा? (ख) सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण हो गयी होगी तो क्या नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो कब तक कर दिया जायेगा? आदेश जारी नहीं करने का क्या कारण है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. जी नहीं. व्याख्याता पद का सत्यापन कार्य पूर्ण हो गया है तथा इस पद के लिए 3934 अभ्यर्थियों का सत्यापन किया गया, शेष पदों का सत्यापन प्रक्रिया प्रचलन में है. निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण सत्यापन अपूर्ण है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) व्याख्याता पद का सत्यापन कार्य पूर्ण उपरांत 2671 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश दिनांक 22-02-2021 को जारी कर दिया गया है. निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है, प्रक्रियाधीन होने के कारण.

जिला जांजगीर चांपा के शिक्षा विभाग को डीएमएफ मद से प्रदत्त राशि

10. (*क्र. 2722) श्रीमती इन्दू बंजारे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में डीएमएफ मद से शिक्षा विभाग को वर्ष 2020-21 से 26-02-2021 तक कितनी राशि आवंटित किया गया है? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या सामग्री कितनी-कितनी दर से क्रय की गई है? ब्लाकवार जानकारी देवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जांजगीर चांपा जिले में डी.एम.एफ. मद से शिक्षा विभाग को वर्ष 2020-21 में 26-02-2021 तक राशि 22 करोड़ 40 लाख 74 हजार आवंटित किया गया है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

अतिक्रमित भूमि का शासन के आदेश अनुसार व्यवस्थापन

11. (*क्र. 2717) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या तारांकित प्रश्न संख्या-13 (क्रमांक-786) दिनांक 25 फरवरी, 2021 के परिशिष्ट में जिन 04 (चार) भूखण्ड को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़ना बताया गया है? यदि हां, तो उक्त भू-खण्ड को तोड़ने हेतु आदेश राजस्व विभाग द्वारा विधिवत कब एवं किसके अनुमोदन से किसके द्वारा जारी किया गया? आदेश की प्रति एवं तोड़ने हेतु बनाए गए पंचनामा की प्रति उपलब्ध करावे? (ख) क्या परिवर्तित आतारांकित प्रश्न संख्या-05 (क्र.-2389) दिनांक 13 अप्रैल 2012 के उत्तर के प्रपत्र-ब में प्रश्नांश "क" के चारों संस्थानों के मालिकों/वारिसों को काबिज होना बताया गया है? यदि हां, तो तदसमय काबिज क्षेत्रफल एवं वर्तमान में दिए गए क्षेत्रफल कितना-कितना है? उसमें भिन्नता कितनी है? इस भिन्नता हेतु कौन दोषी है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है? नाम सहित बताएं? अतिक्रमण प्रतिवेदन दिनांक 02-09-2009 के अनुसार वे कब से वहां काबिज हैं? (ग) क्या राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 2019 के अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा 20 अगस्त, 2017 के पूर्व के काबिजों का व्यवस्थापन किया जाना है? यदि हां, तो प्रश्नांश "क" एवं "ख" के काबिजों का व्यवस्थापन कब तक किया जावेगा? व्यवस्थापन कार्य के विलंब हेतु कौन दोषी है एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई है? उनके प्रश्नांश "ख" के काबिज रकबे के क्षेत्रफल में कितनी-कितनी कमी वयों की गई? अवधि सम्मत कार्यवाही हेतु कौन दोषी है? नाम सहित बताएं?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. तारांकित प्रश्न क्रमांक-13 (क्रमांक-786) दिनांक 25 फरवरी 2021 के परिशिष्ट में जिन 4(चार) भूखण्ड को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़ना बताया गया है. उक्त भूखण्ड को हटाने के पूर्व नगरपालिका द्वारा दिनांक 23-07-2020 को पंचनामा के माध्यम से सूचना तामिल कर समझाईस दिये जाने के पश्चात् अतिक्रमकों के द्वारा आवश्यकता से अधिक भूमि रखे जाने से अतिक्रमकों की सहमति प्राप्त कर अतिरिक्त भूमि को रिक्त कराया गया है. पंचनामा की प्रति जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शित है. (ख) यह सही है कि परिवर्तित आतारांकित प्रश्न संख्या-05 (क्र.-2389) दिनांक 13 अप्रैल 2012 के उत्तर के प्रपत्र-"ब" में प्रश्नांश-ब में प्रश्नांश "क" के चारों संस्थानों के मालिकों/वारिसों को काबिज होना बताया गया है. तदसमय काबिज क्षेत्रफल एवं वर्तमान में दिये गये क्षेत्रफल का विवरण के संबंध में जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. अतिक्रमण प्रतिवेदन दिनांक 02-08-2009 के अनुसार मोहल्ला माझापारा के शीट नंबर 13 ए प्लाट नंबर 99/1 में अवैध रूप से कब्जा किया गया है. (ग) छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-4/सात-1/2019 दिनांक 11-09-2019 के तहत 7500 वर्गफीट तक के अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन के निर्देश है. काबिजों के व्यवस्थापन किये जाने हेतु प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है. रकबे की कमी का विवरण † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. नगरपालिका द्वारा काबिज रकबे के से अतिक्रमकों के सहमति से सार्वजनिक निस्तार नदी तट की भूमि को लोकहित में अतिक्रमण मुक्त किया गया है एवं शेष जरूरत अनुसार भूमि को शासकीय नियमों का पालन कर व्यवस्थापन किया जा रहा है. जिसके कारण रकबे में कमी आई है.

जिला राजनांदगांव के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग की शिकायतों की जांच उपरांत की गई कार्यवाही

12. (*क्र. 2685) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला राजनांदगांव के तहसील खैरागढ़ खुईखदान एवं गंडई में अवैध प्लाटिंग कर बटांकन हेतु जांच में दोषी पाये गये खसरा क्रमांक का नामांतरण कर राज्य शासन द्वारा कलेक्टर के माध्यम से रोक लगाने की कोई कार्यवाही की गई है? क्या शिकायतों के संबंध में कलेक्टर जिला राजनांदगांव द्वारा अवैध प्लाटिंग की जांच प्रतिवेदन के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जिला राजनांदगांव के अंतर्गत तहसील खैरागढ़, खुईखदान, गण्डई में अवैध प्लाटिंग कर बटांकन हेतु जांच में पाये गये खसरा क्रमांक का नामांतरण पर रोक लगाने की कार्यवाही नहीं की गई है. ग्रामीण क्षेत्रों पर किये गये अवैध प्लाटिंग पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तों) नियम 1999 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

प्रदेश में नामान्तरण के प्राप्त प्रकरण

13. (*क्र. 159) **श्री किस्मतलाल नन्द** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छ.ग. में 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक नामांतरण के कितने आवेदन प्राप्त हुये और कितने आवेदनों का निराकरण किया गया जिलावार जानकारी देने का कष्ट करें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जानकारी † † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

कोरिया जिला में आवंटित बजट

14. (*क्र. 2704) डॉ. विनय जायसवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षा विभाग में कोरिया जिला अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में कुल कितना-कितना बजट, किस-किस मद में प्राप्त हुआ? (ख) वर्ष 2019-20, 2020-21 में आवंटित बजट का व्यय कहाँ-कहाँ किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

जिला शिक्षा अधिकारी, रायपुर द्वारा स्कूलों की मान्यता समाप्त करने संबंधी जारी आदेश

15. (*क्र. 2724) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनवरी, 2021 में जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर द्वारा 240 निजी स्कूलों के मान्यता समाप्त करने का पत्र/आदेश जारी किया गया है? यदि हाँ, तो किन-किन नियमों के तहत व क्या वे इसके लिए अधिकृत थे? (ख) कंडिका “क” के अधिकारी ने किस-किस आधार पर पत्र/आदेश जारी किया? यदि अशासकीय विद्यालयों के फीस विनियामक अधिनियम 2020 के आधार पर किया गया है, तो क्या जिला कलेक्टर में फीस समिति के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिये थे? यदि हाँ, तो कब-कब? (ग) क्या जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगाई गई है? यदि हाँ, तो कब, किसके द्वारा एवं किस लिए और क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. अशासकीय शालाओं द्वारा फीस विनियामक अधिनियम 2020 के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना, जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करना, विद्यालय को दी गई मान्यता के प्रमाण-पत्र की कपिडका-15 का उल्लंघन करने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता निरस्त की गई थी. वे इस हेतु अधिकृत नहीं थे. (ख) उत्तर “क” में दिये गये आधार पर. जी नहीं. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. (ग) जी हाँ. दिनांक 18-01-2021 को संचालक, लोक शिक्षण द्वारा अशासकीय विद्यालयों का बिना सुनवाई एवं शासन से अनुमोदन न लिए जाने के परिप्रेक्ष्य में जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है.

धरसीवा विकासखंड के ग्राम भटगांव की प.ह.नं. 80, खसरा नं. 128 की शासकीय भूमि पर कब्जा पर कार्यवाही

16. (*क्र. 1433) डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले के धरसीवा विकासखंड के भटगांव ग्राम के माना बस्ती पोस्ट, पुराना धमतरी-राजिम छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन के सामने प.ह.नं. 80, खसरा नंबर 128 की लगभग एक एकड़ शासकीय भूमि पर क्या ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर वृक्षारोपण करवाया था? (ख) क्या उक्त भूमि का अतिक्रमण कर बेजा कब्जा एवं अवैध निर्माण किया गया है? यदि हाँ, तो किसके द्वारा किया गया है? (ग) उक्त प्रकरण में संबंधित व्यक्ति एवं जिम्मेदार पटवारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले के धरसीवा विकासखण्ड के अंतर्गत ग्राम भटगांव (ग्राम पंचायत का गठन वर्ष 2004) प.ह.नं. 80 तहसील व जिला रायपुर स्थिति भूमि खसरा नंबर 128 के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है और ना ही ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण किया गया है. (ख) ग्राम पंचायत भटगांव प.ह.नं. 80, तहसील व जिला रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 128 रकबा 0.850 हेक्टेयर जो कि अभिलेखों में आबादी भूमि मे रूप में दर्ज है, जिसे मुख्यमंत्री आबादी पट्टा योजनांतर्गत, राजस्व मामला क्रमांक 10/अ-65/वर्ष 2016-17 के माध्यम से नीचे उल्लेखित हितग्राहियों को आबादी भूमि का पट्टा जारी कर प्रदाय किया जा चुका है जिसके कारण उनके द्वारा किया गया कब्जा अथवा निर्माण अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता.

क्रमांक (1)	नाम (2)	रकबा (3)
1.	फैसल रिजवी पिता अफजाल अहमद रिजवी	3510 वर्गमीटर
2.	मोहन देशराज पिता रामधनी	550 वर्गमीटर
3.	बिन्दिया डहरिया पिता सुकलाल	152 वर्गमीटर
4.	कुंदन डहरिया पिता सुकलाल	184 वर्गमीटर
5.	फैसल रिजवी पिता अफजाल अहमद रिजवी	740 वर्गमीटर
कुल योग		5136 वर्गमीटर

(ग) प्रश्नाधीन भूमि आबादी मद की भूमि होने तथा शासन की योजना अंतर्गत आबादी भूमि पर काबिज व्यक्तियों को पट्टा दिए जाने के अनुक्रम में प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन होने तथा हल्का पटवारी द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता नहीं किए जाने से कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है.

गन्ना कारखाना से शक्कर उत्पादन

17. (*क्र. 2693) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कुल कितने गन्ना कारखाना है? इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कितनी शक्कर उत्पादित हुई है व किस-किस दर पर बेची गई? कारखाने एवं वर्षवार जानकारी दें? (ख) किन-किन कारखानों में वीआईपी दर पर शक्कर का वितरण लाभार्थ या अन्य रूप में कितने लोगों को किया गया है व कितना शेष है? (ग) क्या परिवहनकर्ता द्वारा अधिक दर लिये जाने व गलत निविदा या बिना निविदा के कार्य दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या-क्या शिकायत प्राप्त हुई व उस पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

जांजगीर चांपा जिले में शिक्षा विभाग द्वारा सामग्री क्रय

18. (*क्र. 1102) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर चांपा जिले में वर्ष 2020 और 2021 में दिनांक 30-01-2021 तक शिक्षा विभाग द्वारा जिला खनिज न्यास मद से प्राप्त राशि से क्या-क्या सामग्री किस-किस एजेंसी से किस-किस दर से कब-कब खरीदी गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

धमतरी विधानसभा क्षेत्र में कृषि जमीन की अवैध प्लॉटिंग

19. (*क्र. 2656) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी विधानसभा में विगत 3 वर्षों में किन-किन क्षेत्रों में कृषि जमीनों का अवैध प्लॉटिंग कर बेचने की शिकायत प्राप्त हुई है? क्या उक्त क्षेत्रों में छोटे जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्षेत्र का नाम बतायें? (ख) क्या जिलाधीश, धमतरी द्वारा उक्त कृषि जमीनों का छोटे टुकड़ों में नक्शा नहीं काटने का आदेश जारी किया गया था? क्या उक्त क्षेत्र के पटवारियों के द्वारा छोटे टुकड़ों में बटाकन कर नक्शा दिया गया है? यदि हां, तो उसकी जांच कर क्या कार्यवाही की गई है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) धमतरी विधानसभा क्षेत्र में विगत 3 वर्षों में तहसील धमतरी क्षेत्र में 01 कृषि जमीन का अवैध प्लॉटिंग कर बेचने की शिकायत प्राप्त हुई है. उक्त क्षेत्र में छोटे जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाई गई है. (ख) जिलाधीश, धमतरी द्वारा उक्त कृषि जमीनों का छोटे टुकड़ों में नक्शा नहीं कटाने का आदेश जारी नहीं किया गया था. इस क्षेत्र में पटवारियों द्वारा छोटे टुकड़ों में बटाकन कर नक्शा नहीं दिया गया है.

जिला राजनांदगांव में छात्रावास एवं आश्रम शालाओं हेतु सामग्री खरीदी

20. (*क्र. 2733) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राजनांदगांव जिले में बालक/बालिका छात्रावास/आश्रम शालाएं संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो उक्त छात्रावास एवं आश्रम शालाओं में विगत 2 वर्षों में छात्रावासियों की सुविधा के लिए कौन-कौन सी सामग्री उपकरणों की खरीदी की गयी है? सामग्री की खरीदी किस एजेंसी से की गयी है? विकासखण्ड, वर्षवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हां, राजनांदगांव जिले में विभाग द्वारा बालक/बालिकाओं हेतु छात्रावास-आश्रम शालाएं संचालित किये जा रहे हैं. विकासखण्डवार सामग्री का क्रय नहीं किया जाता है, अतः जिला स्तर पर छात्रावासों के लिए क्रय की गई सामग्रियों की एजेंसी सहित वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

पाठ्य पुस्तक निगम मुद्रण हेतु पेपर क्रय के लिए निविदा जारी

21. (*क्र. 2627) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के मुद्रण कार्य के लिए आंतरिक पेपर क्रय हेतु कब निविदा जारी की गई निविदा भरने की अंतिम तिथि क्या थी? (ख) क्या कंडिका “क” की जारी निविदा में संशोधन किया गया? यदि हां, तो कब, क्या और क्यों? क्या इसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया गया? यदि हां, तो कब नहीं तो क्यों? (ग) क्या कंडिका “ख” का संशोधन छ.ग. भण्डार क्रय नियम के अनुकूल है, यदि नहीं, तो संशोधन का औचित्य बतावे?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के मुद्रण कार्य के लिए आंतरिक पेपर क्रय हेतु दिनांक 26-10-2020 को निविदा जारी की गई। भौतिक रूप से निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 27-11-2020 थी। (ख) जी हां, दिनांक 28-11-2020 को, छत्तीसगढ़ राज्य के जी.एस.टी. से पंजीयन की शर्त जोड़ने के लिये। जी हां. छ.ग. पाठ्य पुस्तक निगम की कार्यकारिणी समिति की 66वीं बैठक दिनांक 26-12-2020 को उक्त निविदा में किये गये सामयिक संशोधनों एवं निष्पादित कार्यवाही की अनुमोदन किया गया। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) जी हां. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

ऑनलाईन नामांतरण के लंबित प्रकरण

22. (*क्र. 2664) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नामांतरण पंजी में मैन्युवल रूप से कार्य करना बंद कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से तथा क्यों ? (ख) क्या ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर आई को शासन द्वारा कम्यूटर, स्केनर, प्रिंटर अन्य सुविधायें प्रदान की गयी है तथा क्या संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है ? (ग) रायपुर संभाग में तहसीलदार के आई डी में नामांतरण हेतु भेजे गये कितने प्रकरणों का निराकरण तथा नामांतरण पश्चात् अभिलेख दुरुस्त कर दिया गया है कितने प्रकरण लंबित हैं तथा लंबित होने के क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) से (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है।

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित अनु.जाति/अ.ज.जा. छात्रावास

23. (*क्र. 2712) **डॉ. कृष्णामूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं तथा उक्त छात्रावास में बालक/बालिकाओं की कितनी-कितनी संख्या है ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार उक्त छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक एवं वार्डन के कितने पद स्वीकृत व कितने रिक्त हैं ? कृपया छात्रावासवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” में दर्शित है। (ख) जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” में दर्शित है।

प्रदेश में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय संचालन

24. (*क्र. 1923) **श्री ननकीराम कंवर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि छ.ग. प्रदेश में इस वर्ष उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कुल कितने स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में संचालित किया गया है ? (ख) इन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य पदों पर भर्ती किस-किस स्तर पर की जा रही है ? (ग) क्या यह सही है, कि स्वीकृत पदों पर भर्ती अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है ? यदि नहीं, किया गया तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम से 52 विद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई है। (ख) इन विद्यालयों में प्राचार्यों को स्कूल शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा, तथा शिक्षकों एवं अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा सविदा से भरा जाएगा सविदा नियुक्ति स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय समिति द्वारा की जाती है। (ग) जी हां. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

रायगढ़ जिले में शासकीय राजस्व/वन भूमि पर काबिजों को पट्टा वितरण

25. (*क्र. 1947) श्री प्रकाश शंकराजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019 से 20-2-21 तक रायगढ़ जिले में शासकीय राजस्व/वन भूमि पर काबिज कितने कब्जाधारियों को पट्टा वितरण किया गया है ? तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) वास्तविक कब्जाधारी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टा वितरण की कितनी शिकायत प्राप्त हुई है ? प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रायगढ़ जिले में शासकीय राजस्व भूमि पर कब्जाधारियों को पट्टा वितरण नहीं किया गया है. शासकीय राजस्व वन/वनभूमि पर काबिज कुल 152 कब्जाधारियों को व्यवितगत वन अधिकार पत्र वितरित किया गया है. तहसीलवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) निरंक.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में छात्रावास का संचालन एवं सामग्री उपलब्धता

1. (क्र. 1103) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत कितने छात्रावास कहां-कहां पर संचालित हैं ? (ख) उपरोक्त छात्रावास में पिछले वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30-01-2021 तक क्या-क्या सामग्री उपलब्ध कराई गई है ? (ग) उपरोक्त सामग्री का क्रय किस मद से किस-किस दर से किस एजेंसी द्वारा किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 19 छात्रावास संचालित हैं, स्थान सहित जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है.

प्रदेश के स्कूलों में गणवेश एवं अन्य वस्त्रों की आपूर्ति

2. (क्र. 1306) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के वर्तमान वित्तीय वर्ष में गणवेश के अतिरिक्त कौन-कौन से प्रकार के वस्त्र आपूर्ति का क्रय आदेश किस संस्था को कितनी मात्रा और लागत का दिया गया है ? (ख) क्या उक्त संस्था स्वयं निर्माता है ? उनके पास कितने करघे हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें आदेश देने के क्या कारण हैं ? (ग) क्या पिछले वित्तीय वर्ष में स्कूल शिक्षा ने गणवेश आपूर्ति (क्रय) के आदेश बुनकर संघ को दिये थे ? यदि हां, तो कितनी राशि के ? (घ) इस वित्तीय वर्ष में गणवेश क्रय का आदेश हाथकरघा संघ को नहीं देने का क्या कारण है ? क्या यह मंडार क्रय नियमों के विरुद्ध था ? क्या C.S.I.D.C. से अनुमति ली गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी परिशिष्ट में †† संलग्न है. (ख) जी हां. छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर के पास 80 करघे व 513 चरखे हैं तथा छ.ग. हाथकरघा एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर के पास 12434 करघे (बुनकरों) हैं. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (घ) इस वित्तीय वर्ष 2020-21 में गणवेश का क्रय आदेश प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर छ.ग. को ही दिया गया है. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

जिला जांजगीर चांपा में रकबा बढ़ा कर धान खरीदी करने की प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही

3. (क्र. 2174) **श्री ननकीराम कंवर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चांपा के सेवा सहकारी समिति सारागांव, बम्हनीडीह, अफरीद, झर्रा, चोरीया लखली में वर्ष 2017-18 से जनवरी 2021 तक कुल कितनी मात्रा में धान की खरीदी की गई ? समितिवार जानकारी देवें ? (ख) क्या उक्त समिति के प्रबंधक, स्थानीय पटवारी एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बिलासपुर के शाखा बम्हनीडीह एवं चांपा के अधिकारियों द्वारा मिलकर किसानों द्वारा धारित वास्तविक रकबे को बढ़ाकर अधिक मात्रा में धान बेचने, जाली हस्ताक्षर से बैंक से बगैर किसानों की जानकारी के पैसा का आहरण करने एवं के. सी. सी. लोन लेकर शासन की कर्ज माफी योजना का लाभ लेने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो क्या इसकी जांच कराई गई, और इसमें क्या पाया गया एवं इस अनियमितता हेतु किन-किन दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों एवं कब तक की जावेगी ? (ग) उक्त जांच में कितने किसानों के साथ उक्त धोखाधड़ी करने एवं कितनी राशि के शासकीय धन का दुरुपयोग होना जांच में पाया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) प्रश्नांश “क” में दर्शित समिति सारागांव के प्रबंधक के विरुद्ध रकबा में वृद्धि कर धान खरीदी करने बाबत तथा समिति बम्हनीडीह के प्रबंधक के विरुद्ध किसानों की जमीन की पत्री रखकर उसमें के.सी.सी. ऋण लेकर फर्जी हस्ताक्षर कर बैंक से पैसे निकालने बाबत शिकायत प्राप्त हुई है. जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी. (ग) जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ज्ञात हो सकेगा.

धान खरीदी फर्जी किसान के हस्ताक्षर कर भुगतान प्राप्त करना की शिकायत पर कार्यवाही

4. (क्र. 2175) **श्री ननकीराम कंवर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बम्हनीडीह सोसाइटी के अंतर्गत आने वाली समिति अफरीद, मुडुपार, पचोरी झर्रा मोहगांव, खपरीडीह, अमोदी, बरगड़ी में कृषकों के फर्जी हस्ताक्षर कर के.सी.सी. लोन आहरण कर बैंक से आहरण करने की नवम्बर, 2020 से 14 फरवरी 2021 तक कुल कितनी शिकायत, किनके-किनके विरुद्ध विभाग को प्राप्त हुई ? (ख) क्या प्रश्नांश “क” की प्राप्त शिकायतों की जांच की गई ? यदि हां तो जांच के आदेश कब, किस स्तर के अधिकारी को दिए गए एवं शिकायतों में कौन-कौन आरोपी हैं ? जांच में क्या पाया गया ? (ग) क्या कृषकों के नाम से फर्जी लोन के.सी.सी. ऋण आहरण करने के संबंध में क्या बैंक अधिकारियों को भी मिलीभगत पाई गई ? यदि हां तो विभागीय अधिकारी एवं बैंक अधिकारियों एवं फर्जीकर्ता अपरोपियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

मनेन्द्रगढ़ में राजीव गांधी आश्रय योजना के लंबित प्रकरण

5. (क्र. 2459) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका मनेन्द्रगढ़ में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत कितने प्रकरण लंबित है ? (ख) लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक होगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) नगरपालिका मनेन्द्रगढ़ में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत वर्ष 2019-20 में कुल 242 प्रकरण लंबित है. (ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

कोन्डागांव जिला में आश्रम/छात्रावासों में मरम्मत/रख रखाव हेतु स्वीकृत राशि

6. (क्र. 2529) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कोन्डागांव हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कौन-कौन सी आश्रम एवं छात्रावासों में मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? (ख) उक्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यों में किया गया है एवं कार्यों के लिए नियुक्त कार्य एजेंसी का नाम बतायें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” पर दर्शित है.

जिला जांजगीर-चांपा में स्कूल शिक्षा विभाग में क्रय हेतु प्राप्त राशि

7. (क्र. 2673) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में शिक्षा जिला जांजगीर चाम्पा एवं शिक्षा जिला सक्ती में वर्ष 2019-20 में 2020-21 में शिक्षा मद, डी.एम.एफ. एवं अन्य मद में कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांश “क” के उत्तर में प्राप्त राशि से क्या-क्या सामग्री किस स्कूल हेतु कितनी राशि की खरीदी की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में दर्शित है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में दर्शित है.

जिला राजनांदगांव के अंतर्गत अवैध प्लानिंग के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

8. (क्र. 2686) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य शासन द्वारा जिला राजनांदगांव के अंतर्गत अवैध प्लानिंग के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों पर संपूर्ण खसरा का अनेक हिस्सा में बटाकन किये जाने की अनुमति राजस्व विभाग द्वारा राजस्व विभाग के अधिकारियों को दिया गया है ? यदि हां, तो कृपया राज्य शासन का आदेश एवं आदेश क्रमांक सहित जानकारी

उपलब्ध करावें ? (ख) राज्य शासन द्वारा जिला राजनांदगांव के तहसील राजनांदगांव, तहसील खैरागढ़, तहसील खुईखदान एवं तहसील गंडई में बटांकन उपरांत अवैध प्लानिंग किये जाने के कुल कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? तथा अवैध प्लानिंग के शिकायतों पर विभागीय जांच में कितने प्लान पाए गये ? कृपया अवैध प्लानिंग के बटांकन के संबंध में खसरा क्रमांक सहित जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी नहीं. (ख) राजनांदगांव जिला के तहसील राजनांदगांव के कुल 44 प्रकरण, तहसील खैरागढ़ में 161 प्रकरण, खुईखदान में 292 प्रकरण व गण्डई में 03, इस प्रकार कुल 500 प्रकरण बटांकन उपरांत अवैध प्लानिंग किये जाने पर दर्ज किये गये हैं. अवैध प्लानिंग के शिकायतों पर विभागीय जांच उपरांत तहसील खुईखदान में 418, खैरागढ़ में 370, राजनांदगांव में 662 व गण्डई में 03 प्लॉट इस प्रकार कुल 1453 प्लॉट पाए गये. अवैध प्लानिंग के बटांकन संबंध में खसरा क्रमांक सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संकुलों हेतु फर्नीचर क्रय में व्यय राशि

9. (क. 2697) **श्री चंदन कश्यप** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2021 में 26-2-21 तक कौन-कौन से संकुलों के लिए, फर्नीचर खरीदी किया गया ? (ख) कंडिका "क" की खरीदी में फर्नीचर आपूर्ति करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित थी ? यदि हां तो क्या इसका पालन सुनिश्चित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में † संलग्न है. (ख) वर्ष 2019-20 में फर्नीचर आपूर्ति करने के लिए आदेश दिनांक से 45 दिवस तक की समय-सीमा ई-मानक पोर्टल के आधार पर निर्धारित थी. वर्ष 2021 में दिनांक 26-02-2021 तक फर्नीचर आपूर्ति करने के लिये आदेश दिनांक से 45 दिवस तक की समय-सीमा ई-मानक पोर्टल के आधार पर निर्धारित थी. वर्ष 2019-20 में निर्धारित समय-सीमा के अंदर फर्नीचर आपूर्ति फर्म द्वारा नहीं की गई. इस तरह निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया गया. वर्ष 2021 में दिनांक 26-02-2021 तक निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया गया. वर्ष 2019-20 में उक्त समय अवधि में लॉकडाउन होने के कारण निर्धारित समय-सीमा के भीतर आपूर्ति नहीं किया गया.

कोरिया जिला में संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में आबंटित बजट

10. (क. 2705) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोरिया जिला अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए कितने बजट का आबंटन किस-किस मद में किया गया ? आबंटित बजट का व्यय कहाँ-कहाँ किया गया ? यदि कोई सामग्री क्रय की गई तो किस दर पर, किस संस्था से की गई जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या कोरिया जिला अंतर्गत संचालित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के सीटों में वृद्धि किये जाने के संबंध में कोई संस्था/व्यक्ति/संघ द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसका निराकरण कब तक किया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी हां. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला बिलासपुर के सहकारी समितियों को प्राप्त राशि

11. (क. 2713) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिले में वर्ष 2019-20 से दिनांक 26-02-2021 तक किन-किन सहकारी समितियों को ब्याज अनुदान की कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार किन-किन सहकारी समितियों का भुगतान लंबित है ? लंबित राशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

जिला राजनांदगांव एवं महासमुंद में बर्तन क्रय में अनियमितता पर कार्यवाही

12. (क्र. 2718) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इस वित्तीय वर्ष व विगत वर्ष में राजनांदगांव व महासमुंद जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा बर्तन क्रय किए गए थे ? यदि हां तो कौन-कौन से बर्तन किस-किस फर्म से, किस दर पर, कितनी राशि के क्रय किए गए थे ? उन्हें कितना भुगतान कर दिया गया है व कितना भुगतान किया जाना शेष है ? (ख) बर्तन खरीदी सीधी निविदा द्वारा या अन्य किस विधि से की गई थी ? (ग) क्या यह सही है कि बर्तन में वजन की कमी के कारण आदेश को निरस्त किया गया है या बर्तन को वापस किया गया है या राशि की कटौती की गई है ? यदि हां, तो इनमें से क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) बर्तन खरीदी सी.एस.आई.डी.सी. के ई-मानक पोर्टल द्वारा की गई है. (ग) जी हां. राजनांदगांव जिले में राशि की कटौती की गई है. महासमुंद जिले में बर्तन के वजन में कमी नहीं पायी गई अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र को डीएमएफ मद से स्वीकृत राशि

13. (क्र. 2723) **श्रीमती इन्दू बजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र को जिला खनिज संस्थान न्यास मद (डीएमएफ) से वर्ष 2020-21 से 26-02-2021 तक आदिम जाति विकास विभाग को कितनी-कितनी राशि आवंटित हुई है ? क्या-क्या सामग्री किन-किन दर पर क्रय की गई है ? (ख) क्या बाजार मूल्य से अधिक राशि से खरीदी कितने शिकायत प्राप्त हुई ? (ग) सामग्री का उपयोग कहा-कहां किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में विभाग को कोई भी राशि आवंटित नहीं है. राशि प्राप्त न होने से सामग्री क्रय का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) एवं (ग) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

आर.टी.आई. राशि भुगतान में अनियमितता

14. (क्र. 2725) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में आर.टी.आई. के तहत बी.पी.एल. बच्चों को स्कूलों में प्रवेश दिया गया है ? यदि हां, तो सत्र 2019-20 एवं 2020-21 में कुल कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया है ? जिलावार जानकारी दें ? (ख) आर.टी.आई. के तहत स्कूलों को फीस देने के क्या नियम है ? कितनी-कितनी फीस किस मद के लिए, स्कूलों को दी जाती है ? फीस के लिए क्या केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त होती है ? यदि हां तो केन्द्रांश व राज्यांश कितना-कितना है ? केन्द्र सरकार से प्रश्नांश वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हुई है ? वर्षवार बतावें ? (ग) क्या रायपुर जिले में आर.टी.आई. के तहत स्कूलों को मिलने वाली राशि, स्कूलों के बजाय निजी खातों में जारी करने का कोई प्रकरण सामने आया है ? यदि हां, तो कितने स्कूलों को कितनी राशि किस-किस नियमों के तहत दी गई है ? शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां, जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ख) आर.टी.आई. के तहत स्कूलों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिसके तहत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के शुल्क का भुगतान राज्य शासन द्वारा निर्धारित दर अथवा विद्यालय की शुल्क की दर, इनमें जो कम हो, देय है. प्राथमिक शाला हेतु शासन द्वारा प्रति छात्र निर्धारित दर राशि रु. 7000/- या विद्यालय द्वारा निर्धारित राशि जो कम हो देय है. इसी प्रकार पूर्व माध्यमिक विद्यालय हेतु शासन द्वारा निर्धारित दर राशि रु. 11,400/- या विद्यालय द्वारा निर्धारित राशि जो कम हो देय होती है. इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक हेतु राशि रु. 250/- पूर्व माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तक हेतु राशि रु. 450/- तथा गणवेश हेतु राशि रु. 540.52/- दिए जाने के निर्देश हैं. जी हां. केन्द्र शासन का 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 40 प्रतिशत अंशदान रहता है. वर्ष 2019-20 में राशि रु. 49,49,60,000 एवं वर्ष 2020-21 में राशि रु. 92,69,76,585 केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई. (ग) जी हां. वर्तमान में 6 व्यक्तियों के निजी खातों में राशि जमा होने की जानकारी प्राप्त हुई है. जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

अतारांकित पश्नोत्तर

बिलासपुर जिले अंतर्गत प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास

1. (क्र. 246) श्री शैलेश पाण्डे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में कितने प्री मैट्रिक और कितने पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत एवं कितने संचालित है. उनमें कितने छात्र-छात्राएँ अध्ययनरत हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : बिलासपुर जिले में 48 प्री मैट्रिक और 18 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत है, जिसमें से 47 प्री मैट्रिक एवं 18 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित है. उनमें 545 छात्र-छात्राएँ निवासरत है.

बिलासपुर जिले अंतर्गत आपदा प्रबंधन अंतर्गत सहायता

2. (क्र. 247) श्री शैलेश पाण्डे : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि बिलासपुर जिले में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कितने लोगों की सहायता 01-01-2019 से 31-12-2020 तक कितनी राशि की गयी ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : प्रश्नाधीन अवधि में बिलासपुर जिले में राज्य आपदा मोचन निधि से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत कुल 1922 हितग्राहियों को कुल राशि रुपये 17,40,00,076.00 का आर्थिक अनुदान सहायता प्रदाय की गई.

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भवन विहीन एवं जर्जर भवन के विद्यालय हेतु भवन व्यवस्था

3. (क्र. 384) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी विद्यालय भवन विहीन है एवं कितने विद्यालयों के भवन जर्जर अवस्था में हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ख) उक्त भवन विहीन/जर्जर भवन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति कब तक प्रदान की जायेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वि. खण्ड	भवन विहीन				जर्जर भवन			
		प्राथमिक	पूर्व माध्य.	हाईस्कूल	हायर सेके.	प्राथमिक	पूर्व माध्य.	हाईस्कूल	हायर सेके.
1.	धरमजयगढ़	2	1	0	0	18	1	0	0
2.	धरघोड़ा	0	0	0	0	8	1	0	0
योग		2	1	0	0	26	2	0	0

(ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

राजधानी रायपुर में मध्याह्न भोजन का संचालन

4. (क्र. 780) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राजधानी रायपुर के नगर पालिका क्षेत्र में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के छात्र/छात्राओं हेतु पहल नामक स्वयं सेवी संस्था को मध्याह्न भोजन संचालन की जिम्मेदारी दी गई है ? यदि हां तो कृपया बतावें कि यह संस्था कब से यह कार्य कर रही है तथा इसका अनुबंध कब तक का है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हां. यह संस्था सत्र 2005-06 से मध्याह्न भोजन योजना संचालन का कार्य कर रही है तथा इसका अनुबंध सत्र मार्च 2022 तक का है.

रायपुर नगर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की योजना

5. (क्र. 781) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आगामी शैक्षणिक सत्र के पूर्व रायपुर नगर में पूर्व से बन रहे तीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के अतिरिक्त और विद्यालय खोले जाने की योजना है ? यदि हां तो कहां-कहां ? (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में अभी और कितने अतिरिक्त विद्यालय खोलने की योजना है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. आगामी शैक्षणिक सत्र में रायपुर नगर में नगर माता बिन्नी बाई सोनकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भाठागांव रायपुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है. (ख) वर्तमान में इसके अतिरिक्त विद्यालय रायपुर में खोलने की योजना नहीं है.

अकलतरा वि. ख. में शालाओं में गणवेश की आपूर्ति

6. (क्र. 1110) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के वि. ख. अकलतरा में वर्ष 2019 एवं 2020 में किन-किन शालाओं में कितने-कितने छात्र/छात्राओं को गणवेश प्राप्त हुआ ? (ख) उपरोक्त गणवेश खरीदी और सप्लाई किस-किस दर से किस-किस एजेंसी से कब-कब की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर छ. न. से प्रति सेट 270.26 रुपये की दर से गणवेश खरीदी और सप्लाई सत्र 2019 एवं 2020 में की गई है.

राज्य शैक्षणिक अनुसंधान केन्द्र, रायपुर अंतर्गत रिक्त पद

7. (क्र. 1324) **श्री अजय चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान केन्द्र, रायपुर अन्तर्गत कितने पद, किस-किस स्तर के स्वीकृत हैं ? कितने पदों में कितने नियमित/सविदा/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्यरत हैं ? (ख) क्या उक्त पदों की भर्ती नियम बन गये हैं ? यदि हां, तो कब तक भर्ती कर लिया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् रायपुर, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्वीकृत, कार्यरत पदों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) जी हां, निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है.

आदिम जाति, अनु. जाति, पि. वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का प्रदाय

8. (क्र. 1748) **डॉ. प्रीतम राम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को प्रदाय की जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण देवे ? (ख) क्या उक्त छात्रवृत्ति मासिक अंतराल से प्रदाय की जा रही है ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी ‡ संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी नहीं, छात्रवृत्ति मासिक अंतराल से प्रदाय किये जाने का प्रावधान नहीं है. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश में आरूट सोर्सिंग के तहत शिक्षकों की नियुक्ति

9. (क्र. 1872) **डॉ. रेणु अजीत जोगी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में आरूट सोर्सिंग के तहत शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी ? यदि हां तो कितने शासकीय विद्यालयों में ? (ख) क्या आरूट सोर्सिंग के माध्यम से भर्ती किए गए शिक्षक वर्तमान में भी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो उनकी संख्या बताएं एवं किन-किन विषयों के पदों पर नियुक्ति दी गई थी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में आउट सोर्सिंग के तहत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई थी बल्कि आउट सोर्सिंग के तहत 1307 शासकीय विद्यालयों में सेवाएँ ली गई थीं. (ख) जी हाँ. 1640 विद्यालयों की सेवाएँ अतिथि शिक्षक के रूप में अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में ली जा रही हैं.

जिला कोरबा अंतर्गत अधीनस्थ तहसीलों/उपतहसीलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुमति

10. (क्र. 1924) **श्री ननकौराम कंवर** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छ. ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा कोरबा जिला कार्यालय व अधीनस्थ तहसीलों/उपतहसीलों में रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से करने के साथ-साथ विशेष पिछड़ी जनजाति (अनु. जनजाति) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने अनुमति दी गई थी ? (ख) उपरोक्त पदों की पूर्ति हेतु कब-कब विज्ञापन निकाला गया ? विशेष पिछड़ी जनजाति के पदों हेतु कितने लोगों द्वारा आवेदन पत्र दिया गया था ? (ग) क्या विशेष पिछड़ी जनजाति के पदों की पूर्ति हेतु भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है ? यदि हाँ, तो कब चयन सूची जारी की गयी ? क्या चयन सूची जारी करने के पश्चात् उन्हें नियुक्ति दी गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) छ. ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के आदेश क्र./एफ 2-38/सात-2/2016 नया रायपुर दिनांक 08-09-2016 द्वारा कोरबा जिला हेतु सहायक ग्रेड-03 के 20 पद, स्टेनो टायपिस्ट के 3 पद, स्टेनोग्राफर के 1 पद, मृत्यु के 45 पद एवं वाहन चालक के 1 पद अर्थात् कुल 70 पदों (समस्त वर्गों हेतु) पर सीधी भर्ती द्वारा कोरबा जिला के रिक्त पदों को भरने की अनुमति प्रदान की गई थी. (ख) (1) कार्यालय कलेक्टर कोरबा के संशोधित विज्ञापन क्र./11932/वित्त-1/2016, कोरबा दिनांक 28-09-2016 द्वारा सहायक ग्रेड-03 के कुल रिक्त पदों में से विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के 20 प्रतिशत के आरक्षण अनुसार 02 पदों पर एवं मृत्यु वर्ग हेतु 4 पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. उक्त विज्ञापन के परिपालन में पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में उक्त वर्गों की पूर्ति विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग से नहीं की जा सकी. (2) तत्पश्चात् कार्यालयीन संशोधित विज्ञापन पत्र क्र./9697/वित्त-1/2018, कोरबा दिनांक 05-06-2018 द्वारा सहायक ग्रेड-03 के 02 एवं मृत्यु के रिक्त 04 रिक्त पदों को पूर्ति करने हेतु पुनः विज्ञापन जारी किया गया था. किन्तु पुनः सहायक ग्रेड-03 हेतु शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी नहीं मिलने की स्थिति में सहायक ग्रेड-03 के 02 पद पुनः नहीं भरे जा सकें. किन्तु मृत्यु के रिक्त पदों की पूर्ति कर ली गई हैं. (3) संशोधित विज्ञापन क्र./21783/वित्त-1/2019, कोरबा दिनांक 23-11-2019 द्वारा पुनः विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग हेतु उक्त 02 पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया. उक्त विज्ञापन के परिपालन में कुल 76 अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया. (ग) कार्यालय कलेक्टर, कोरबा का पत्र क्र./7592/वित्त-1/2020, कोरबा दिनांक 19-05-2020 द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के सहायक ग्रेड-03 के रिक्त 02 पदों हेतु पात्र अभ्यर्थी/अपात्र अभ्यर्थी की सूची जारी कर दावा आपत्ति दिनांक 29-05-2020 तक मंगायी गई थी. किन्तु किसी भी अभ्यर्थी द्वारा दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है. तत्पश्चात् वित्त विभाग के वित्त निर्देश 12/2020 के पत्र क्र./88/एफ-2015-04-02007/ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27-05-2020 एवं वित्त निर्देश 13/2020, पत्र क्र./118/एफ-2015-04-02007/ब-4/चार, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 02-06-2020 द्वारा भर्ती के संबंध में निर्देश जारी किया गया है कि जिन पदों पर वित्त विभाग की सहमति उपरांत भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उस पर भर्ती प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है किन्तु नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जाए.

रायगढ़ जिले में शक्कर कारखाना खोलने हेतु कार्यवाही

11. (क्र. 1960) **श्री प्रकाश शंकराजीत नायक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रायगढ़ जिले में नवीन शक्कर कारखाना खोलने हेतु प्रस्तावित है ? यदि हाँ तो, किस जगह पर ? (ख) कब तक शक्कर कारखाना खोला जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायगढ़ जिले में नवीन शक्कर कारखाना खोलने हेतु विधिवत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है. अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) प्रश्नांश “क” के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

रायगढ़ जिले में आदर्श आश्रम छात्रावास हेतु व्यय राशि

12. (क्र. 1961) **श्री प्रकाश शंकराजीत नायक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक कितने आश्रम एवं छात्रावास को 19-20 एवं 20-21 में 31 जनवरी, 2021 तक आदर्श आश्रम छात्रावास के लिए चयनित किया गया उसमें कितनी राशि व्यय की गई वर्षवार, आश्रम एवं छात्रावासवार, मदवार जानकारी दें ? (ख) उक्त आदर्श आश्रम छात्रावासों की निगरानी के लिए बनाई गई समिति में कौन-कौन सदस्य है एवं 31 जनवरी, 2021 तक जांच की गयी और जांच में क्या पाया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायगढ़ जिले में प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक आश्रम एवं छात्रावास को वर्ष 2019-20 में आदर्श आश्रम छात्रावास के लिए किसी भी संस्था का चयन नहीं किया गया है. वर्ष 2020-21 में 31 जनवरी 2021 तक जिला स्तर पर 02 आश्रमों को आदर्श आश्रम के लिए चयन किया गया है. आश्रमवार, मदवार व्यय की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) आदर्श आश्रम की निगरानी के लिए बनाई गई समिति के सदस्यों की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. 31 जनवरी 2021 तक जांच के संबंध में निगरानी समिति का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है.

जिला गरियाबंद में बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन के तहत आबंटित राशि

13. (क्र. 2299) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद जिले में बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन अंतर्गत कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए विगत 02 वर्षों में आबंटित एवं व्यय की गई है, ब्लॉकवार जानकारी दें ? (ख) कंडिका “क” के कार्यों की कार्य एजेंसी का नाम तथा कार्य के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी ब्लॉकवार दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) गरियाबंद जिले को विगत 2 वर्षों में बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन के अन्तर्गत कोई राशि किसी भी कार्यों के लिए आबंटित नहीं की गई है. (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

जिला गरियाबंद में शालाओं हेतु फर्नीचर खरीदी

14. (क्र. 2300) **श्री अमितेश शुक्ल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गरियाबंद जिले में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में बैठने के लिए फर्नीचर की निविदा विगत 02 वर्षों के भीतर की गई है ? यदि हां तो किस एजेंसी के माध्यम से कितनी राशि की फर्नीचर खरीदी की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : गरियाबंद जिले में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में बैठने के लिए फर्नीचर की विगत 02 वर्षों के भीतर निविदा नहीं की गई है. शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

मुख्यमंत्री अमृत मिशन अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में सोया चिक्की एवं सोया दूध क्रय हेतु अग्रिम भुगतान

15. (क्र. 2441) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोविड-19 के समय में ‘मुख्यमंत्री अमृत मिशन’ अंतर्गत प्रदेश के स्कूलों में सोया चिक्की एवं सोया दूध के लिए कितनी राशि कौन सी संस्था को प्रदाय किये जाने हेतु अग्रिम भुगतान किये गये हैं ? मार्च 2020 के पश्चात् अक्टूबर 2020 तक कितनी राशि अग्रिम भुगतान के विरुद्ध व्यय हुई ? पृथक-पृथक जानकारी दें. (ख) क्या अग्रिम राशि प्रदाय करने के संबंध में वित्त विभाग एवं संबंधित विभाग से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त की गई थी ? (ग) यदि हां, तो कब यदि नहीं, तो इसके लिये जिम्मेदार कौन है एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) ‘मुख्यमंत्री अमृत मिशन’ अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को राशि रु. 65,05,576/- अग्रिम भुगतान किया गया है. अग्रिम के विरुद्ध कोई राशि व्यय नहीं हुई है. शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ख) जी नहीं. (ग) इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के आदेश क्रमांक ए एफ 7-1/2014/20-1 (दो) दिनांक 25-02-2017 के बिंदु क्रमांक 10.4 में 1 माह की अग्रिम राशि दिये जाने का प्रावधान है. अतः वित्त विभाग एवं प्रशासकीय विभाग से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है.

जिला कोण्डागांव में सेवा सहकारी समिति के गोदाम

16. (क्र. 2538) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला कोण्डागांव में वर्ष 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक सहकारी समिति के द्वारा कितने गोदामों का निर्माण किस एजेंसी से कराया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जिला कोण्डागांव में वर्ष 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप-योजना हरित क्रांति विस्तार योजना अंतर्गत आदिमजाति सेवा सहकारी समिति अमरावती में 200 मे. टन के एक गोदाम निर्माण हेतु राशि रुपये 13.34 लाख प्राप्त हुई है, जिसकी निर्माण एजेंसी स्वयं समिति है. आरक्षित ग्राम होने के कारण वन विभाग से गोदाम निर्माण हेतु अनुमति प्राप्त होने एवं धान उठाव होने के बाद गोदाम का निर्माण प्रारंभ किया जा सकेगा.

प्रदेश में संचालित आश्रम/छात्रावास

17. (क्र. 2539) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित आदिम जाति कल्याण विभाग के कितने आश्रम, छात्रावास संचालित हैं ? व कितने में नियमित अधीक्षक पदस्थापित हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा 1226 आश्रम व 2052 छात्रावास इस प्रकार कुल 3278 आश्रम/छात्रावास संचालित है, इनमें से 1039 छात्रावास-आश्रमों में नियमित अधीक्षक पदस्थापित हैं.

स्कूल शिक्षा विभाग के अधीनस्थ संचालित मण्डल/बोर्ड/निगम/समिति

18. (क्र. 2629) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग के अधीनस्थ कौन-कौन से निगम/मण्डल/समिति/बोर्ड कब से संचालित है ? इनका पंजीयन कब-कब कराया गया ? गठन की अधिसूचना क्रमांक एवं दिनांक सहित बतावें ? (ख) क्या कंडिका “क” के निगम/मण्डल/बोर्ड/समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत है ? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका “क” के निगम/मण्डल/बोर्ड/समिति में छ. ग. मण्डल क्रय नियम का पालन की बाध्यता है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) मदरसा बोर्ड को छोड़कर कंडिका “क” के सभी निगम/मण्डल/बोर्ड/समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत है. (ग) जी हां. छत्तीसगढ़ मण्डल क्रय नियम 2002 अधिसूचना क्रमांक एफ 20-2/2002/6/11 दिनांक 07 जनवरी 2003 नियम 2 के 2.1 के तहत.

“पढ़ई तुंहर द्वार” एवं Cg school in वेब साइट के माध्यम से अध्ययन-अध्यापन

19. (क्र. 2630) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) “पढ़ई तुंहर द्वार” योजना एवं cg school.in वेब साइट की शुरूआत कब हुई, किस कंपनी के सर्वर का इस्तेमाल किया गया, इसकी स्वीकृति कब, किनके द्वारा दी गई ? (ख) दिनांक 04-04-2020 से 24-04-2020 तक कंडिका “क” वेब साइट के कुल पेज ब्यूअर्स की संख्या कितनी दर्ज की गई ? (ग) कंडिका “क” वेब साइट में 25-04-2020 से 31-01-2021 तक कुल कितने पेज ब्यूअर्स की संख्या बढ़ी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) “पढ़ई तुंहर द्वार” एवं cg school.in वेब साइट की शुरूआत 07 अप्रैल 2020 को हुई. “पढ़ई तुंहर द्वार” के लिए सर्वप्रथम गो-डैडी, इसके पश्चात चिप्स के माध्यम से सिफि (मिडि इम्पेनल्ड वेन्डर) से सर्वर किराये पर लिया गया था. वर्तमान में स्टेट डाटा सेन्टर (एस.डी.सी.) के विभागीय सर्वर का उपयोग किया जा रहा है, “पढ़ई तुंहर द्वार” की स्वीकृति शासन द्वारा दिनांक 06-03-2020 को दी गई. (ख) एवं (ग) वेब साइट के पेज व्यू की संख्या का तिथिवार रिकार्ड नहीं रखा जाता है.

धमतरी जिले में संचालित प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक बालक-बालिका छात्रावास

20. (क्र. 2657) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में कुल कितने प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट-मैट्रिक बालक-बालिका छात्रावास हैं ? उक्त छात्रावासों में से कुल कितने छात्रावासों को मॉडल छात्रावास बनाया जा रहा है ? नाम सहित जानकारी दें. (ख) मॉडल छात्रावास हेतु क्या मापदंड निर्धारित किये गये हैं ? उक्त कार्य हेतु कुल कितनी राशि किन-किन मदों से प्राप्त हुई एवं वर्तमान में किन-किन कार्यों में कितनी राशि व्यय की गई है ? उक्त छात्रावासों को मॉडल छात्रावासों के अनुरूप कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) धमतरी जिले में कुल 36 प्री मैट्रिक एवं 08 पोस्ट मैट्रिक बालक-बालिका छात्रावास संचालित है. उक्त में से प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास धमतरी एवं प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मगरनोड को मॉडल छात्रावास बनाया जा रहा है. (ख) मॉडल छात्रावास हेतु निर्धारित मापदंड की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. उक्त कार्य हेतु विभागीय अनुरक्षण मद अन्तर्गत राशि रु. 50.00 लाख प्राप्त हुई है. वर्तमान में कार्यवार व्यय की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. उक्त छात्रावासों को मॉडल छात्रावासों के अनुरूप पूर्ण करने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

प्रदेश में प्राथमिक कृषि समिति का पुनर्गठन एवं नई समितियों को दी गई सुविधा एवं राशि

21. (क्र. 2658) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में वर्ष 2020-21 में कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के पुनर्गठन पश्चात् कितनी नई सहकारी समिति का गठन किया गया है ? क्या नवीन समितियों को राज्य सरकार द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि जारी की गई है ? यदि हां, तो कितनी राशि जारी की गई है ? नवीन सहकारी समितियों को संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी एकत्रित की जा रही है.

जिला जांजगीर चाम्पा में राजस्व के लंबित प्रकरण

22. (क्र. 2676) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 25 फरवरी, 2021 तक बंटवारा, फौती, नामांतरण, सीमांकन, नम्बरदार एवं डायवर्सन के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन में से कितने का निराकरण किया गया एवं कितने लंबित हैं, वर्षवार, तहसीलवार जानकारी बतायें ? (ख) क्या अविवादित फौती, नामांतरण एवं बंटवारा के नियम में संशोधन किया गया है या ग्राम पंचायत को इससे वंचित किया गया है यदि हां तो वर्तमान में क्या प्रक्रिया है, बतायें ? (ग) उपरोक्त प्रश्नांक “क” एवं “ख” के आवेदनों के निराकरण की समय सीमा क्या है बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) वर्तमान में अविवादित फौती, नामांतरण एवं बंटवारा के ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जिसका निराकरण ऑनलाईन किया जा रहा है. ग्राम पंचायतों के अधिकार यथावत हैं. (ग) प्रश्नांक “क” एवं “ख” के आवेदनों के निराकरण की समय सीमा अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन हेतु 03 माह एवं विवादित नामांतरण, बंटवारा हेतु 06 माह है.

तहसील जैजैपुर अंतर्गत उप पंजीयन कार्यालय (पंजीयन एवं मुद्रांक) में रजिस्ट्री के प्रकरण

23. (क्र. 2677) **श्री केशव प्रसाद चन्द्रा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चाम्पा के तहसील जैजैपुर अंतर्गत उप पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक) कार्यालय में विगत वित्तीय वर्ष एवं 2020-21 में दिनांक 15 फरवरी, 2021 तक रजिस्ट्री के कितने आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन में कितने आवेदन का निराकरण हो गया है ? (ख) क्या उप पंजीयक (पंजीयन एवं मुद्रांक) कार्यालय में बिना पक्षकार के रजिस्ट्री की गई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) रजिस्ट्री में अनियमितता या गलत रजिस्ट्री करने की या रजिस्ट्री रोकने की कितनी शिकायत/आवेदन प्राप्त हुए ? प्राप्त आवेदन/शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई बतायें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अंतर्गत उप पंजीयक कार्यालय जैजैपुर में विगत वर्ष 2019-20 में 1441 एवं वर्ष 2020-21 में दिनांक 15 फरवरी, 2021 तक 1326 आवेदन इस प्रकार कुल 2767 आवेदन प्राप्त हुए हैं, प्राप्त सभी आवेदन उप पंजीयक के स्तर पर निराकृत हो चुके हैं. (ख) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अंतर्गत उप पंजीयक कार्यालय जैजैपुर में दस्तावेज का पंजीयन निष्पादकों एवं दावेदार द्वारा दस्तावेजों को हस्ताक्षरित कर निष्पादित कर उप पंजीयक के समक्ष पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, तत्पश्चात् उप पंजीयक द्वारा दस्तावेज के समस्त निष्पादकों एवं दावेदारों की उपस्थिति एवं सहमति से दस्तावेज को स्वीकार कर नियमानुसार दस्तावेज का पंजीयन किया जाता है. किसी भी निष्पादकों की अनुपस्थिति में दस्तावेज का पंजीयन नहीं किया गया है. (ग) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के अंतर्गत उप पंजीयक कार्यालय जैजैपुर में रजिस्ट्री में अनियमितता या गलत रजिस्ट्री करने की या रजिस्ट्री रोकने की कोई शिकायत/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. अतः जानकारी निरंक है.

जिला जांजगीर-चाम्पा में धान खरीदी केन्द्रों में शेड चबूतरा निर्माण

24. (क्र. 2683) **श्री नारायण चंदेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में जांजगीर-चाम्पा जिले के सोसायटियों (धान खरीदी केन्द्र) में धानों को सुरक्षित रखने हेतु शेड, चबूतरा निर्माण के लिए शासन द्वारा कितनी राशि किस-किस मद से प्रदान की गई है ? (ख) सोसायटियों में शेड व चबूतरा का निर्माण किस-किस विकासखण्ड में कहा-कहां, कितनी-कितनी राशि से किया गया ? (ग) क्या शेड, चबूतरा निर्माण कार्य में शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस अनियमितता व गुणवत्ता विहीन कार्य हेतु कौन दोषी है, दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

नवीन हॉयर सेकेण्डरी स्कूल एवं नवीन पूर्व माध्यमिक शाला की स्थापना

25. (क्र. 2689) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 2019-20 में जिला राजनांदगांव के विकासखण्ड छुईखदान के ग्राम ढाबा में नवीन हॉयर सेकेण्डरी स्कूल की स्थापना एवं ग्राम पेंडरवानी में नवीन पूर्व माध्यमिक शाला स्थापित करने का आदेश जारी किया गया है ? यदि हां, तो तत्संबंध में विभाग द्वारा दिनांक 26-02-2021 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी नहीं. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला राजनांदगांव के आदिम जाति प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास व आश्रम में रिक्त पद

26. (क्र. 2690) **श्री देवव्रत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन द्वारा जिला राजनांदगांव के आदिम जाति प्री मैट्रिक छात्रावास एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में व्याख्याता, अधीक्षक तथा अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की कब तक भर्ती पूरी करा ली जाएगी ? (ख) जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ एवं छुईखदान विकास खण्ड में किन-किन छात्रावासों में कुल कितने रिक्त पद हैं ? पदवार जानकारी दें ? (ग) जिला राजनांदगांव के अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में किन-किन छात्रावासों एवं आश्रमों की वार्षिक मरम्मत, अनुरक्षण, संधारण कार्य एवं अन्य कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि जारी/खर्च की गई है ? कृपया मदवार कार्यों की जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) राजनांदगांव जिले के आदिम जाति प्री. मै. छात्रावास एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में अधीक्षक एवं अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों की भर्ती की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. उक्त छात्रावासों में व्याख्याता के पद स्वीकृत नहीं है. (ख) जिला राजनांदगांव के खैरागढ़ एवं छुईखदान विकास खण्डों के छात्रावासों में छात्रावासवार रिक्त पदों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" एवं "ब" में है. (ग) विभाग अंतर्गत छात्रावास एवं आश्रमों में मरम्मत, अनुरक्षण कार्य हेतु छात्रावास आश्रमवार राशि जारी नहीं किया जाता है. जिला राजनांदगांव के अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में छात्रावास एवं आश्रमों में मदवार कराये गये वार्षिक मरम्मत, अनुरक्षण एवं संधारण कार्यों एवं खर्च राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" एवं "द" में है.

जिला मुंगेली में धान खरीदी

27. (क्र. 2695) **श्री पुन्नुलाल मोहले** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 जांजगीर-चाम्पा जिले के सोसायटियों (धान खरीदी केन्द्र) में धानों को सुरक्षित रखने हेतु शेड, चबूतरा निर्माण के लिए शासन द्वारा कितनी राशि किस-किस मद से प्रदान की गई है ? (ख) सोसायटियों में शेड व चबूतरा का निर्माण किस-किस विकासखण्ड में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी राशि से किया गया ? (ग) क्या शेड, चबूतरा निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कौन दोषी है, दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विकासखण्डवार संपूर्ण जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

शालाओं में चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत एवं रिक्त पद

28. (क्र. 2699) **श्री चंदन कश्यप** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणपुर, विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत है ? कितने रिक्त है ? (ख) रिक्त पदों पर भर्ती हेतु क्या विज्ञापन जारी किया गया था ? यदि हां, तो कब ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 601 पद स्वीकृत है तथा 135 पद रिक्त है. (ख) जी नहीं. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

वि. ख. सारंगढ़ एवं बरमकेला में वर्षा से फसल नुकसान तथा क्षतिग्रस्त मकान पीड़ितों को मुआवजा

29. (क्र. 2703) **श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वि. ख. सारंगढ़ एवं बरमकेला में विगत 2 वर्षों से अत्याधिक वर्षा होने के कारण से कितने हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है एवं कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं ? क्या फसल और मकान क्षतिग्रस्त पीड़ितों को मुआवजा मिल गया है नहीं, तो कब तक मिल जायेगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकासखण्ड सारंगढ़ एवं बरमकेला में विगत 2 वर्षों से अत्याधिक वर्षा होने के कारण 974.279 हेक्टेयर फसल क्षति तथा 1795 मकान क्षति हुई है. सभी पीड़ितों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है.

राजस्व भूमि में निवासरत् व्यक्तियों को पट्टा वितरण

30. (क्र. 2706) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राज्य सरकार द्वारा राजस्व भूमि में काबिज व्यक्तियों को रिहाईसी पट्टा दिए जाने का कोई प्रावधान है ? (ख) यदि प्रावधान है तो कोरिया जिला अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को वर्ष 2019 से 26-02-2021 तक पट्टा दिया जा चुका है, तहसीलवार जानकारी प्रदान करें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हाँ. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम 1984, यथासंशोधित अधिनियम 2019 में राजस्व भूमि में काबिज पात्र व्यक्तियों को रिहाईसी पट्टा दिये जाने का प्रावधान है. (ख) तहसील बैकुण्ठपुर अन्तर्गत वर्ष 2019 से 01-02-2021 तक नगरीय क्षेत्र में नजूल भूमि का 19 पट्टा झुग्गी वासियों को दिया गया है. शेष तहसील की जानकारी निरंक है.

कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार दिये जाने संबंधी

31. (क्र. 2710) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा अधिकारी व अन्य प्रथम श्रेणी पदों पर कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार दिया गया है ? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में कौन-कौन कनिष्ठ अधिकारी प्रभारी के पद पर कार्यरत है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रश्नांश “क” अनुसार पदों में कब वरिष्ठ अधिकारियों को पदस्थ किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हाँ. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

शक्कर कारखाना में मोलासीस विक्रय हेतु आमंत्रित निविदा

32. (क्र. 2711) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश शक्कर कारखानों में इस वर्ष व पिछले वित्तीय वर्ष में मोलासीस किस-किस दर से विक्रय किया गया है, क्या उसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थी ? यदि हाँ, तो कब हुई व कितने निविदाकारों ने भाग लिया तथा सफल निविदाकार कौन था ? (ख) क्या केरता शक्कर कारखाने में परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टर निर्धारित किये गए हैं ? यदि हाँ तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है व इसके संबंध में क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों में ईको-क्लब के तहत वृक्षारोपण

33. (क्र. 2714) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्राथ/माध्यमिक/हाई/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में ईको क्लब के तहत वृक्षारोपण किया गया है ? यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से दिनांक 26-2-21 तक किन-किन शालाओं में वृक्षारोपण का कार्य किया गया ? (ख) उक्त में से कितने वृक्ष रख-रखाव के अभाव में नष्ट हो चुके हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) 12750 वृक्षारोपण किए गये वृक्षों में से 8623 वृक्ष रख-रखाव के अभाव में नष्ट हो चुके हैं.

मस्तूरी विधान सभा क्षेत्र में अनु-जनजाति कल्याण हेतु आबंटित राशि

34. (क्र. 2715) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 26-02-2021 तक कितने कार्यों के लिए कितनी राशि व्यय की गई है ? वर्षवार जानकारी देने का कष्ट करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : अनुसूचित जनजाति कल्याण हेतु मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 से दिनांक 26-02-2021 तक किये गये कार्यों एवं व्यय की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाखों में)	व्यय (लाखों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2019-20	15	17.94	7.50
2.	2020-21	11	20.828	0.50

नवागढ़ जिला बेमेतरा में घास भूमि में अतिक्रमण पर कार्यवाही

35. (क्र. 2719) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्राम नवागढ़, पटवारी हल्का 12 रा.नि. नवागढ़, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा में भूमापन क्रमांक (खसरा क्रमांक) 659 व 660 घास भूमि में दर्ज है ? यदि हां तो वर्तमान में क्या उसमें अतिक्रमण हो रहा है ? या मिट्टी मुरुम डाली जा रही है ? यदि हां तो उस अतिक्रमण को हटाने के लिये शासन के द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ? (ख) क्या यह सही है कि इसके संबंध में शिकायत भी प्राप्त हुई थी ? यदि हां तो किस-किस ने शिकायत किया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां, ग्राम नवागढ़ प.ह.नं. 12 रा. नि. नवागढ़, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा में भूमापन के (खसरा क्रमांक) 659 व 660 शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है. उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण नहीं है. शासकीय भूमि के पीछे स्थित भूमिस्वामियों द्वारा अपने निजी भूमि में जाने के लिए लंबे समय से रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है जिसमें मुरुम डाला गया है. (ख) जी नहीं.

पदोन्नति के लंबित प्रकरण

36. (क्र. 2727) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शाला प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक, उच्च वर्ग शिक्षक, व्याख्याता एवं प्राचार्य के कितने पद रिक्त हैं ? (ख) सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक, उच्च वर्ग शिक्षक से व्याख्याता, उच्च वर्ग शिक्षक से प्रधान पाठक और व्याख्याता से प्राचार्य के पद पर पदोन्नति कब दी गई थी ? वर्गवार जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) निम्नानुसार पद रिक्त है.

क्रमांक	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1.	प्रधान पाठक प्राथमिक शाला	20513
2.	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला	6182
3.	उच्च वर्ग शिक्षक	15557
4.	व्याख्याता	9710
5.	प्राचार्य	2881

(क) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

जिला राजनांदगांव में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा

37. (क्र. 2729) **श्रीमती छन्नी चन्द साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सड़क निर्माण के दौरान भूमि अधिग्रहण की क्या प्रक्रिया है ? (ख) राजनांदगांव जिले में 2019 एवं 2020 में सड़क निर्माण के दौरान कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है ? (ग) दिनांक 26-2-21 तक भूमि अधिग्रहण के मामले में कितने भूमि-स्वामियों को मुआवजा राशि देना शेष है ? तथा क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) सड़क निर्माण के भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निराकरण अधिसूचित क्षेत्रों हेतु “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” एवं अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016” में दी गई प्रक्रिया अनुसार किया जाता है. (ख) राजनांदगांव जिले में 2019 एवं 2020 में सड़क निर्माण के दौरान कुल 431 किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है. (ग) दिनांक 26-02-2021 तक सड़क निर्माण के भूमि अधिग्रहण के मामले में वर्ष 2019 एवं 2020 के कुल 282 भूमि-स्वामियों एवं उससे पूर्व के वर्षों के 44 भूमि-स्वामियों, कुल 326 भूमि-स्वामियों को मुआवजा देना शेष है. उक्त भूमि-स्वामियों को भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने, आपसी विवाद होने, एक से अधिक सहस्त्रातेदार होने, मंदिर की भूमि, राजस्व अभिलेख में दुरुस्ती नहीं होने तथा भूमि का बटांकन ऑनलाईन दर्ज नहीं होने के कारण मुआवजा राशि देना शेष है.

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में जर्जर एवं भवन विहीन विद्यालय

38. (क्र. 2730) **श्रीमती छन्नी चन्द साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने शास. प्राथमिक/माध्यमिक/हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल जर्जर एवं भवन विहीन है ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) वर्तमान में जर्जर एवं भवन विहीन विद्यालय में क्या चैकलिपक व्यवस्था की गई है ? जर्जर भवनों का मरम्मत एवं नवीन भवन कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला जांजगीर चाम्पा में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण

39. (क्र. 2808) **श्री नारायण चंदेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले के किस-किस विकास खण्ड में कितने-कितने हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल के भवन निर्मित है ? विकासखण्डवार व स्थानवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्न “क” के अंतर्गत कितने हायर सेकेण्डरी एवं हाई स्कूल भवन जर्जर एवं जीर्णोद्धार है ? कितनी शिकायतें भवन जर्जर होने की प्राप्त हुई है ? (ग) लोकार्पण से पूर्व व कुछ ही दिनों के बाद भवन जर्जर होने का क्या कारण है ? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? कृपया स्थानवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) प्रश्न “क” के अंतर्गत केवल 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन जर्जर है. कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ग) लोकार्पण से पूर्व व कुछ ही दिनों बाद कोई भी हाई/हायर सेकेण्डरी भवन जर्जर नहीं हुई है, अतः शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 2728) के भाग (क) की जानकारी]

आबंटन की जानकारी

शाला का स्तर	मद का नाम	प्राप्त आबंटन (रु. में)	
		2019-20	2020-21
प्राथमिक	किचन डिवाइस	7455000	10005000
अपर प्राथमिक	किचन डिवाइस	0	8165000
फर्म, सामग्री एवं दर की जानकारी			
सत्र	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	दर
2019-20	मेमर्स क्रिस्टल इंडस्ट्रीज इंडिया इण्डस्ट्री प्लॉट नं. 44 एवं 45 बिरकोनी इण्डस्ट्रीरियल एरिया महासमुंद	भगोना	300 रु. प्रति कि.ग्रा.
		कढ़ाई	210 रु. प्रति कि.ग्रा.
		जग	205.66 रु. प्रति कि.ग्रा.
		तगारी	230 रु. प्रति कि.ग्रा.
		प्रेशर कुकर	785 रु. प्रति नग
2020-21	श्रीराम क्रियेशन कचना रायपुर छ.ग.	एल्युमिनियम एलोय 6 लीटर	1374 रु. प्रति नग
		एल्युमिनियम एलोय 12 लीटर	2053 रु. प्रति नग
	महेन्दर सेल कॉर्पोरेशन, टैगोर नगर, हनुमान मंदिर, पचपेड़ी नाका रायपुर	धामा 0.600 ग्राम	390 रु. प्रति कि.ग्रा.
		धामा 0.900 ग्राम	390 रु. प्रति कि.ग्रा.
		खलबत्ता 2.800 कि.ग्रा.	300 रु. प्रति कि.ग्रा.
		पल्टा (खुरपा) 350ग्रा.	390 रु. प्रति कि.ग्रा.
		पानी टंकी 2.300 कि.ग्रा.	220 रु. प्रति कि.ग्रा.
		पानी टंकी 2.800 कि.ग्रा.	220 रु. प्रति कि.ग्रा.
		दाल पात्र 0.850 कि.ग्रा.	300 रु. प्रति कि.ग्रा.
		तगारी 1 कि.ग्रा.	300 रु. प्रति कि.ग्रा.
		तगारी 1.400 कि.ग्रा.	300 रु. प्रति कि.ग्रा.
		चौमुखा 1.350 कि.ग्रा.	300 रु. प्रति कि.ग्रा.

परिशिष्ट "दे"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 2696) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

स.क्र.	वर्ष	संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	कार्य की स्थिति		
				पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7
1	2019-20	जिला अस्पताल परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण (प्रथम किश्त)	59.92	—	—	अप्रारंभ
2	2019-20	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु	8.57	—	अपूर्ण	—
3	2019-20	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नारायणपुर को आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु।	340.30	पूर्ण	—	—
3	2020-21	कन्या शिक्षा परिसर गरांजी नारायणपुर एवं मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल गरांजी नारायणपुर में जूनियर साईस लैब की स्थापना	32.00	—	अपूर्ण	—
4	2020-21	छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रशिक्षित ए.एन.एम./नर्स की सविदा आधार पर स्थापना	7.20	—	—	अप्रारंभ
5	2020-21	नारायणपुर जिले के 70 छात्रावास/आश्रमों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर लैब की स्थापना	315.00	—	अपूर्ण	—
6	2020-21	जिला अस्पताल परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण (द्वितीय किश्त)	54.08	—	—	अप्रारंभ
7	2020-21	नारायणपुर जिले के विकास खंड नारायणपुर/ओरछा में संचालित 123 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में आवश्यक सामग्री बिस्तर, कंबल, चादर मच्छरदानी एवं किचन सामग्री का प्रदाय	738.00	—	अपूर्ण	—
8	2020-21	नारायणपुर जिले के विकास खंड नारायणपुर/ओरछा में संचालित 123 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में खेल सामग्री एवं व्यायाम उपकरण एवं बेडमिंटन/व्हालीबाल कोर्ट का निर्माण	246.00	—	अपूर्ण	—
9	2020-21	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नारायणपुर को आवर्ती व्यय हेतु।	53.00	पूर्ण	—	—
योग :-			1854.07			

सरल क्रमांक 02 पर दर्शित राशि की स्वीकृति वर्ष 2015-16 में हुई है, जिसमें वर्ष 2019-20 में जारी किया गया है। इसी प्रकार सरल क्रमांक 3, 4, 5, 6 एवं 9 पर दर्शित राशि की स्वीकृति वर्ष 2019-20 में हुआ है, जिसमें वर्ष 2020-21 में जारी किया गया है।

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 2696) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

स.क्र.	वर्ष	संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत कार्य का नाम	प्राप्त राशि	(राशि लाखों में)		
				कार्य की स्थिति		
1	2	3	4	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2019-20	जिला अस्पताल परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण (प्रथम किश्त)	59.92	-	-	अप्रारंभ
2	2019-20	अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु	8.57	-	अपूर्ण	-
3	2019-20	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नारायणपुर को आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय हेतु।	340.30	पूर्ण	-	-
3	2020-21	कन्या शिक्षा परिसर गरांजी नारायणपुर एवं मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल गरांजी नारायणपुर में जूनियर साईस लैब की स्थापना	32.00	-	अपूर्ण	-
4	2020-21	छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रशिक्षित ए.एन.एम./नर्स की सविदा आधार पर स्थापना	7.20	-	-	अप्रारंभ
5	2020-21	नारायणपुर जिले के 70 छात्रावास/आश्रमों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर लैब की स्थापना	315.00	-	अपूर्ण	-
6	2020-21	जिला अस्पताल परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण (द्वितीय किश्त)	54.08	-	-	अप्रारंभ
7	2020-21	नारायणपुर जिले के विकास खंड नारायणपुर/ओरछा में संचालित 123 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में आवश्यक सामग्री बिस्तर, कंबल, चादर मच्छरदानी एवं किचन सामग्री का प्रदाय	738.00	-	अपूर्ण	-
8	2020-21	नारायणपुर जिले के विकास खण्ड नारायणपुर/ओरछा में संचालित 123 आश्रम शालाओं/छात्रावासों में खेल सामग्री एवं व्यायाम उपकरण एवं बेडमिंटन/व्हालीबाल कोर्ट का निर्माण	246.00	-	अपूर्ण	-
9	2020-21	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नारायणपुर को आवर्ती व्यय हेतु।	53.00	पूर्ण	-	-
योग :-			1854.07			

सरल क्रमांक 02 पर दर्शित राशि की स्वीकृति वर्ष 2015-16 में हुई है, जिसे वर्ष 2019-20 में जारी किया गया है। इसी प्रकार सरल क्रमांक 3, 4, 5, 6 एवं 9 पर दर्शित राशि की स्वीकृति वर्ष 2019-20 में हुआ है, जिसे वर्ष 2020-21 में जारी किया गया है।

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2717) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पंचनामा

आज दिनांक 12/07/2020 को नगर पालिका के द्वारा जिला प्रशासन के प्रोपाइटर श्री [Signature] पिता श्री [Signature] को समझाईस दिया गया कि आप अपने पीछे से अतिक्रमण को हटा लेवें अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त समझाईस निम्न गवाहों के समक्ष दी गई।

हस्ताक्षर

[Signature]
[Signature]
[Signature]
(दिनेश शर्मा)

गवाह

1. [Signature]
2. नवेश्वर देवगन
3. Prakash Mangla
4. राजेश्वर करयण
5. [Signature]

[Signature]

Abeshwar

पुनिक गवाहारी 12/7/20
एक 4:00 बजे
राजेश्वर करयण

परिशिष्ट "तीन"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 2717) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

पंचनामा

आज दिनांक 12/07/2020 को नगर पालिका के द्वारा 212/1/2020 के प्रोपाईटर श्री विनोद कुमार शर्मा पिता श्री मनोहर को समझाईस दिया गया कि आप अपने पीछे से अतिक्रमण को हटा लें अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त समझाईस निम्न गवाहों के समक्ष दी गई।

हस्ताक्षर

इ.श. 12/7/20
विनोद
प्रोपाईटर
(दिनांक 12/7/20)

- गवाह
1. विनोद
 2. नरेश्वर देवान
 3. प्रकाश मंगल
 4. राजेश्वर कश्यप
 5. ए.पी.एस.

अतिक्रमण
Abhishek
पुत्रि मंगल 12/7/20
ए.पी.एस.
राजेश्वर कश्यप

पंचनामा :-

आज दिनांक 12/07/2020 को नगर पालिका के द्वारा पंजाब होटल

के प्रोपाईटर श्री सूर्य मेहरा पिता श्री एच.पी. कुंवर

श्री मेहरा को समझाईस दिया गया कि आप अपने पीछे से अतिक्रमण को हटा लें अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त समझाईस निम्न गवाहों के समक्ष दी गई।

गवाह

1. दामोदर रजद
2. अशोक बजाज
3. रामेश्वर कश्यप
4. राम कुमार चौरसिया
5. _____

दामोदर रजद
अशोक बजाज
रामेश्वर कश्यप
राम कुमार चौरसिया

आलोक कुमार
हस्ताक्षर
कुंवर
रामेश्वर कश्यप
राम कुमार चौरसिया

पंचनामा :-

आज दिनांक 12/07/2020 को नगर पालिका के द्वारा श्री सुनील कुमार शर्मा

के प्रोपाईटर श्री हरमन प्रसाद जोशी पिता श्री दिनेश राम

जोशी को समझाईस दिया गया कि आप अपने पीछे से अतिक्रमण को हटा लें अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त समझाईस निम्न गवाहों के समक्ष दी गई।

गवाह

1. संजय जोशी

2. अशोक बज्ज

3. रामेश्वर कुब्यप

4. राम कुमार वीरसिंहा

5. _____

सुनील कुमार शर्मा
धर्म 5 205 हरमन प्रसाद जोशी
अशोक बज्ज
रामेश्वर कुब्यप
राम कुमार वीरसिंहा

दिनेश राम

पंचनामा :-

आज दिनांक 12/07/2020 को नगर पालिका के द्वारा N.R. लोन्ग

के प्रोपार्टर श्री शैलेश शर्मा पिता श्री श्री. लाल

प्रासाद शर्मा को समझाईस दिया गया कि आप अपने पीछे से अतिक्रमण को हटा लेवें अन्यथा जिला प्रशासन द्वारा तोड़ने की कार्यवाही की जावेगी।

उक्त समझाईस निम्न ग्राहों के समक्ष दी गई।

15 मार्च
12/07/2020

गवाह

1. हार्मेश्वर बजाज
2. केशव बजाज
3. शैलेश्वर बजाज
4. श्याम कुमार चौरासा
5. _____

अतिक्रमण को हटाकर
हटाकर हटाकर
 12/07/2020
अतिक्रमण को हटाकर
हटाकर हटाकर
हटाकर हटाकर
हटाकर हटाकर

प्रपत्र "ब"

परिशिष्ट -1

तदसमय काबिज क्षेत्रफल एवं वर्तमान में दिए गए क्षेत्रफल का विवरण

क.	काबिजों के, नाम	तदसमय काबिज भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर	वर्तमान में काबिज क्षेत्रफल	सहमति से हटाया गया क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	जयहिन्द होटल (दिनेश मंगलानी)	186	166.31	35.31	अतिक्रमण हटाने के पूर्व का कुल क्षेत्रफल रकबा 201.62
2.	पंजाब होटल (सरस मेहरा)	182	136.08	58.08	अतिक्रमण हटाने के पूर्व का कुल क्षेत्रफल रकबा 194.16
3.	मां दुर्गा भोजनालय (श्री लोकाेश शर्मा)	403	98.44	20.44	दोनों संस्थानों के बीच स्थित गली के रकबे को शामिल नहीं करने के कारण वर्तमान कुल रकबा एवं तदसमय काबिज रकबे में अंतर है। (200.27+98.44+20.44 कुल 319.15)
4.	एन.आर.लॉज		200.27	200.27	

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 159) की जानकारी]

क्र.	जिला	01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक नामांतरण के कितने आवेदन प्राप्त हुए।	कितने आवेदनों का निराकरण किया गया	निराकरण हेतु शेष आवेदन पत्र	रिमार्क
1	रायपुर	36329	15075	21254	
2	महासमुद्र	9518	7190	2328	
3	धमतरी	2411	2214	197	
4	बलौदाबाजार- भाटापारा	5868	5099	769	
5	गरियाबंद	3466	2375	1091	
6	दुर्ग	15210	14338	872	
7	बेमेतरा	6833	6695	138	
8	बालोद	2783	2303	480	
9	कबीरधाम	1158	815	343	
10	राजनांदगांव	4538	3712	826	
11	बिलासपुर	9467	6549	2918	
12	मुंगेली	5299	4945	354	
13	जांजगीर-चांपा	2718	1849	869	
14	रायगढ़	8812	6442	2370	
15	कोरबा	3855	2827	1028	
16	गौरेला-पेण्ड्रा - मरवाही	1379	1029	350	
17	सरगुजा	1863	1384	479	
18	सूरजपुर	2102	1356	746	
19	बलरामपुर	815	465	350	
20	कोरिया	1527	1120	407	
21	जशपुर	2928	1766	1162	
22	बस्तर	1960	1670	290	
23	कांकेर	3290	3121	169	
24	कोण्डागांव	1504	1407	97	
25	दत्तेवाड़ा	723	704	19	
26	बीजापुर	1149	1129	20	
27	सुकमा	1127	1013	114	
28	नारायणपुर	77	64	13	

परिशिष्ट "पांच"

[तारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2704) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

मदवार आबंटन एवं व्यय की जानकारी

क्र.	मद का नाम	आबंटित राशि रु.		व्यय का विवरण
		वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21	
1	2	3	4	5
1	वेतन एवं भत्ते	2249842883	2594349257	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन व भत्ते
				मध्यान्ह भोजन अंतर्गत कम्प्यूटर ऑपरेटर मानदेय भुगतान
2	मजदूरी	52624510	56953788	सफाई कर्मचारियों के वेतन
				प्राथमिक शाला एवं माध्यमिक शालाओं में कार्यरत रसोईया मानदेय भुगतान
3	यात्रा व्यय	1630450	1075500	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के यात्रा भत्ता प्रदाय
4	कार्यालय व्यय	16844135	12071600	जिला, विकासखण्ड, शाला कार्यालय में कार्यालयीन कार्य
5	प्रशिक्षण	78000	72000	मध्यान्ह भोजन अंतर्गत कार्यरत रसोईयो के प्रशिक्षण
6	विशेष सेवाओं हेतु अदायगियां	56249261	4813170	परीक्षा एवं विधि के कार्य
7	छात्रवृत्ति एवं अन्य हितलाभ	21383233	0.00	आर0टी0ई के तहत शिक्षण शुल्क
8	सहायक अनुदान	147016445	89175195	अनुदान प्राप्त शालाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्ते
				कक्षा 9वीं में अध्ययनरत एस.सी., एस.टी., ओबीसी एवं बीपीएल छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण

1	मद का नाम 2	आबंटित राशि रु.		व्यय का विवरण 5
		वर्ष 2019-20 3	वर्ष 2020-21 4	
				विद्यालयों में दृष्टि बाधित बच्चों हेतु ब्रेल स्टेशनरी मटेरियल उपलब्ध कराने।
				समावेशी शिक्षा अंतर्गत इन्वॉयरमेंट बिल्डिंग प्रोग्राम
				समावेशी शिक्षा अंतर्गत एक्सपोजर विजिट
				राष्ट्रीय अविष्कार अभियान
				शा.क.प्रा.शालाओं/क.उच्च प्रा. शालाओं/कन्या हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं/74, 100 सीटर कन्या छात्रावास को सेल्फ डिफेन्स मार्शल आर्ट प्रशिक्षण
				विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु आंकलन शिविर हेतु
				प्रबंधकीय व्यय
				निर्माण कार्य
				शिक्षक प्रशिक्षण
				बी.आर.सी एवं संकुल केन्द्रों में कार्यालयीन व्यय
				विद्यार्थियों के कराटे प्रशिक्षण
				शाला प्रबंध समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण एवं कला उत्सव
				विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने
9	पारितोषिक	196000	196000	शिक्षकों का पुरस्कार प्रदान करने
10	अनुरक्षण कार्य	51750	132000	कार्यालयीन हेतु मोटर गाडी के सुधार
11	सामग्री एवं पूर्तियां	79953825	129552600	कार्यालयीन फर्नीचर शालाओं में विद्यार्थियों हेतु फर्नीचर क्रय शालाओं में साफ-सफाई हेतु सामग्री शा0 माध्यमिक एवं उ0मा0वि0 में विज्ञान सामग्री

1	मद का नाम 2	आबंटित राशि रू.		व्यय का विवरण 5
		वर्ष 2019-20 3	वर्ष 2020-21 4	
				शा0 प्राथमिक शाला में विद्यार्थियों के लिए व्यायाम उपकरण
				मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत कुकिंग कास्ट भुगतान
				मध्यान्ह भोजन योजनांतर्गत किचन डिवाईस
12	लघु निर्माण कार्य	19188250	19652925	शालाओं के भवन में मरम्मत एवं नवीन अहाता, अतिरिक्त कक्ष निर्माण
13	कोचिंग/प्रतियोगिताएं	3053600	1000000	शाला स्तर पर खेलकुद आयोजन

94

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2733) की जानकारी]

जिला राजनांदगांव में छात्रावास एवं आश्रम शालाओं हेतु सामग्री खरीदी की जानकारी

वर्ष 2019-20

विभागीय मंद

क्र.	सामग्री का नाम	एजेन्सी का नाम
1	2	4
1	एगल आयरन रेक	छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज पनेका राजनांदगांव
2	एल.ई.डी. बल्ब	जे.एम. इंटरप्राइजेस प्रोफेसर कालोनी रायपुर
	एल.ई.डी. बल्ब	गौरव कन्स्ट्रक्शन लखोली रोड़ राजनांदगांव
3	खेलकूद सामग्री	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
4	बैडमिंटन	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
5	बैडमिंटन शटल काक	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
6	कढ़ाई	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
7	कम्प्यूटर सेट	आई.टी. एप्लीकेशन अवंति विहार रायपुर
8	कूकर 22 लीटर	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
9	प्रेसर कूकर 12 लीटर	विनोद इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
10	मच्छरदानी	जिंदल जनरल सप्लायर किटका रोड़ सूरजपुर
11	पिलो	जे.एम. इंटरप्राइजेस प्रोफेसर कालोनी रायपुर
	पिलो	श्री गुप्ता गारमेंट्स राजनांदगांव
12	रिवातविग चेयर	अनूप इंटरप्राइजेस पचपेड़ी नाका रायपुर
13	थाली	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
14	फिनायल	धनवंतरी केमिकल्स पेन्ड्रा बिलासपुर
16	पंखा	कम्युनिकेशन सिस्टम बोरियाकला रायपुर
17	पलंग	बालाजी हस्त उद्योग शक्ति
	पलंग	छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज पनेका राजनांदगांव
	पलंग	ओम मेटल इंडस्ट्रीज शक्ति
18	प्लास्टिक चेयर नीलकमल	दीप सप्लायर राजनांदगांव
19	ट्रेकसूट जूता	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
20	रबरआईजड क्वायर बेड मैट्रेस	रुद्रा इंटरप्राइजेस रामनगर जौनपुर उ0प्र0
	रबरआईजड क्वायर बेड मैट्रेस	दीप सप्लायर राजनांदगांव
	रबरआईजड क्वायर बेड मैट्रेस	जे.एम. इंटरप्राइजेस प्रोफेसर कालोनी रायपुर
21	सबमर्सिबल पंप	जे.एम. इंटरप्राइजेस प्रोफेसर कालोनी रायपुर
22	स्टील आलमारी	एस.के.ईण्डस्ट्रीज कैलाश नगर राजनांदगांव
	स्टील आलमारी	वर्षा इंडस्ट्रीज बेमेतरा
23	स्टूडेंट बेंच	जयशवाल स्टील फर्नीचर इंडस्ट्रीज सोमनी राजनांदगांव
	स्टूडेंट बेंच	मुकेश वुड वर्क्स इंडस्ट्रीज राजनांदगांव
24	डोरमेट	सचिन ट्रेडर्स नवापारा राजिम
25	व्हालीवाल	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
26	फूल प्लेट	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
27	टयूबलाईट	जे.एम. इंटरप्राइजेस प्रोफेसर कालोनी रायपुर
	टयूबलाईट	कम्युनिकेशन सिस्टम बोरियाकला रायपुर
28	पानी टंकी 1500 लीटर	दीप सप्लायर राजनांदगांव
29	आफिस चेयर	एस.के.ईण्डस्ट्रीज कैलाश नगर राजनांदगांव
30	आफिस टेबल	एस.के.ईण्डस्ट्रीज कैलाश नगर राजनांदगांव
30	गंज	गायत्री इंटरप्राइजेस बालगोविन्द चौक राजनांदगांव
31	ग्रीन बोर्ड	श्री बालाजी हस्त उद्योग शक्ति

एल.एल.ई. मद

क्र.	सामग्री का नाम	एजेन्सी का नाम
1	फूटबाल	भारत मार्केटिंग वार्ड नं. 4 सदरलाईन राजनांदगांव
2	फूटबाल नेट	यश इंटरप्राइजेय राजनांदगांव
3	क्वलीबाल	यश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
4	क्वलीवाल नेट	मां गंगा इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
5	क्रिकेट बैट	यश इंटरप्राइजेय राजनांदगांव
6	टेनिस बाल	भारत मार्केटिंग वार्ड नं. 4 सदरलाईन राजनांदगांव
7	क्रिकेट स्टंप	यश इंटरप्राइजेय राजनांदगांव
8	बेडमिंटन रैकेट	गुरुदेव इंटरप्राइजेस भिलाई
9	शटल काक	मां गंगा इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
10	बेडमिंटन नेट	मां गंगा इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
11	चेस बोर्ड	मां गंगा इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
12	स्कीपिंग रोप	यश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
13	हैंडबाल	भारत मार्केटिंग वार्ड नं. 4 सदरलाईन राजनांदगांव
14	आरो प्यूरीफायर	यश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
15	गार्डन बेंच	यश इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
16	टी.व्ही	भारत मार्केटिंग वार्ड नं. 4 सदरलाईन राजनांदगांव
17	स्मार्ट क्लास	मां गंगा इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
18	डायनिंग टेबल	गुरुदेव इंटरप्राइजेस भिलाई

डी.एम.एफ. मद

क्र.	सामग्री का नाम	एजेन्सी का नाम
1	बुक सेल्फ	वर्षा इंडस्ट्रीज बेमेतरा
2	सिलिंग फेन	भीम एनर्जी एडवाइजर-रायपुर
3	सिलिंग फेन	कुशल कन्ट्रक्शन रायपुर
4	सिलिंग फेन	कुशल कन्ट्रक्शन रायपुर

परियोजना मद

क्र.	सामग्री का नाम	एजेन्सी का नाम
1	कम्प्यूटर लैब	मां गंगा इंटरप्राइजेस राजनांदगांव
2	वाटर कूलर	कम्यूनिकेशन सिस्टम रायपुर
	वाटर प्यूरीफायर	
3	सिनेटरी नेपकीन	आरएसयू ए टू जेड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड रायपुर
4	स्मार्ट क्लास विथ कानटेन्ट साफ्टवेयर की स्थापना	समरीद्धी इंटरप्राइजेस, ओ.यू.आई.टी.सी.टी. कम्प्यूटर बउरीपारा, अंबिकापुर

वर्ष 2020-21

विभागीय मद

क्र.	सामग्री का नाम	एजेन्सी का नाम
1	2	3
1	बेड स्टडी टेबल	मनीषा इंडस्ट्रीज, वार्ड नं. 15 पो. सक्ती जिला राजनांदगांव
2	आलामारी बड़ा	मेसर्स वर्षा इंडस्ट्रीज दुर्ग रोड बेमेतरा
3	आलामारी छोटा	मेसर्स वर्षा इंडस्ट्रीज दुर्ग रोड बेमेतरा
4	आलामारी छोटा	मेसर्स मां चन्द्रहासिनी उद्योग, नियर राममंदिर पो. सक्ती जिला जांजगीर चांपा
5	कैरम बोर्ड	गायत्री इंटरप्राइजेस, बालगोविंद चौक, राजनांदगांव
6	मारिकटो किलर	दीप सप्लायर, राजनांदगांव
7	मारिकटो नेट (मच्छरदानी)	मेसर्स याशिका इंटरप्राइजेस, नियर जायसवाल आटा, चिखली, राजनांदगांव
8	रिवालविंग चेयर	मेसर्स एस.के. इंडस्ट्रीज, 2बी ममता नगर, राजनांदगांव
9	थाली	मेसर्स मनीषा इंडस्ट्रीज, वार्ड नं. 7 हटरी हास्पिटल रोड जांजगीर चांपा
10	गिलास	मेसर्स हनुमान स्टील, रतनपुर रोड छोटी कोनी, बिलासपुर
11	हेवी एलमीनियमयूटेनसील्स 1 लीटर	महामाया एग्रो, सक्ती जिला जांजगीर चांपा
12	पलंग	मेसर्स एसके इंडस्ट्रीज, 2बी ममता नगर राजनांदगांव
13	रबराइज्ड क्वायर बेड मैट्रेस (गद्दा)	मेसर्स श्री विघनेश्वर फाईबर प्राइवेट लिमि. हिलटीप सिल्वर के पीछे फक्शन हाल मेनडीपटनम रोड हैदराबाद
14	रबराइज्ड क्वायर बेड मैट्रेस (गद्दा)	मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस, बेमेतरा
15	रबराइज्ड क्वायर पिलो	मेसर्स श्री विघनेश्वर फाईबर प्राइवेट लिमि. हिलटीप सिल्वर के पीछे फक्शन हाल मेनडीपटनम रोड हैदराबाद
16	रबराइज्ड क्वायर पिलो	मेसर्स यूनिक इंटरप्राइजेस, बेमेतरा
17	रेड बल्ब 23 वॉट	संजय सिंह पायल काम्प्लेक्स, जय स्तंभ रोड, राजनांदगांव
18	स्टील बाल्टी बकेट	मेसर्स हनुमान स्टील, रतनपुर रोड छोटी कोनी, बिलासपुर
19	स्टेनलेश स्टील पल्टा	मेसर्स हनुमान स्टील, रतनपुर रोड छोटी कोनी, बिलासपुर
20	स्टूडेंट चेयर	मेसर्स सिंग इंडस्ट्रीज ग्राम बोरी राजनांदगांव
21	स्टूडेंट चेयर	मुकेश वुड वर्कर्स इंडस्ट्रीज आरा मशीन राजनांदगांव
22	स्टूडेंट चेयर	मेसर्स मां चन्द्रहासिनी उद्योग, नियर राममंदिर पो. सक्ती जिला जांजगीर चांपा
23	स्टूडेंट टेबल	मुकेश वुड वर्कर्स इंडस्ट्रीज आरा मशीन राजनांदगांव
24	स्टूडेंट टेबल	मेसर्स मां चन्द्रहासिनी उद्योग, नियर राममंदिर पो. सक्ती जिला जांजगीर चांपा
25	स्टूडेंट टेबल	मेसर्स सिंग इंडस्ट्रीज ग्राम बोरी राजनांदगांव
26	एमडी एफ बोर्ड में कपडा टांगने की खूटी	मेसर्स सिंग इंडस्ट्रीज ग्राम बोरी राजनांदगांव
27	दीवाल घड़ी	मेसर्स एस.के. इंटरप्राइजेस, बसंतपुर, राजनांदगांव
28	आफिस टेबल	मेसर्स अकित इंडस्ट्रीज, ओल्ड बस स्टैण्ड, राजनांदगांव
29	वाटर टैंक	संजय सिंह पायल काम्प्लेक्स, जय स्तंभ रोड, राजनांदगांव
30	चम्मच	गायत्री इंटरप्राइजेस, बालगोविंद चौक, राजनांदगांव
31	चाय कन्टेनर	गायत्री इंटरप्राइजेस, बालगोविंद चौक, राजनांदगांव
32	प्रेसर कुकर 15 लीटर	मेसर्स मनीषा इंडस्ट्रीज, वार्ड नं. 7 हटरी हास्पिटल रोड जांजगीर चांपा

क्र.	सामग्री का नाम	एजेंसी का नाम
1	2	3
33	प्रेसर कुकर 18 लीटर	महामाया एग्री, सक्ती जिला जांजगीर चांपा
34	डायनिंग टेबल	श्री संजय सिंह, राजनांदगांव
35	आफिस रिवालविंग चेयर	मुकेश वुड वकर्स इंडस्ट्रीज आरा मशीन राजनांदगांव
36	आफिस चेयर	मुकेश वुड वकर्स इंडस्ट्रीज आरा मशीन राजनांदगांव
37	आफिस टेबल	मुकेश वुड वकर्स इंडस्ट्रीज आरा मशीन राजनांदगांव

98

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2664) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

जिले का नाम – रायपुर

प्रश्नांश	प्रश्न	उत्तर
प्रश्नांश (क)	क्या नामांतरण पंजी में मैनुवल रूप से कार्य करना बंद कर दिया गया है यदि हाँ, तो कब से तथा क्यों ?	दिनांक 01 सितंबर 2020 से नामांतरण पंजी का मैनुवल रूप से कार्य करना बंद कर दिया गया है।
प्रश्नांश (ख)	क्या ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर अन्य सुविधाये प्रदान की गयी है तथा क्या संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है ?	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर.आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य सुविधाएं प्रदान किया गया हैं। नामांतरण कार्य से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया हैं।
प्रश्नांश (ग)	रायपुर संभाग में तहसीलदार के आई डी में नामांतरण हेतु भेजे गये कितने प्रकरणों का निराकरण तथा नामांतरण पश्चात अभिलेख दुरुस्त कर दिया गया है ? कितने प्रकरण लंबित है तथा लंबित होने के क्या कारण है ?	रायपुर जिला के तहसीलदार के आईडी में 29316 प्रकरण भेजे गये है। 17546 प्रकरण निराकृत कर लिया गया है। लंबित प्रकरणों को समय-सीमा के भीतर निराकृत कर लिया जावेगा। ईशतहार की अवधि न्यूनतम 15 दिवस पूर्ण नहीं होने की स्थिति में, पटवारी द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त होने तथा समय-सीमा के भीतर प्रकियाधीन होने के कारण लंबित हैं।

जिले का नाम – गरियाबंद

	प्रश्न	उत्तर
प्रश्नांश (क)	क्या नामांतरण पंजी में मैनुवेल रूप से कार्य करना बंद कर दिया गया है यदि हाँ, तो कब से तथा क्यों ?	दिनांक 31.08.2020 से नामांतरण पंजी में मैनुवेल रूप से काम करना बंद कर दिया गया है।
प्रश्नांश (ख)	क्या ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर अन्य सुविधाये प्रदान की गयी है तथा क्या संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है ?	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर.आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर व अन्य सुविधाएं प्रदान किया गया है। नामांतरण कार्य से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
प्रश्नांश (ग)	रायपुर संभाग में तहसीलदार के आई डी में नामांतरण हेतु भेजे गये कितने प्रकरणों का निराकरण तथा नामांतरण पश्चात अभिलेख दुरुस्त कर दिया गया है ? कितने प्रकरण लंबित है तथा लंबित होने के क्या कारण है ?	7083 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। 7083 नामांतरण प्रकरणों में 5946 प्रकरणों में आदेश पारित पश्चात अभिलेख दुरुस्ती किया जा चुका है। 1137 प्रकरण अभिलेख दुरुस्ती हेतु लंबित है। 3540 प्रकरण समय-सीमा के लंबित हैं। लंबित प्रकरण हल्का पटवारी प्रतिवेदन पक्षकार उपस्थिति नामांतरण के अवलोकन आदि स्तर पर लंबित है। जिसके जांच पश्चात् नियमानुसार आदेश पारित कर निराकरण किया जावेगा।

जिले का नाम – महासमुन्द

	प्रश्न	उत्तर
प्रश्नांश (क)	क्या नामांतरण पंजी में मैनुवेल रूप से कार्य करना बंद कर दिया गया है यदि हाँ, तो कब से तथा क्यों ?	दिनांक 31.08.2020 से नामांतरण पंजी में मैनुवेल रूप से काम करना बंद कर दिया गया है।
प्रश्नांश (ख)	क्या ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर अन्य सुविधाये प्रदान की गयी है तथा क्या संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है ?	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर.आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर व अन्य सुविधाएं प्रदान किया गया है। नामांतरण कार्य से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
प्रश्नांश (ग)	रायपुर संभाग में तहसीलदार के आई डी में नामांतरण हेतु भेजे गये कितने प्रकरणों का निराकरण तथा नामांतरण पश्चात अभिलेख दुरुस्त कर दिया गया है ? कितने प्रकरण लंबित है तथा लंबित होने के क्या कारण हैं ?	महासमुन्द जिले अन्तर्गत नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदन में से 9696 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा अभिलेख दुरुस्ती किया जा रहा है। कुल 3123 प्रकरण समय-सीमा के लंबित हैं। पंजीयन कार्यालय से दस्तावेज विलंब से अपलोड होने के कारण प्रकरण लंबित है।

जिले का नाम – महासमुन्द

	प्रश्न	उत्तर
प्रश्नांश (क)	क्या नामांतरण पंजी में मैनुवल् रूप से कार्य करना बंद कर दिया गया है यदि हाँ, तो कब से तथा क्यों ?	दिनांक 31.08.2020 से नामांतरण पंजी में मैनुवल् रूप से काम करना बंद कर दिया गया है।
प्रश्नांश (ख)	क्या ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर अन्य सुविधायें प्रदान की गयी है तथा क्या संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है ?	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर.आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर व अन्य सुविधाएं प्रदान किया गया है। नामांतरण कार्य से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
प्रश्नांश (ग)	रायपुर संभाग में तहसीलदार के आई डी में नामांतरण हेतु भेजे गये कितने प्रकरणों का निराकरण तथा नामांतरण पश्चात अभिलेख दुरुस्त कर दिया गया है ? कितने प्रकरण लंबित है तथा लंबित होने के क्या कारण हैं ?	महासमुन्द जिले अन्तर्गत नामांतरण हेतु प्राप्त आवेदन में से 9696 प्रकरणों का निराकरण किया गया तथा अभिलेख दुरुस्ती किया जा रहा है। कुल 3123 प्रकरण समय-सीमा के लंबित हैं। पंजीयन कार्यालय से दस्तावेज विलंब से अपलोड होने के कारण प्रकरण लंबित है।

जिले का नाम – बलौदाबाजार-भाटापारा

	प्रश्न	उत्तर
प्रश्नांश (क)	क्या नामांतरण पंजी में मैन्युवल रूप से कार्य करना बंद कर दिया गया है यदि हाँ, तो कब से तथा क्यों ?	दिनांक 31.08.2020 से नामांतरण पंजी में मैन्युवल रूप से काम करना बंद कर दिया गया है।
प्रश्नांश (ख)	क्या ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर अन्य सुविधायें प्रदान की गयी है तथा क्या संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है ?	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर.आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्केनर, प्रिन्टर व अन्य सुविधाएं प्रदान किया गया है। नामांतरण कार्य से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
प्रश्नांश (ग)	रायपुर संभाग में तहसीलदार के आई डी में नामांतरण हेतु भेजे गये कितने प्रकरणों का निराकरण तथा नामांतरण पश्चात अभिलेख दुरुस्त कर दिया गया है ? कितने प्रकरण लंबित है तथा लंबित होने के क्या कारण है ?	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के अंतर्गत तहसीलदार के आई.डी. में भेजे गये 16844 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। 16639 प्रकरणों की अभिलेख दुरुस्ती कर दिया गया है एवं 205 प्रकरण अभिलेख दुरुस्ती हेतु शेष है। ईशतहार की अवधि न्यूनतम 15 दिवस पूर्ण नहीं होने की स्थिति में, पटवारी द्वारा प्रतिवेदन अप्राप्त होने तथा समय-सीमा के भीतर प्रक्रियाधीन हान के कारण लंबित हैं।

जिले का नाम – धमतरी

	प्रश्न	उत्तर
प्रश्नांश (क)	क्या नामांतरण पंजी में मैन्युवल रूप से कार्य करना बंद कर दिया गया है यदि हाँ, तो कब से तथा क्यों ?	दिनांक 31.08.2020 के पश्चात् मैन्युवल नामांतरण पंजी की प्रक्रिया को समाप्त कर ऑनलाईन नामांतरण पंजी के माध्यम से नामांतरण की कार्यवाही की जा रही हैं।
प्रश्नांश (ख)	क्या ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर अन्य सुविधायें प्रदान की गयी है तथा क्या संबंधित अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया है ?	ऑनलाईन नामांतरण के लिये प्रत्येक पटवारी व आर.आई को शासन द्वारा कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिन्टर व अन्य सुविधाएं प्रदान किया गया है। नामांतरण कार्य से संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
प्रश्नांश (ग)	रायपुर संभाग में तहसीलदार के आई डी में नामांतरण हेतु भेजे गये कितने प्रकरणों का निराकरण तथा नामांतरण पश्चात अभिलेख दुरुस्त कर दिया गया है ? कितने प्रकरण लंबित है तथा लंबित होने के क्या कारण है ?	जिला धमतरी में तहसीलदार आई.डी. में नामांतरण 19580 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है तथा नामांतरण पश्चात् 17825 प्रकरणों का अभिलेख दुरुस्ती कर लिया गया है, अभिलेख दुरुस्ती हेतु 1755 प्रकरण लंबित हैं। शेष प्रकरणों का निराकरण आवेदक /अनावेदक के दस्तावेज एवं साक्ष्य, पुनरीक्षण, आपत्ति तथा कोविड-19 के कारण आवेदकों को रोस्टर पद्धति से आहूत कर न्यायालय में सुनवाई करने के कारण प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में नहीं हो पाया, जल्द ही निराकरण कर लिया जावेगा।

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 2712) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

बिलासपुर जिले के मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित छात्रावासों एवं उनमें निवासरत बालक/बालिकाओं की जानकारी

क्र	छात्रावास का नाम	स्वीकृत सीट	भरे सीट
1	2	3	4
1	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मस्तूरी	50	42
2	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बुढीखार	50	50
3	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लोहसीसोन	50	50
4	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा	50	49
5	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पचपेड़ी	50	20
6	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मस्तूरी	50	50
7	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मानिकचौरी	50	50
8	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भटचौरा	50	50
योग		400	361
1	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी	50	45
2	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी	50	60
3	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सीपत	50	20
4	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सोन	50	50
योग		200	175
महायोग		600	536

प्रपत्र "ब"

बिलासपुर जिले के मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में संचालित छात्रावासों में पदस्थ अधीक्षकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी

क्र	छात्रावास का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	2	3	4
1	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मस्तूरी	01	0
2	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मस्तूरी	01	01
3	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी	01	01
4	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मस्तूरी	01	0
5	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सीपत	01	0
6	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सोन	01	01
7	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बुढ़ीखार	01	0
8	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास लोहर्सीसोन	01	01
9	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास भटचौरा	01	0
10	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पचपेड़ी	01	0
11	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मानिकचौरी	01	0
12	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास भटचौरा	01	0
योग		12	4

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 1947) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	तहसील	शासकीय राजस्व भूमि पर कब्जाधारियों को पट्टा वितरण	वितरित वन अधिकार पत्र		
			शासकीय राजस्व वन भूमि पर कब्जाधारियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का वितरण	शासकीय वन भूमि पर कब्जाधारियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र का वितरण	योग
1.	धरमजयगढ़	0	25	10	35
2.	रायगढ़	0	41	09	50
3.	तमनार	0	47	00	47
4.	घरघोड़ा	0	20	00	20
5.	पुसौर	0	00	00	00
6.	लैलुंगा	0	00	00	00
7.	सारंगढ़	0	00	00	00
8.	बरमकेला	0	00	00	00
9.	खरसिया	0	00	00	00
	योग	0	133	19	152

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से
संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "दस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1103) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अकलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित छात्रावासों की जानकारी

क	विकासखण्ड	संस्था का नाम
1	2	3
1	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास अकलतरा
2	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास अकलतरा
3	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास नरियारा
4	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास कापन
5	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास कोटमी सुनार
6	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास हरदी जर्वे
7	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास तिलई
8	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास पोडीदलहा
9	अकलतरा	प्री. मै. अनु. ज. जाति बालक , छात्रावास अलकतरा
10	अकलतरा	पोस्ट मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास अकलतरा
11	अकलतरा	पोस्ट मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास अकलतरा
12	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास बलौदा
13	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास बलौदा
14	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास खिसोरा
15	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास बुड़गहन
16	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास पहरिया
17	बलौदा	नवीन प्री. मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास रवैजा
18	बलौदा	प्री. मै. अनु. ज. जाति बालक , छात्रावास बलौदा
19	बलौदा	पोस्ट मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास चारपारा

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से
संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "दस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 1103) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

अकलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित छात्रावासों की जानकारी

क	विकासखण्ड	संस्था का नाम
1	2	3
1	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास अकलतरा
2	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास अकलतरा
3	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास नरियारा
4	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास कापन
5	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास कोटमी सुनार
6	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास हरदी जर्वे
7	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास तिलई
8	अकलतरा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास पोडीदलहा
9	अकलतरा	प्री. मै. अनु. ज. जाति बालक , छात्रावास अकलतरा
10	अकलतरा	पोस्ट मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास अकलतरा
11	अकलतरा	पोस्ट मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास अकलतरा
12	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास बलौदा
13	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास बलौदा
14	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास खिसोरा
15	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास बुड़गहन
16	बलौदा	प्री. मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास पहरिया
17	बलौदा	नवीन प्री. मै. अनु. जाति बालक , छात्रावास रवैजा
18	बलौदा	प्री. मै. अनु. ज. जाति बालक , छात्रावास बलौदा
19	बलौदा	पोस्ट मै. अनु. जाति कन्या , छात्रावास चारपारा

प्रपत्र "ब"

अकलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित छात्रावासों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 में दिनांक 30-01-2021 तक प्रदाय की गई सामग्री की जानकारी

क्र.	छात्रावास का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपलब्ध कराई गई सामग्री का नाम	वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 30.01.2021 तक उपलब्ध कराई गई सामग्री का नाम
1	2	3	4
1	पो.मै.अनु.जाति बालक छात्रावास,		
2	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रा0, अकलतरा		
3	प्री मै.अ.ज.जा.बा.छात्रावास अकलतरा		
4	प्री मै.अ.जा.बा.छात्रावास अकलतरा		
5	प्री मै.अ.जा.क.छात्रावास अकलतरा		
6	प्री मै.अ.जा.क.छात्रावास नरियरा		
7	प्री0मै0अ.जा. कन्या छात्रावास पोड़ीदलहा		
8	प्री0मै0अ.जा. कन्या छात्रावास कापन		
9	प्री0मै0अ.जा. कन्या छात्रावास कोटमीसुनार	रंगीन चादर, एल.ई.डी. बल्ब (12 वाट), फिनाईल, मच्छरदानी	गद्दा, लोहा पलंग, चम्मच (बड़ा), करछुल, झारा, गिलास, पानी टंकी, जग, प्रेशर कूकर 10ली., प्रेशर कूकर 20ली., कंबल उलन रंगीन, फीज, लोहा तखत, सिलिंग फैन, सी.सी.टी.व्ही.
10	प्री0मै0 अ.जा.कन्या छात्रावास हरदी जर्वे		
11	प्री0मै0अ.जा. कन्या छात्रावास तिलई		
12	पो.मै.अनु.जाति कन्या छात्रा0, चारपारा		
13	प्री मै.अ.ज.जा.बा.छात्रावास बलौदा		
14	प्री मै.अ.जा.बा.छात्रावास बलौदा		
15	प्री मै.अ.जा.बा.छात्रावास खिसोरा		
16	प्री.मै.अनु.जाति बा.छात्रावास खैजा		
17	प्री.मै.अनु.जाति क0 छात्रावास बलौदा		
18	प्री0मै0 अ.जा.कन्या छात्रावास बुड़गहन		
19	प्री0मै0अ.जा. कन्या छात्रावास पहरिया		

प्रपत्र "स"

अकलतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित छात्रावासों में वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 में दिनांक 30-01-2021 तक क्रय की गई सामग्री के मद/दर/एजेंसी की जानकारी

मद का नाम	क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	फर्म / एजेंसी का नाम
1	2	3	4
विभागीय मद सामग्री प्रतिपूर्ति मद	रंगीन चादर	323.27	छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं वितरण सहकारी संघ मर्यादा रायपुर
विभागीय मद सामग्री प्रतिपूर्ति मद	एल0ई0डी0 बल्ब (12 वाट)	249.75	सूरज इंटरप्राइजेस जरहा भाटा बिलासपुर
	एल0ई0डी0 बल्ब (12 वाट)	246.4	छत्तीसगढ़ इंटरप्राइजेस सूरजपुर
	फिनाईल	44.83	नलिन मेडिकल स्टोर सूरजपुर
	रंगीन चादर	339.43	छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं वितरण सहकारी संघ मर्यादा रायपुर
	मच्छरदानी	204.75	छत्तीसगढ़ सुपरसेल्स केरता रोड सुरजपुर
	गद्दा	4166	अग्रवाल फाउण्डरी एंड फेब्रीकेशन वर्क्स कोरबा रोड, चांपा
		4166	रिबिन साल्युशन, अनुपम नगर रायपुर
		4166	आर. जे. फर्निचर हाउस, लोधी-पारा, रायपुर
	लोहा पलंग	5999	अग्रवाल फाउण्डरी एंड फेब्रीकेशन वर्क्स कोरबा रोड, चांपा
	लोहा पलंग	5800	रिबिन साल्युशन, अनुपम नगर रायपुर
विभागीय मद सामग्री प्रतिपूर्ति मद	चम्मच/बड़ा वाला	219.9	मनीषा इण्डस्ट्रीज सक्ती
	करछूल	219.9	
	झारा	219.9	
	गिलास	99.99	
	पानी टंकी	1800	
	जग	500	
	प्रेसर कूकर, 10ली.	4500	
	प्रेसर कूकर, 20ली.	5000	
	कंबल उलन रंगीन	594.36	छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं वितरण सहकारी संघ मर्यादा रायपुर
डी0एम0एफ0	एल0जी0 फ्रीज	32990.00	टूटेजा इंटरप्राइजेस, तेलीपारा बिलासपुर
	लोहा तखत	5542.00	सागर इण्डस्ट्रीज, शारदा चौक जांजगीर
	गद्दा	4953.00	
	सिलिंग फेन	2452.45	
		2048.00	
		2868.00	आसियन इंटरप्राइजेस, शारदा चौक जांजगीर
	सी.सी.टी.वी. कैमरा	100000.00	साल्युशन डाट कॉम भटगांव चौक, राधा स्वामी नगर रायपुर बालाजी कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमि. जेल रोड रायपुर

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 1306) के भाग (क) की जानकारी]

वस्त्र, फर्म का नाम मात्रा एवं लागत की जानकारी

स.क्र	जिला का नाम	वस्त्र	फर्म का नाम	मात्रा	राशि रु
1	लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग.	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	132 मीटर 04 नग साड़ी	24,174.00
2	रायपुर	वर्दी कपड़ा	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर/ छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	690 मीटर 20 साड़ी	1,26,850.00
3	धमतरी	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	69 सेट	49,354.00
4	महासमुंद	वर्दी कपड़ा	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर	34 मीटर 14 नग साड़ी	14,000.00
5	बिलासपुर	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	81 मीटर 6 नग साड़ी	16,005.87
6	कोरबा	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	2 सेट (बस्ता व अन्य)	13,970
7	जॉजगीर-चांपा	उनल कम्बल दरी	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	उनल कम्बल दरी	13,775.00
8	रायगढ़	वर्दी कपड़ा	50 मीटर	50 मीटर	14,000.00
9	जशपुर	वर्दी कपड़ा	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड बिलासपुर	25 मीटर 10 नग साड़ी	13,750.00
10	दुर्ग	वर्दी कपड़ा	स्वदेशी खादी भण्डार	42.75 मीटर	17,932.50

11	बेमेतरा	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	75° मीटर 12 नग साड़ी	10,768.83
12	राजनौदगॉव		छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. राजनौदगॉव	30 मीटर 8 सेट	15,746.00
13	कबीरधाम	वर्दी कपड़ा	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड राजनौदगॉव	97 सेट	24,183.00
14	सरगुजा	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	321 मीटर 100 नग साड़ी	2,72,720.00
15	सुरजपुर	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. सुरजपुर	58.5 मीटर 10 नग साड़ी	14,349.00
16	कोरिया	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	124 मीटर 16 नग साड़ी	30,663.00
17	रामानुजगंज	वर्दी कपड़ा	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड रायपुर	30 मीटर	14,000.00
18	बस्तर जगदलपुर	वर्दी कपड़ा	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड चित्रकोट रोड जगदलपुर	57 मीटर 70 नग बस्ता	27,160.00
19	दन्तेवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
20	कांकर	वर्दी कपड़ा	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड धमतरी	421 मीटर	3,52,485.00
21	बलौदाबाजार	वर्दी	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	59 सेट	41,300.00

22	बालोद	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	626.38 मीटर	1,49,080.17
23	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
24	मुंगेली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
25	कोण्डागाँव	वर्दी कपड़ा	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जगदलपुर	97.47 मीटर 07 नग साडी	27,610.00
26	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
27	नारायणपुर	वर्दी कपड़ा	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जगदलपुर	308.99 मीटर 43 नग साडी	1,41,501.00
28	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	थनरंक
29	सक्ति	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. चांपा	181.50 मीटर	63,582.00
30	संयुक्त संचालक कार्यालय दूर्ग	वर्दी कपड़ा	छ.ग. राज्य हाथ करघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्या. रायपुर	36 मीटर	6,664.00

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 2174) के भाग (क) की जानकारी]

समितिवार धान खरीदी की जानकारी

क्र	समिति/उपार्जन केन्द्र का नाम	वर्ष			
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	अफरीद	38346.80	40650.40	40795.60	42867.20
2	चौरिया	38150.40	41364.00	42385.60	41986.40
3	झर्रा	39874.20	43297.46	44509.60	46108.80
4	बम्हनीनडीह	28860.80	31183.60	34770.40	40241.60
5	लखाली	30598.40	32060.40	33732.20	33830.40
6	सरागांव	33559.60	41466.80	39343.20	41453.20
	योग	209390.20	230022.66	235536.60	246487.60

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 2697) के भाग (क) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2019-20 में संकुलों की जानकारी जिसके लिए फर्नीचर क्रय किया गया

विकासखंड का नाम	संकुल का नाम
2	3
नारायणपुर	नारायणपुर
नारायणपुर	माहका
नारायणपुर	बाकुलवाही
नारायणपुर	जम्हरी
नारायणपुर	भाटपाल
नारायणपुर	भारण्डा
नारायणपुर	छाटेडोंगर
नारायणपुर	महिमागवाडी
नारायणपुर	फसरगांव
नारायणपुर	सुलेंगा धौड़ाई
नारायणपुर	बेनूर
नारायणपुर	दण्डवन
नारायणपुर	राजपुर
नारायणपुर	एड़का
नारायणपुर	गढबेंगाल
नारायणपुर	धौड़ाई
नारायणपुर	रेमावण्ड
नारायणपुर	मढोनार
ओरछा	नेडनार
ओरछा	बेड़मा
ओरछा	कोहकामेटा
ओरछा	गोमागाल
ओरछा	गारपा
ओरछा	जबगुण्डा
ओरछा	जाटलूर
ओरछा	ओरछा
ओरछा	गोमे
ओरछा	कोर्गे
ओरछा	कुरुषनार
ओरछा	डुंगा

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2020-21 में दिनांक 26-02-2021 तक संकुलों की जानकारी जिसके लिये फर्नीचर क्रय किया गया

क्रमांक	विकासखंड का नाम	नवीन संकुल का नाम
1	2	3
1	नारायणपुर	बखरूपारा
2	नारायणपुर	मुरियापारा
3	नारायणपुर	महावीरचौक
4	नारायणपुर	बिजली
5	नारायणपुर	खौराभाट
6	नारायणपुर	बम्हनी
7	नारायणपुर	डूमरतराई
8	नारायणपुर	बोरण्ड
9	नारायणपुर	करमरी
10	नारायणपुर	बोराण्ड
11	नारायणपुर	कोलियारी
12	नारायणपुर	करलखा
13	नारायणपुर	सिंगोडीतरई
14	नारायणपुर	गुरिया
15	नारायणपुर	कोकेरबेड़ा
16	नारायणपुर	कोंगेरा
17	नारायणपुर	हलामीमुजमेटा
18	नारायणपुर	कन्हारगांव
19	नारायणपुर	गुलूमकोड़ी
20	नारायणपुर	मातला
21	नारायणपुर	उड़ीगांव
22	नारायणपुर	छिनारी
23	नारायणपुर	रायनार
24	नारायणपुर	ताड़ोपाल
25	नारायणपुर	आमासरा
26	नारायणपुर	देवगांव

	विकासखंड का नाम	नवीन संकुल का नाम
1	2	3
29	नारायणपुर	गौरदण्ड
30	ओरछा	धुरबेड़ा
31	ओरछा	करतुरमेटा
32	ओरछा	मोहन्दी
33	ओरछा	काकावाड़ा
34	ओरछा	कुन्दला
35	ओरछा	मकसोली
36	ओरछा	मेटानार
37	ओरछा	रोहताड़
38	ओरछा	आदेर
39	ओरछा	गुदाड़ी

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 2705) के भाग (क) की जानकारी]

क.	विद्यालय का नाम	मद का नाम	प्राप्त आंबटन (रु.में)	आंबटन व्यय के मद का नाम
1	2	3	4	5
1	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय महलपारा कोरिया	विभागीय मद	8190000	1. शाला भवन मरम्मत कार्य। 2. कर्मचारियों के वेतन भुगतान।
		जिला खनिज संस्थान न्यास निधि	2276844	
2	स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय चिरमिरी कोरिया	विभागीय मद	4300000	कर्मचारियों के वेतन भुगतान।
		जिला खनिज संस्थान न्यास निधि	1992590	

उपरोक्त दोनों शालाओं द्वारा कोई सामाग्री कय नही की गई है।

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 2718) के भाग (क) की जानकारी]

जिलावार फर्म, सामग्री, दर एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी

क्रं.	जिला	सत्र	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	दर	कुल राशि (रु. में)	भुगतान की गई राशि (रु.में)
1	राजनांदगांव	2019-20	मेमर्स क्रिस्टल इंडस्ट्रीज इंडिया इण्डस्ट्री प्लॉट नं. 44 एवं 45 बिरकोनी इण्डस्ट्रीरियल एरिया महासमुंद	भगोना	300 रु. प्रति कि.ग्रा.	7415266	6061972
				कढ़ाई	210 रु. प्रति कि.ग्रा.		
				जग	205.66 रु. प्रति कि.ग्रा.		
				तगारी	230 रु. प्रति कि.ग्रा.		
				प्रेसर कुकर	785 रु. प्रति नग		
	योग					7415266	6061972
	राजनांदगांव	2020-21	श्रीराम क्रियेशन कचना रायपुर छ.ग.	एल्युमिनियम एलोय 6 लीटर	1374 रु. प्रति नग	16065486	भुगतान नहीं की गई है।
				एल्युमिनियम एलोय 12 लीटर	2053 रु. प्रति नग		
			महेन्दर सेल कॉर्पोरेशन, टैगोर नगर, हनुमान. मंदिर, पचपेड़ी नाका रायपुर	धामा 0.600 ग्राम	390 रु. प्रति कि.ग्रा.		
				धामा 0.900 ग्राम	390 रु. प्रति कि.ग्रा.		
खलबत्ता 2.800 कि.ग्रा.				300 रु. प्रति कि.ग्रा.			
पल्टा (खुरपा) 350ग्रा.				390 रु. प्रति कि.ग्रा.			
पानी टंकी 2.300 कि.ग्रा.				220 रु. प्रति कि.ग्रा.			
पानी टंकी 2.800 कि.ग्रा.				220 रु. प्रति कि.ग्रा.			
दाल पात्र 0.850 कि.ग्रा.				300 रु. प्रति कि.ग्रा.			
तगारी 1 कि.ग्रा.				300 रु. प्रति कि.ग्रा.			
तगारी 1.400 कि.ग्रा.	300 रु. प्रति कि.ग्रा.						
चौमुखा 1.350 कि.ग्रा.	300 रु. प्रति कि.ग्रा.						
योग					16065486	0	

क्रं.	जिला	सत्र	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	दर	कुल राशि (रु. में)	भुगतान की गई राशि (रु. में)	
2	महासमुंद	2019-20	मेमर्स क्रिस्टल इंडस्ट्रीज इंडिया इण्डस्ट्री प्लॉट नं. 44 एवं 45 बिरकोनी इण्डस्ट्रीरियल एरिया महासमुंद	कुकर	1785 रु. प्रति नग	5019852	5019852	
				एल्यूमिनियम हाउस बिरकोनी	कढ़ाई			210 रु. प्रति कि.ग्रा
					भगोना			300 रु. प्रति कि.ग्रा
					जग			205.66 रु. प्रति कि.ग्रा
					तगारी			230 रु. प्रति कि.ग्रा
		योग				5019852	5019852	
महासमुंद	2020-21	एल्यूमिनियम हाउस बिरकोनी	चौमुखा (1.350 कि.ग्रा.)	300 रु. प्रति कि.ग्रा	11061982	भुगतान नहीं की गई है।		
			खलबत्ता (2.20 कि.ग्रा.)	300 रु. प्रति कि.ग्रा				
			पोहा चलनी (1.20 कि.ग्रा.)	390 रु. प्रति कि.ग्रा				
			धामा (900 ग्रा.)	390 रु. प्रति कि.ग्रा				
			तगारी (1 कि.ग्रा.)	300 रु. प्रति कि.ग्रा				
			तगारी (1.400 कि.ग्रा.)	300 रु. प्रति कि.ग्रा				
			धामा (600 ग्रा.)	390 रु. प्रति कि.ग्रा				
			पल्टा (खुरपा) (350 ग्रा.)	390 रु. प्रति कि.ग्रा				
			पानी की टंकी 2.800 कि.ग्रा.	220 रु. प्रति कि.ग्रा				
			पानी की टंकी 2.300 कि.ग्रा.	220 रु. प्रति कि.ग्रा				
			दाल पात्र	300 रु. प्रति कि.ग्रा				
			श्रीराम क्रियेशन कचना रायपुर छ.ग.	एल्युमिनियम एलोय 6 लीटर			1374 रु. प्रति नग	
				एल्युमिनियम एलोय 12 लीटर			2053 रु. प्रति नग	
				योग				

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 2725) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	जिला	बी.पी.एल. वर्ग के प्रवेशित बच्चों की संख्या	
		2019	2020
1	2	3	4
1	कोरिया	632	829
2	रायपुर	3365	4483
3	बलौदाबाजार	2353	2043
4	महासमुन्द	1154	1214
5	धमतरी	1123	1231
6	दुर्ग	3211	3621
7	बालोद	494	833
8	बेमेतरा	840	891
9	राजनांदगांव	2389	2568
10	कबीरधाम	5547	6184
11	बिलासपुर	2963	4058
12	जांजगीर	1552	2118
13	कोरबा	3087	3940
14	रायगढ़	1400	1591
15	जशपुर	1045	965
16	अम्बिकापुर	1336	1276
17	बलरामपुर	926	920
18	सूरजपुर	2198	1533
19	बस्तर	764	797
20	नारायणपुर	82	86
21	कोण्डागांव	365	301
22	कांकेर	702	964
23	दन्तेवाड़ा	149	158
24	बीजापुर	241	302
25	सुकमा	449	505
26	गरियाबंद	620	764
27	मुंगेली	879	1710
28	सक्ती	755	1162
	योग	40621	47047

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "सत्रह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1110) के भाग (क) की जानकारी]

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड अकलतरा में वर्ष 2019 एवं 2020 में गणवेश प्रदाय की जानकारी

क्र.	शाला का नाम	छात्र/छात्राओं की संख्या	
		सत्र	
		2019	2020
1	शा.प्रा.शाला बा.अकलतरा	60	55
2	शा.प्रा.शाला क.अकलतरा	61	45
3	शा.प्रा.शाला खटोला	173	141
4	शा.प्रा.शाला कापन	140	118
5	शा.प्रा.शाला पोड़ीभाठा	117	109
6	शा.प्रा.शाला अंधियारीपाठ	93	80
7	शा.प्रा.शाला रामपुर कापन	10	10
8	शा.प्रा.शाला गुरुघासीदास अकलतरा	126	83
9	शा.प्रा.शाला गोपियापारा अकलतरा	58	56
10	शा.प्रा.शाला नायकटांड	116	91
11	शा.प्रा.शाला खपरीडीह	49	46
12	शा.प्रा.शाला खिसोरा	165	136
13	शा.प्रा.शाला लेबर कालोनी	60	51
14	शा.प्रा.शाला संजयनगर अकलतरा	128	105
15	शा.पू.मा.शाला पोड़ीभाठा	66	60
16	शा.क.पू.मा.शाला अकलतरा	250	201
17	शा.बा.पू.मा.शाला अकलतरा	67	57
18	शा.पू.मा.शाला गु.घा.दास अकलतरा	106	100
19	शा.पू.मा.शाला खटोला	103	83
20	शा.पू.मा.शाला कापन	139	111
21	शा.पू.मा.शाला अंधियारीपाठ अकलतरा	71	64
22	शा.जन.प्रा.शाला तरौद	95	79
23	शा.प्रा.शाला अर्जुन नगर तरौद	62	53
24	शा.प्रा.शाला उन्न.देवकिरारी	75	66
25	शा.प्रा.शाला बनाहिल	65	58
26	शा.प्रा.शाला सब.डेरा बनाहिल	45	43
27	शा.प्रा.शाला नवापारा अमोरा	58	53
28	शा.प्रा.शाला आमानारा अमोरा	42	39
29	शा.प्रा.शाला मुरलीडीह ठाकुर	66	61
30	शा.प्रा.शाला देवकिरारी	65	57
31	शा.प्रा.शाला रोगदा	54	52
32	शा.प्रा.शाला अमोरा	53	52
33	शा.पू.मा.शाला तरौद	113	95
34	शा.पू.मा.शाला रोगदा	37	36
35	शा.पू.मा.शाला अमोरा	51	47
36	शा.पू.मा.शाला मुरलीडीह ठाकुर	50	50
37	शा.पू.मा.शाला देवकिरारी	104	85
38	शा.पू.मा.शाला बनाहिल	63	60

39	शा.प्रा.शाला पौना	158	135
40	शा.प्रा.शाला मुरली कंजी	98	96
41	शा.प्रा.शाला गदोला	29	29
42	शा.प्रा.शाला मुडपार	123	110
43	शा.प्रा.शाला तिलई	116	93
44	शा.प्रा.शाला अमरताल	194	165
45	शा.प्रा.शाला तागा	115	104
46	शा.प्रा.शाला वाड नं.10 तिलई	89	77
47	शा.उ.प्रा.शाला तागा	59	59
48	शा.प्रा.शाला घनवा	47	46
49	शा.उ.प्रा.शाला बस स्टेण्ड तिलई	88	86
50	शा.प्रा.शाला परसदा(कापन)	59	57
51	शा.पू.मा.शाला तिलई	197	183
52	शा.पू.मा.शाला बस स्टेण्ड तिलई	62	54
53	शा.पू.मा.शाला अमरताल	115	103
54	शा.पू.मा.शाला पौना	103	102
55	शा.पू.मा.शाला मुरलीडीह कंजी	80	83
56	शा.पू.मा.शाला तागा	96	90
57	शा.पू.मा.शाला परसदा (कापन)	36	36
58	शा.पू.मा.शाला मुडपार	88	83
59	शा.प्रा.शाला रसेडा	212	200
60	शा.प्रा.शाला आरसमेटा	171	153
61	शा.प्रा.शाला बुटराभांवर	114	100
62	शा.प्रा.शाला करुमहु	152	140
63	शा.प्रा.शाला बोहापारा	99	84
64	शा.प्रा.शाला दर्रीटांड	49	47
65	शा.प्रा.शाला परसदा रे.	87	75
66	शा.प्रा.शाला लोडर कालोनी अमोरा	57	53
67	शा.प्रा.शाला शंकरपारा परसदा	109	97
68	शा.प्रा.शाला अर्जुनी	269	250
69	शा.प्रा.शाला पकरिया (ल.)	152	138
70	शा.पू.मा.शाला पंचगवा	95	94
71	शा.पू.मा.शाला रसेडा	124	123
72	शा.पू.मा.शाला परसदा रे.	119	116
73	शा.पू.मा.शाला करुमहु	147	142
74	शा.पू.मा.शाला अर्जुनी	81	77
75	शा.पू.मा.शाला आरसमेटा	78	76
76	शा.पू.मा.शाला लो.का.अमोरा	70	72
77	शा.प्रा.शाला नवागांव	68	67
78	शा.उ.प्रा.शाला पकरिया झूलन	112	110
79	शा.प्रा.शाला नहरपारा नरियरा	46	45
80	शा.प्रा.शाला बरभाटा नरियरा	93	91
81	शा.क.प्रा.शाला नरियरा	111	118
82	शा.प्रा.शाला सोनसरी	107	97
83	शा.प्रा.शाला पकरिया झूलन	152	151
84	शा.प्रा.शाला संजयनगर नरियरा	108	97

85	शा.बा.प्रा.शाला नरियरा	109	109
86	शा.प्रा.शाला झलमला	113	112
87	शा.प्रा.शाला टांडपारा	118	117
88	शा.पू.मा.शाला पकरिया झूलन	145	141
89	शा.क.पू.मा.शाला नरियरा	121	102
90	शा.बा.पू.मा.शाला नरियरा	95	95
91	शा.पू.मा.शाला संजयनगर नरियरा	137	134
92	शा.पू.मा.शाला झलमला	148	140
93	शा.पू.मा.शाला नवागांव पकरिया	47	46
94	शा.पू.मा.शाला सोनसरी	63	61
95	शा.प्रा.शाला कटनई	97	96
96	शा.प्रा.शाला महमदपुर	73	71
97	शा.प्रा.शाला खोंड	48	44
98	शा.न.प्रा.शाला खोंड	88	84
99	शा.प्रा.शाला देवरी	75	72
100	शा.प्रा.शाला साजापाली	57	55
101	शा.प्रा.शाला सोरमाल	38	38
102	शा.प्रा.शाला मौहाडीह	39	39
103	शा.प्रा.शाला सोनाईडीह	35	35
104	शा.प्रा.शाला बरपाली	89	89
105	शा.प्रा.शाला पचरी (कटनई)	123	120
106	शा.पू.मा.शाला कटनई	182	180
107	शा.पू.मा.शाला महमदपुर	121	121
108	शा.पू.मा.शाला खोंड	63	61
109	शा.पू.मा.शाला बरपाली	105	102
110	शा.पू.मा.शाला मौहाडीह	82	80
111	शा.पू.मा.शाला पचरी (कटनई)	59	56
112	शा.प्रा.शाला परसाही नाला	227	207
113	शा.प्रा.शाला बा.पोडीदल्हा	159	159
114	शा.क.प्रा.शाला पोडीदल्हा	171	138
115	शा.प्रा.शाला भाठापारा पोडीदल्हा	143	142
116	शा.प्रा.शाला कटघरी	290	285
117	शा.प्रा.शाला अकलतरी	87	87
118	शा.प्रा.शाला झिरिया	64	62
119	शा.प्रा.शाला मधुवा	186	180
120	शा.प्रा.शाला पचरी दल्हा	46	46
121	शा.पू.मा.शाला कटघरी	151	147
122	शा.पू.मा.शाला अकलतरी	130	129
123	शा.पू.मा.शाला परसाहीनाला	95	94
124	शा.क.पू.मा.शाला पोडीदल्हा	103	93
125	शा.बा.पू.मा.शाला पोडीदल्हा	72	52
126	शा.पू.मा.शाला भाठापारा पोडीदल्हा	79	68
127	शा.पू.मा.शाला मधुवा	71	63
128	शा.प्रा.शाला पिपरदा	82	68
129	शा.प्रा.शाला साकिर	81	70
130	शा.प्रा.शाला फरहदा	86	54

131	शा.प्रा.शाला अमलीपाली	64	51
132	शा.प्रा.शाला धनपुर	93	82
133	शा.प्रा.शाला सोनडीह	74	63
134	शा.प्रा.शाला सोनादुला	91	76
135	शा.प्रा.शाला चंगोरी	117	93
136	शा.प्रा.शाला चंदनिया	108	95
137	शा.पू.मा.शाला सोनडीह	58	55
138	शा.पू.मा.शाला चंगोरी	102	82
139	शा.पू.मा.शाला पिपरदा	44	40
140	शा.पू.मा.शाला फरहदा	56	46
141	शा.पू.मा.शाला सांकर	102	82
142	शा.पू.मा.शाला चंदनिया	90	70
143	शा.बा.प्रा.शाला हरदी	67	62
144	शा.प्रा.शाला रमईपारा हरदी	43	38
145	शा.न.प्रा.शाला हरदी	42	40
146	शा.उ.प्रा.शाला महामाया हरदी	63	53
147	शा.प्रा.शाला सराईपाली	60	54
148	शा.प्रा.शाला बरबसपुर	62	57
149	शा.प्रा.शाला भैंसतरा	49	44
150	शा.उ.प्रा.शाला सबरिया डेरा भैंसतरा	58	52
151	शा.प्रा.नवापारा हरदी	60	54
152	शा.प्रा.शाला बिरकोनी	44	38
153	शा.पू.मा.शाला बिरकोनी	62	56
154	शा.क.पू.मा.शाला हरदी	52	42
155	शा.पू.मा.शाला भैंसतरा	86	72
156	शा.बा.पू.मा.शाला हरदी	70	60
157	शा.प्रा.शाला स्टेशनपारा कोटमीसोनार	115	104
158	शा.प्रा.शाला लटिया	96	85
159	शा.प्रा.शाला सब.डेरा कोटमीसोनार	92	85
160	शा.बा.प्रा.शाला कोटमीसोनार	110	99
161	शा.प्रा.शाला बाजारपारा कोटमीसोनार	154	133
162	शा.प्रा.शाला छोटे अमेरी	50	46
163	शा.प्रा.शाला बड़े अमेरी	44	42
164	शा.प्रा.शाला पिपरसत्ती	49	45
165	शा.प्रा.शाला भाठापारा पिपरसत्ती	48	39
166	शा.प्रा.शाला भाठापारा कोटमीसोनार	101	88
167	शा.प्रा.शाला कल्याणपुर	100	94
168	शा.बा.पू.मा.शाला कोटमीसोनार	87	76
169	शा.क.पू.मा.शाला कोटमीसोनार	46	41
170	शा.पू.मा.शाला पिपरसत्ती	88	78
171	शा.पू.मा.शाला कल्याणपुर	86	82
172	शा.पू.मा.शाला लटिया	91	79
173	निर्मला प्रा.शाला पिपरसत्ती	59	54
174	शा.प्रा.शाला परसाही बाना	103	82
175	शा.प्रा.शाला बम्हनीन	54	52
176	शा.प्रा.शाला बाना	129	108

177	शा.प्रा.शाला कोटगढ	103	91
178	शा.प्रा.शाला बरगवा	99	80
179	शा.प्रा.शाला बुचीहरदी	102	90
180	शा.प्रा.शाला पड़रिया	108	102
181	शा.प्रा.शाला धनुवार पारा बाना	56	45
182	शा.प्रा.शाला करहीडीह	64	61
183	शा.पू.मा.शाला बरगवा	148	126
184	शा.पू.मा.शाला परसाही बाना	153	120
185	शा.पू.मा.शाला पड़रिया	166	146
186	शा.पू.मा.शाला बुचीहरदी	104	113
187	शा.पू.मा.शाला बाना	94	91
188	दिव्या प्रा.शाला बम्हनीन	91	91

परिशिष्ट "अट्टारह"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1324) के भाग (क) की जानकारी]

श्रेणी	नियमित		संविदा		दैनिक वेतन भोगी		योग	
	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य	स्वी.	कार्य
प्रथम	46	25	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	46	25
द्वितीय	496	227	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	496	227
तृतीय	447	130	03	03	निरंक	निरंक	450	133
चतुर्थ	273	75	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	273	75
महायोग	1262	457	03	03	0	0	1265	460

परिशिष्ट "उन्नीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 1748) के भाग (क) की जानकारी]

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (अनु.जा. एवं अ.ज.जा.)

- स्नातक/अभिभावक की आय-सीमा- रु. 2.50 लाख तक वार्षिक।

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)	
	छात्रावासी	गैर छात्रावासी
<p>समूह-1- (i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा- एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु-चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान।</p> <p>(ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम)</p> <p>(iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p> <p>(iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम</p> <p>(v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टरल अनुसंधान यथा- डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि</p> <p>(vi) एल.एल.एम.</p>	1200	550
<p>समूह-2- (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे- फार्मसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे- रिहायबिलिटेशन, डायग्नोस्टिक इत्यादि, होटल प्रबंधन, मॉस कम्प्यूनिकेशन, ट्रवेल/टूरिज्म/ हॉस्पिटालिटी प्रबंधन, आंतरिक साज- सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्सियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे- बैंकिंग, इन्शूरेन्स इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो।</p> <p>(ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे- एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि</p>	820	530
<p>समूह-3- स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे- बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम., बी.एड इत्यादि</p>	570	300
<p>समूह -4 - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम</p>	380	230

1/2/1

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की दर (अन्य पिछड़ा वर्ग)

- पालक/अभिभावक की आय-सीमा- रु. 1,00,000/- तक वार्षिक

128

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ - मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ- डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ- सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई- सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स- कक्षा - 11 वीं		100	110	50	60
कक्षा - 12 वीं		100	110	55	70

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य द्वारा निर्धारित दरें (10 माह हेतु) :-
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

क्र.	कक्षा	बालक	बालिका	आय-सीमा
1.	कक्षा 3री से 5वीं	—	500	आय-सीमा का बंधन नहीं है
2.	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	600	500	
3.	कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं	800	1000	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो।

अन्य पिछड़ा वर्ग

क्र.	कक्षा	बालक	बालिका	आय-सीमा
1	कक्षा 6 वीं से 8 वीं	300	450	पालक/अभिभावक आयकर की सीमा में नहीं आते हो अथवा दस एकड़ से अधिक की जमीन न हो।
2.	कक्षा 9 वीं से 10 वीं	450	600	

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति केन्द्र शासन द्वारा निर्धारित दरें (10 माह हेतु) :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(कक्षा 9 वीं से 10 वीं)

	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	आय-सीमा
छात्रवृत्ति	3500	1500	पालक/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो।
तदर्थ अनुदान	1000	750	

सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को छात्रवृत्ति :-

छात्रवृत्ति की दरें (10 माह हेतु) :-

कक्षा		छात्रावासी	गैर छात्रावासी	आय-सीमा
कक्षा 1ली एवं 2री	छात्रवृत्ति	—	2250	आय सीमा का बंधन नहीं है। किन्तु राजस्व अधिकारी से प्रतिवर्ष व्यवसाय प्रमाण पत्र आवश्यक है।
	तदर्थ अनुदान	—	750	
कक्षा 3री से 10वीं	छात्रवृत्ति	7000	2250	
	तदर्थ अनुदान	1000	750	

परिशिष्ट "बीस"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 12 (क्र. 1961) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला स्तर पर चयनित 02 आदर्श आश्रमों की जानकारी

(राशि रु.लाखों में)

क्र.	चयनित आश्रम	चयनित वर्ष	स्वीकृत कार्यों का नाम	मद का नाम	व्यय राशि
1	आदिवासी कन्या आश्रम गोडी विकास खंड तमनार जिला रायगढ़	2020-21	प्लास्टर, दरवाजे-खिड़की, ग्रेडिंग लघु मूल कार्य, टाईल्स कार्य, आर.सी.सी. कार्य, पोतार्ड-पेंटिंग, सेनेटरी कार्य, विद्युत, सुधार कार्य	डी.एम.एफ. मद	14.21
1	आदिवासी कन्या आश्रम गोडी विकास खंड तमनार जिला रायगढ़	2020-21	पुस्तकालय (03 नग अलमारी व पुस्तक एवं फर्नीचर), डायनिंग टेबल, कुर्सी सेट, फ्रीज, 02 नग कम्प्युटर सेट एवं टी.व्ही.	डी.एम.एफ. मद	1.99
		योग	गार्डनिंग कार्य, पेपर ब्लाक सड़क एवं आहाता निर्माण	मन्रेगा	7.61
		योग			23.81
2	आदिवासी कन्या आश्रम छाल विकास खंड धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	2020-21	प्लास्टर, दरवाजे-खिड़की, ग्रेडिंग लघु मूल कार्य, टाईल्स कार्य, आ.सी.सी. कार्य, पोतार्ड-पेंटिंग, सेनेटरी कार्य, विद्युत सुधार कार्य	डी.एम.एफ. मद	13.03
		2020-21	पुस्तकालय (03 नग अलमारी व पुस्तक एवं फर्नीचर), डायनिंग टेबल, कुर्सी सेट, फ्रीज, 02 नग कम्प्युटर सेट एवं टी.व्ही. आर.ओ.वाटर सिस्टम एवं सेनेटरी नैपकीन वॉडिंग मशीन व इस्मिनेटर	डी.एम.एफ. मद	2.49
			सोलर विद्युत एवं सोलर पंप की स्थापना	डी.एम.एफ. मद	5.00
		योग	सी.सी.रोड निर्माण	मन्रेगा	4.88
		योग			25.40
		महायोग			49.21

प्रपत्र "ब"

रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास से स्वीकृत निर्माण कार्यों को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए निरीक्षण/परीक्षण हेतु गठित समिति का विवरण

क	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	
1	सुश्री अभिलाषा पैकरा, डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	अध्यक्ष
2	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास शाखा, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सदस्य
3	कोषालय अधिकारी, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सदस्य
4	महिला एवं बाल विकास अधिकारी, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सदस्य
5	जिला शिक्षा अधिकारी, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सदस्य

रायगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास से स्वीकृत निर्माण कार्यों के लिए निरीक्षण/परीक्षण हेतु गठित समिति का विवरण

क	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	
1	सुश्री अभिलाषा पैकरा, डिप्टी कलेक्टर, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	अध्यक्ष
2	कोषालय अधिकारी, रायगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सदस्य
3	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायगढ़ संभाग, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सदस्य
4	कार्यपालन अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण संडक योजना, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सदस्य
5	कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	सदस्य

परिशिष्ट "ईक्कीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 2629) के भाग (क) की जानकारी]

स्कूल शिक्षा विभाग के अधीनस्थ संचालित निगम/मण्डल/समिति/बोर्ड की जानकारी

क्र.	स्कूल शिक्षा विभाग के अधीनस्थ निगम/मंडल/समिति/बोर्ड का नाम	कब से संचालित है	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	अधिसूचना क्रमांक व दिनांक
1	छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर	06/05/2003	म.प्र. मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 क. एफ 10-9 / 13 / 2001 म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 के तहत	अधिसूचना क्र. 10-9/2003/20, दिनांक 06.05.2003
2	छत्तीसगढ़ विद्यामण्डलम् रायपुर	20/01/2006	छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। जिसका पंजीयन क्रमांक 1248 दिनांक 20.01.2006 है	अधिसूचना क्र 10-2/20/2003 दिनांक 25.03.2003
3	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण रायपुर	07/01/2002	छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के (1973 का क्रमांक 44 के अधीन) पंजीकृत है। जिसका पंजीयन क्रमांक 90/7/2002 है	-
4	छ.ग. पाठ्यपुस्तक निगम रायपुर	05/08/2004	छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत (सन् 1973 का क्रमांक 44 के अधीन) पंजीकृत है। जिसका पंजीयन क्रमांक 67/11/2004 है।	छ.ग. शासन का आदेश क्रमांक एफ 10-12/2004/20 दिनांक 05.08.2004 द्वारा गठन किया गया है।
5	समग्र शिक्षा			
	राजीव गांधी शिक्षा मिशन	19/03/2001	म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44 के अधीन) रजिस्ट्रीकृत है। जिसका पंजीयन क्रमांक 156 दिनांक 19.03.2001 है।	
	राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन	21/12/2010	छ.ग. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44 के अधीन) रजिस्ट्रीकृत है। जिसका पंजीयन क्रमांक 3180 दिनांक 21.12.2010 है।	
6	माध्यमिक शिक्षा मण्डल	20/07/2001	म.प्र. माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965(क्रमांक 23 सन् 1965) के तहत गठन किया गया है।	क्र. 10-3/13/2001 दिनांक 20.07.2001

परिशिष्ट "बाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 2657) के भाग (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

छात्रावास आश्रमों को मॉडल छात्रावास बनाने के लिए निर्धारित मापदण्ड

1. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था (आर. ओ. सहित)
2. 247 रनिंग वाटर सप्लाई।
3. शौचालय/बाथरूम सहित छात्रावास में टाईल की फ्लोरिंग।
4. विद्युत व्यवस्था ओर ऊर्जा सहित।
5. आधुनिक किचन कुकिंग गैस व स्टोव्ह सहित चिमनी की व्यवस्था/एकजास्ट सहित।
6. अनाज एवं खाद्य सामग्री के भण्डारण की स्वच्छ एवं सुरक्षित व्यवस्था।
7. छात्रों के लिविंग रूम की उचित व्यवस्था, पलंग/तख्त, गद्दे चादर, तकिया, कंबल सहित, अलमीरा सामग्री रखने हेतु मच्छरदानी बांधने की उचित व्यवस्था, कपड़े टांगने हेतु बोर्ड युक्त हैंगर की व्यवस्था, दीवाल घड़ी की व्यवस्था, दीवारों पर स्लोगन अंकित करना, पंखे, लाईट की उचित व्यवस्था, पढ़ने हेतु टेबल कुर्सी की व्यवस्था। पीने के पानी की व्यवस्था तथा भोजन के बर्तन उचित स्थान पर रखने की व्यवस्था, विद्युत स्विच बोर्ड अच्छी स्थिति में हों। जूते चपल रखने के लिए कक्ष के बाहर रैक की व्यवस्था। अलमीरा, खिड़की, दरवाजे सही स्थिति में हो, पर्दे लगे हों।
8. लाईब्रेरी की व्यवस्था बुक/बुक शेल्फ सहित, पुस्तकें ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक हों। लाईब्रेरी में समाचार पत्र की व्यवस्था आवश्यकतानुसार रोजगार नियोजन/रोजगार समाचार एवं शासकीय मैगजीन/बुलेटिन की उपलब्धता, बैठकर पढ़ने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था, पुस्तकों के उचित संधारण की व्यवस्था
9. कम्प्यूटर कक्ष की व्यवस्था, कम्प्यूटर एवं एक्सेसरीज की उपलब्धता, छात्रों द्वारा कम्प्यूटर के उपयोग के लिए दिशा-निर्देश, फर्नीचर तथा विद्युत व्यवस्था।
10. प्लेग्राउण्ड की व्यवस्था, बैडमिंटन कोर्ट, बालीबॉल/बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट आदि खेलों की व्यवस्था, ओपन जिम की व्यवस्था। छोटे बच्चों के लिए प्लेग्राउण्ड में फिसलपट्टी झूले जैसे खेल उपकरणों की व्यवस्था।
11. छात्रावास में बाड़ी लगाकर सब्जी एवं फल फूल पौधों का रोपण
12. कर्मचारी एवं अधीक्षक हेतु आवासगृह की उपलब्धता
13. आई.एस.ओ. प्रमाणन इत्यादि।

प्रपत्र "ब"

कार्यवार व्यय की जानकारी

क्र०	आदर्श छात्रावास का नाम	आदर्श छात्रावासों में कराये गये कार्यों की जानकारी	व्यय राशि (रूपये में)
1	2	3	4
01	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास धमतरी	टाईल्स कार्य	225659
		भवन का रंगाई-पोताई एवं पेंटिंग कार्य	116326
		ओपन जीम निर्माण	100000
		बैडमिंटन कोर्टयाड निर्माण	67000
		वेलकम गेट निर्माण	31000
		दरवाजा खिड़की मरम्मत	50000
		पेवर ब्लॉक	47258
		फीलिंग	51757
		नेटलॉन	26000
		पाईप लाईन विस्तार	10000
		फ्लोरिंग	108000
		छतशेड निर्माण	87000
		विद्युत मरम्मत	33000
		लाइब्रेरी स्थापना	60400
		विद्यार्थी स्टडी टेबल 02 नग	23645
		विद्यार्थी चेयर 12 नग	32049
		कम्प्यूटर टेबल 03 नग	12375
		कम्प्यूटर चेयर 03 नग	10327
		जीम सामग्रियाँ	147790
		कम्प्यूटर सेट 03 नग	143937
		यू.पी.एस. 01 नग	4500
		एल.ई.डी. टी.वी. 01 नग	55000
		शू-रैक 10 नग	10000
		दीवाल घड़ी 07 नग	4920
दीवाल मिरर 12 नग	8057		
	योग :-	1466000	

क्र०	आदर्श छात्रावास का नाम	आदर्श छात्रावासों में कराये गये कार्यों की जानकारी	व्यय राशि (रूपये में)
1	2	3	4
		टाईल्स कार्य	713502
		भवन का रंगाई-पोताई एवं पेंटिंग कार्य	207288
		ओपन जीम निर्माण	100000
		बैडमिंटन कोर्टयार्ड निर्माण	67000
		वेलकम गेट निर्माण	31000
		दरवाजा खिड़की मरम्मत	112023
		मॉड्यूलर किचन स्थापना	350000
		फीनिंग	85187
		नेटलॉन	14000
		पाईप लाईन विस्तार	10000
	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास मगरलोड	फ्लोरिंग	200000
		लाइब्रेरी स्थापना	60400
		विद्यार्थी स्टडी टेबल 02 नग	23645
		विद्यार्थी चेयर 12 नग	32049
		कम्प्यूटर टेबल 03 नग	12375
		कम्प्यूटर चेयर 03 नग	10327
		जीम सामग्रियाँ	184790
		कम्प्यूटर सेट 03 नग	143937
		यू.पी.एस. 01 नग	4500
		एल.ई.डी. टी.वी. 01 नग	55000
		शू-रैक 10 नग	10000
		दीवाल घड़ी 07 नग	4920
		दीवाल मिरर 12 नग	8057
		योग :-	2440000

परिशिष्ट "तेईस"
[अतारंकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 2676) के भाग (क) की जानकारी]

वर्ष 2019-20

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	बटवारा			फौदी			नामांतरण			सीमांकन			झयवर्सन		
			दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित
1		2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1		जांजगीर	562	273	289	15	12	90	70	20	217	123	94	434	434	0	
2		बलौदा	210	127	83	19	0	155	78	77	93	26	67			0	
3	जांजगीर	नवागढ़	186	70	110	16	12	157	119	38	95	73	22			0	
4		अकलतरा	83	33	50	8	11	52	41	11	124	124	0			0	
5		शिवरीनारायण	60	14	46	11	9	35	25	10	113	73	40			0	
6		चाम्पा	216	141	75	30	0	331	217	114	103	82	21	238	236	2	
7		सारागांव	20	12	8	8	4	27	23	4	9	4	5			0	
8		बम्हनीडीह	94	47	47	14	15	64	56	8	48	45	3			0	
9		पामगढ़	275	131	144	95	26	191	150	41	128	104	24	76	76	0	
10		सक्ती	34	12	22	6	5	75	68	7	79	66	13	78	78	0	
11		नयाबारादार	106	71	35	9	4	51	49	2	63	54	9			0	
12		जैजैपुर	130	95	35	20	0	150	140	10	181	181	0			0	
13		मालखरौदा	84	26	58	21	8	72	60	12	30	30	0			0	
14		डमरा	44	41	3	10	0	81	73	8	103	103	0	120	120	0	
कुल योग			2098	1093	1005	388	282	1531	1169	362	1386	1088	298	946	944	2	

वर्ष 2020-21

क्र.	अनुविभाग का नाम	तहसील का नाम	बटवारा			फौती			नामांतरण			सीमांकन			जायवर्सन		
			दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		जाजगीर	237	103	134	112	46	66	182	39	143	360	304	56	612	612	0
2		बलौदा	98	22	76	9	0	9	264	176	88	181	92	89			0
3	जाजगीर	नवागढ़	115	81	34	48	26	22	65	23	42	28	13	15			0
4		अकलतरा	47	4	43	14	6	8	38	7	31	108	10	98			0
5		शिवरीनारायण	25	2	23	39	17	22	45	19	26	119	16	103			0
6		चाम्पा	131	50	81	30	0	30	361	124	237	41	19	22	238	236	2
7	चाम्पा	सारागांव	45	8	37	41	31	10	21	15	6	5	1	4			0
8		बम्हनीडीह	62	30	32	19	8	11	58	42	16	70	38	32			0
9	पामगढ़	पामगढ़	176	39	137	94	84	10	135	79	56	56	28	28	35	31	4
10		सक्ती	29	8	21	16	9	7	35	22	13	82	59	23	157	150	7
11		नयाबाराद्वार	72	10	62	37	19	18	122	111	11	62	50	12			0
12	सक्ती	जौपुर	250	225	25	13	7	6	309	302	7	130	130	0			0
13		गालखरोदा	98	11	87	36	19	17	93	20	73	71	54	17			0
14	उमरा	उमरा	161	78	83	10	0	10	165	86	79	140	82	58	120	120	0
कुल योग			1546	671	875	518	272	246	1893	1065	828	1453	896	557	1162	1149	13

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 2710) के भाग (क) की जानकारी]

कनिष्ठ प्रभारी अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी का नाम एवं मूल पदनाम	अन्य प्रभारी अधिकारी का नाम एवं मूल पदनाम
1	2	3	4
1	रायपुर	श्री ए.एन.बंजारा प्राचार्य	
2	धमतरी	श्रीमती रजनी नेल्सन प्राचार्य	श्री के.के. कश्यप प्राचार्य (प्रभारी प्राचार्य, डाइट नगरी)
3	महासमुंद	श्री राबर्ट मिंज / श्री परस राम चन्द्राकर प्राचार्य	श्रीमती मीना पानीग्रही प्राचार्य (प्रभारी प्राचार्य, डाइट महासमुंद)
4	दुर्ग	श्री प्रवास कुमार बघेल प्राचार्य	-
5	बेमेतरा	श्रीमती मधुलिका तिवारी प्राचार्य	-
6	सरगुजा	श्री आई.पी.गुप्ता प्राचार्य	-
7	सूरजपुर	श्री विनोद राय प्राचार्य	-
8	बस्तर	श्रीमती भारती प्रधान प्राचार्य	1- श्री अशोक पटेल प्राचार्य (प्रभारी संयुक्त संचालक) 2- श्रीमती सुषमा झा प्राचार्य (प्रभारी प्राचार्य, डाइट बस्तर)
9	दंतेवाड़ा	श्री राजेश कर्मा व्याख्याता	-
10	बीजापुर	प्रमोद ठाकुर प्राचार्य	-
11	कोण्डागांव	श्री राजेश मिश्रा व्याख्याता	-
12	नारायणपुर	श्री जी.आर.मण्डावी प्राचार्य	

13	गोरला पेण्ड्रा मरवाही	श्री मनोज राय प्राचार्य	-
14	बिलासपुर	-	श्रीमती निशा भामरी उप संचालक (प्रभारी प्राचार्य उन्नत अध्ययन शिक्षा संस्थान बिलासपुर)

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 33 (क्र. 2714) के भाग (क) की जानकारी]

मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत ईको क्लब के तहत किए गए वृक्षारोपण वाली शालाओं के नाम

क.	शाला का नाम
1	2
1	हाई स्कूल मानिकचौरी
2	हाई स्कूल बहतरा
3	प्रा.शा.गोबरी
4	प्रा.शा.आमकोनी
5	प्रा.शा.भटचौरा
6	उच्च प्रा.शा.मचहा
7	प्रा.शा.गिधपुरी
8	प्रा.शा.खपरी बेलपान
9	उच्च प्रा.शा.कोकडी
10	प्रा.शा.मानिकचौरी
11	उच्च प्रा.शा.भटचौरा
12	प्रा.शा.डोमगाँव
13	प्रा.शा.हरदी आमगाँव
14	उच्च प्रा.शा.मानिकचौरी
15	प्रा.शा.मचहा
16	उच्च प्रा.शा.बहतरा
17	उच्च प्रा.शा.गिधपुरी
18	प्रा.शा.आमगाँव
19	प्रा.शा.बहतरा
20	प्रा.शा.कोकडी
21	उच्च प्रा.शा.चिल्हाटी
22	उच्च प्रा.शा.बालक चिस्दा
23	प्रा.शा.हरदी लोहसी
24	प्रा.शा.पताईडीह
25	प्रा.शा.लोढाबोर
26	प्रा.शा.रहटाटोर
27	प्रा.शा.चिल्हाटी

1	2
28	प्रा.शा.चिस्दा
29	उच्च प्रा.शा.कन्या चिस्दा
30	उच्च प्रा.शा.गोडाडीह
31	प्रा.शा.गोडाडीह
32	उच्च प्रा.शा.कुकुर्दीकेरा
33	उच्च प्रा.शा.पतईडीह
34	प्रा.शा.सेमराडीह
35	प्रा.शा.सोडाडीह
36	हाई स्कूल कुकुर्दीकेरा
37	प्रा.शा.कुकुर्दीकेरा
38	प्रा.शा.मनवा
39	उच्च प्रा.शा.मुडपार
40	प्रा.शा.हरीजनवार्ड दरभाठा
41	प्रा.शा.मौवारपारा मुडपार
42	प्रा.शा.पंधी
43	उच्च प्रा.शा.गुडी
44	प्रा.शा.गुडी
45	प्रा.शा.बंधवापारा कौडीया
46	प्रा.शा.खजुरी
47	प्रा.शा.दरभाठा
48	प्रा.शा.चौडापारा गुडी
49	प्रा.शा.चारपारा पंधी
50	उच्च प्रा.शा.दरभाठा
51	प्रा.शा.डवनडीह
52	प्रा.शा.देवरी
53	प्रा.शा.मुडपार
54	प्रा.शा.करा
55	प्रा.शा.बा कौडीया
56	उच्च प्रा.शा.पंधी
57	हायर सेकेण्डरी पंधी
58	उच्च प्रा.शा.कौडीया
59	प्रा.शा.ठरकपुर
60	प्रा.शा.भरुवाडीह
61	प्रा.शा.बनियाडीह
62	उच्च प्रा.शा.बनियाडीह
63	प्रा.शा.खोंडा
64	उच्च प्रा.शा.खोंडा
65	उच्च प्रा.शा.जुहली
66	प्रा.शा.हिन्डाडीह
67	उच्च प्रा.शा.धनिया
68	प्रा.शा.जुहली

1	2
69	प्रा.शा.धनिया
70	प्रा.शा.फुलवारी पारा परसाही
71	प्रा.शा.हरदाडीह धनिया
72	प्रा.शा.उसलापुर
73	उच्च प्रा.शा.भौराडीह
74	उच्च प्रा.शा.परसाही
75	प्रा.शा.परसाही
76	प्रा.शा.भौराडीह
77	प्रा.शा.भदरापारा
78	प्रा.शा.कारीछापर
79	उच्च प्रा.शा.हरदाडीह धनिया
80	उच्च प्रा.शा.हिन्डाडीह
81	उच्च प्रा.शा.सुलौनी
82	उच्च प्रा.शा.जुनवानी
83	प्रा.शा.बिर्नका
84	उच्च प्रा.शा.बिनैका
85	उच्च प्रा.शा.धनगवॉ
86	प्रा.शा.जुनवानी
87	प्रा.शा.मधुबन मोहल्ला भगवानपाली
88	प्रा.शा.धुर्वाकारी
89	उच्च प्रा.शा.कटहा
90	प्रा.शा. धनगवॉ
91	प्रा.शा.पकरीया
92	प्रा.शा.कटहा
93	प्रा.शा.सुलौनी
94	उच्च प्रा.शा.धुर्वाकारी
95	प्रा.शा.भगवानपाली
96	प्रा.शा.शिवसागर मोहल्ला धनगवॉ
97	प्रा.शा.डगनिया
98	प्रा.शा.जलसो
99	प्रा.शा.क.धुर्वाकारी
100	उच्च प्रा.शा.जलसो
101	हाई स्कूल रॉक
102	प्रा.शा.हरदाडीह गतौरा
103	प्रा.शा.नवागॉव कौडीया
104	प्रा.शा.जनगपहरी गतौरा
105	प्रा.शा.बा.गतौरा
106	प्रा.शा.अनु.जा.वार्ड गतौरा
107	प्रा.शा.आदिवासी पारा गतौरा
108	प्रा.शा.सुखरी पाली
109	प्रा.शा.रॉक

1	2
110	प्रा.शा.कनि रलिया
111	प्रा.शा.रलिया
112	प्रा.शा.कछार
113	प्रा.शा.पाराघाट
114	प्रा.शा.भिलाई
115	प्रा.शा.खैरा
116	उच्च प्रा.शा.भिलाई
117	प्रा.शा.जयरामनगर
118	प्रा.शा.अजा.मोहल्ला पाराघाट
119	प्रा.शा.भनेसर
120	प्रा.शा.बेलटुकरी
121	प्रा.शा.बा.एरमसाही
122	उच्च प्रा.शा.पाराघाट
123	प्रा.शा.अवास मोहल्ला कछार
124	प्रा.शा.खुडुभाठा
125	उच्च प्रा.शा.बेलटुकरी
126	उच्च प्रा.शा.खैरा
127	प्रा.शा.तेन्दुवा
128	उच्च प्रा.शा.एरमसाही
129	उच्च प्रा.शा.जयरामनगर
130	प्रा.शा.कुकुर्दी कला
131	प्रा.शा.क.जोधरा
132	प्रा.शा.बा.जोधरा
133	प्रा.शा.उदयबंद
134	प्रा.शा.कुकुर्दी खुर्द
135	प्रा.शा.जोधरा
136	उच्च प्रा.शा.कन्या जोधरा
137	प्रा.शा.भिलौनी
138	प्रा.शा.शिवटिकारी
139	उच्च प्रा.शा.शिव टिकारी
140	उच्च प्रा.शा.कुकुर्दीकला
141	नवीन प्रा.शा.गोपालपुर
142	प्रा.शा.संजय नगर जोधरा
143	प्रा.शा.अमलडीहा
144	उच्च प्रा.शा.गोपालपुर
145	उच्च प्रा.शा.जोधरा
146	प्रा.शा.मुकुन्दपुर
147	उच्च प्रा.शा.मुकुन्दपुर
148	प्रा.शा.गोपालपुर
149	प्रा.शा.परसोडी
150	उच्च प्रा.शा.सोटी

1	2
151	हाई स्कूल बिटकुला
152	उच्च प्रा.शा.कुली
153	उच्च प्रा.शा.मडई
154	प्रा.शा.लुतरा
155	उच्च प्रा.शा.बिटकुला
156	उच्च प्रा.शा.कुकदा
157	प्रा.शा.कुकदा
158	प्रा.शा.पीपरानार
159	उच्च प्रा.शा.खम्हरिया
160	प्रा.शा.पैगवापारा बिटकुला
161	प्रा.शा.धुहारपारा कुकदा
162	प्रा.शा.भाठापारा
163	प्रा.शा.सोठी
164	प्रा.शा.उनी
165	प्रा.शा.कुली
166	उच्च प्रा.शा.उनी
167	प्रा.शा.कुन्दरुनार
168	उच्च प्रा.शा.लुतरा
169	हायर सेकेण्डरी सोठी
170	प्रा.शा.मडई
171	प्रा.शा.कोनी
172	प्रा.शा.भोथीडीह
173	प्रा.शा.खपरी
174	उच्च प्रा.शा.कोनी
175	प्रा.शा.ऑकडीह
176	प्रा.शा.क.लिमतरा
177	जनपद प्रा.शा.दर्सीघाट
178	प्रा.शा.लावर
179	प्रा.शा.किरारी
180	उच्च प्रा.शा.बालक लिमतरा
181	प्रा.शा.दैहानपारा
182	प्रा.शा.बा.लिमतरा
183	उच्च प्रा.शा.कर्क किरारी
184	प्रा.शा.कर्क लिमतरा
185	नवीन प्रा.शा.बकलीभाठा किरारी
186	उच्च प्रा.शा.किरारी
187	उच्च प्रा.शा.लावर
188	हायर सेकेण्डरी दर्सीघाट
189	प्रा.शा.बसंतपुर
190	प्रा.शा.बोहार डीह
191	हाई स्कूल भुरकुण्डा

1	2
192	प्रा.शा.केवटाडीह टोंगर
193	उच्च प्रा.शा.कवरपारा सोन
194	प्रा.शा.कवरपारा सोन
195	प्रा.शा.भुरकुन्डा
196	प्रा.शा. नयापारा लोहसी
197	प्रा.शा.सबरियाडेरा लोहसी
198	जनपद प्रा.शा.केवटाडीह भुतहा
199	उच्च प्रा.शा.भुरकुन्डा
200	जनपद प्रा.शा.बा.लोहसी सोन
201	नवीन प्रा.शा.सबरियाडेरा सोन
202	उच्च प्रा.शा.बसंतपुर
203	उच्च प्रा.शा.बालक सोन
204	उच्च प्रा.शा.सोनसरी
205	जनपद प्रा.शा.सोन
206	प्रा.शा.विद्याडीह टोंगर
207	नवीन प्रा.शा.भाठापारा लोहसी
208	उच्च प्रा.शा.बालक लोहसी सोन
209	प्रा.शा.सोनसरी
210	उच्च प्रा.शा.केवटाडीह टोंगर
211	उच्च प्रा.शा.केवटाडीह भुतहा
212	प्रा.शा.गधियापारा सोनसरी
213	उच्च प्रा.शा.बोहारडीह
214	प्रा.शा.फोदीपाली
215	हायर सेकेण्डरी लोहसी सोन
216	प्रा.शा.बिनौरी
217	हायर सेकेण्डरी मल्हार
218	उच्च प्रा.शा.जनपद मल्हार
219	उच्च प्रा.शा.केवटपारा मल्हार
220	उच्च प्रा.शा.कुटेला
221	हायर सेकेण्डरी बुढीखार
222	उच्च प्रा.शा.जैतपुर
223	जनपद प्रा.शा.जैतपुर
224	प्रा.शा.बेटरी
225	प्रा.शा.चकरबेडा
226	प्रा.शा.थेम्हापार
227	प्रा.शा.वन्दावन मल्हार
228	प्रा.शा.केवटपारा मल्हार
229	प्रा.शा.टिकरापारा मल्हार
230	उच्च प्रा.शा.बुढीखार
231	प्रा.शा.नेवारी
232	प्रा.शा.बुढीखार

1	2
233	प्रा.शा.कुटेला
234	जनपद प्रा.शा.बा.मल्हार
235	प्रा.शा.नवागॉव टिकारी
236	प्रा.शा.बकरकुदा
237	प्रा.शा.मिशनपारा रिस्दा
238	जनपद प्रा.शा.मुडपार
239	उच्च प्रा.शा.भदौरा
240	प्रा.शा.खोरसी
241	जनपद प्रा.शा.हिरी
242	प्रा.शा.बा.मस्तूरी
243	उच्च प्रा.शा.बालक मस्तूरी
244	प्रा.शा.रिस्दा
245	उच्च प्रा.शा.रिस्दा
246	उच्च प्रा.शा.कोसमडीह
247	उच्च प्रा.शा.पेन्डी
248	प्रा.शा.भदौरा
249	प्रा.शा.क.मस्तूरी
250	प्रा.शा.मोहतरा
251	जनपद प्रा.शा.देवगॉव
252	प्रा.शा.पेन्डी
253	प्रा.शा.भाठापारा भदौरा
254	प्रा.शा.गोपियापारा
255	प्रा.शा.सरगॉव
256	प्रा.शा.कोहरौदा
257	प्रा.शा.इन्दराअवास मस्तूरी
258	प्रा.शा.नेतानगर मस्तूरी
259	उच्च प्रा.शा.देवगॉव
260	उच्च प्रा.शा.कन्या मस्तूरी
261	प्रा.शा.धौराकोना
262	उच्च प्रा.शा.खोंधरा
263	हायर सेकेण्डरी जेवरा
264	उच्च प्रा.शा.जेवरा
265	हाई स्कूल खोंधरा
266	प्रा.शा.कनई
267	प्रा.शा.जेवरा
268	प्रा.शा.फुटहामुडा
269	प्रा.शा.खोंधरा
270	प्रा.शा.उडागी पारा
271	प्रा.शा.बसहा
272	प्रा.शा.नवापारा
273	प्रा.शा.कनि महिमाड

1	2
274	प्रा.शा.अदराली
275	हाई स्कूल निरतू
276	प्रा.शा.निरतू
277	उच्च प्रा.शा.निरतू
278	प्रा.शा.भरारी
279	उच्च प्रा.शा.सुकुलकारी
280	उच्च प्रा.शा.ठकुरदेवा
281	प्रा.शा.बा.पचपेडी
282	प्रा.शा.रेल्हा
283	प्रा.शा.खपरी ओखर
284	प्रा.शा.हरदी पचपेडी
285	प्रा.शा.ठकुरदेवा
286	प्रा.शा.डीपरापारा ठकुरदेवा
287	प्रा.शा.जन.ओखर
288	प्रा.शा.सुकुलकारी
289	प्रा.शा.साहु मोहल्ला ओखर
290	उच्च प्रा.शा.ओखर
291	प्रा.शा.भडहा
292	उच्च प्रा.शा.बालक पचपेडी
293	प्रा.शा.बेल्हा
294	उच्च प्रा.शा.कन्या पचपेडी
295	प्रा.शा.केवतरा
296	उच्च प्रा.शा.कस्तूरबा कन्या पचपेडी
297	प्रा.शा.ओखर
298	उच्च प्रा.शा.खपरी ओखर
299	बालक हायर सेकेण्डरी पचपेडी
300	हायर सेकेण्डरी ओखर
301	उच्च प्रा.शा.भरारी
302	उच्च प्रा.शा.बालक पचपेडी
303	उच्च प्रा.शा.केवतरा
304	प्रा.शा.जगमल चौक सुकुलकारी
305	हायर सेकेण्डरी सीपत
306	प्रा.शा.पोंडी
307	प्रा.शा.झलमला
308	उच्च प्रा.शा.कुवाताल
309	प्रा.शा.मचखण्डा
310	प्रा.शा.जॉजी
311	उच्च प्रा.शा.नवोंगाव मचाखण्डा
312	प्रा.शा.नवाडीह
313	प्रा.शा.कुवाताल
314	प्रा.शा.बानीभाठा पोंडी

1	2
315	उच्च प्रा.शा.झलमला
316	प्रा.शा.नवापरा नरगोडा
317	प्रा.शा.बाजार पारा सीपत
318	प्रा.शा.नवागोंव मचखण्डा
319	उच्च प्रा.शा.बरेली
320	प्रा.शा.नरगोडा
321	उच्च प्रा.शा.जोंजी
322	उच्च प्रा.शा.नवाडीह
323	कन्या हायर सेकेंडरी सीपत
324	प्रा.शा.बरेली
325	प्रा.शा.बालक सीपत
326	प्रा.शा.बम्हनिकला
327	उच्च प्रा.शा.नरगोडा
328	उच्च प्रा.शा.बालक सीपल
329	प्रा.शा.अवास मोहल्ला नरगोडा
330	हायर सेकेंडरी जोंजी
331	उच्च प्रा.शा.पोंडी
332	प्रा.शा.धनुहारपारा मचखण्डा
333	प्रा.शा.मटिया
334	उच्च प्रा.शा.चौहा
335	प्रा.शा.पाली
336	प्रा.शा.टिकरापारा सरसेनी
337	उच्च प्रा.शा.मटिया
338	प्रा.शा.दलदली
339	प्रा.शा.डोडकी
340	उच्च प्रा.शा.ईटवा
341	प्रा.शा.अकोला
342	उच्च प्रा.शा.टिकारी
343	उच्च प्रा.शा.परसदा वेद
344	प्रा.शा.चौहा
345	प्रा.शा.भाठापारा टिकारी
346	हाई स्कूल मटिया
347	प्रा.शा.बंधवापारा परसदा वेद
348	उच्च प्रा.शा.सरसेनी
349	प्रा.शा.पत्थरताल
350	प्रा.शा.ईटवा
351	हाई स्कूल ईटवा
352	प्रा.शा.जन.टिकारी
353	प्रा.शा.बालक परसदावेद
354	शाप्राशा मानिकपुर
355	शाप्राशा नयापारा ढेका

1	2
356	शाप्राशा ढेका
357	शाप्राशा लालखदान
358	शाप्राशा महमंद
359	शाप्राशा धुमा
360	शाप्राशा देवरीखुर्द
361	अजजा आश्रम शाला देवरीखुर्द
362	शाप्राशा बरखदान
363	शाप्राशा सफेदखदान
364	शाप्राशा बुटापारा
365	शाप्राशा दोमुहानी
366	शापूमाशा मानिकपुर
367	शापूमाशा ढेका
368	शापूमाशा महमंद
369	शापूमाशा धुमा
370	शापूमाशा देवरीखुर्द
371	शापूमाशा दोमुहानी
372	शाहाईस्कूल महमंद
373	शाहाईस्कूल धूमा
374	शाउमाशा देवरीखुर्द
	योग

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 2727) के भाग (ख) की जानकारी]

पदोन्नति की जानकारी

क्र.	जिला का नाम	सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक	उच्च वर्ग शिक्षक से प्रधान पठक पूर्व माध्यमिक
1	2	3	4
1	रायपुर	16.2.2017	05.12.2017
2	बलौदाबाजार	28/12/2017	13/06/2012
3	महासमुंद	29.6.2018	17.5.2012
4	धमतरी	16.9.2012	22.9.2012
5	गरियाबंद	02/06/2018	22/06/2018
6	दुर्ग	21.6.2018	13.5.2013
7	राजनांदगांव	04.9.2018	04.9.2018
8	बेमेतरा	16.2.2017	04.5.2012
9	बालोद	07.9.2015	12.2.2018
10	कबीरधाम	17.12.2018	13.8.2013
11	बिलासपुर/गौरैला पेण्ड्रा मरवाही	01.5.2010	29.8.2009
12	मुंगेली	15.4.2013	13.2.2012
13	सक्ती (शैक्षणिक जिला)	15.2.2018	19.10.2012
14	जांजगीर-चांपा	05.2.2019	19.10.2011
15	रायगढ़	06.2.2018	28.3.2018
16	कोरबा	04.9.2017	05.5.2018
17	अंबिकापुर	30.12.2013	31.8.2018
18	सूरजपुर	27.12.2017	04.7.2018
19	बलरामपुर	13.8.2018	13.8.2018
20	कोरिया	08.01.2018	11.7.2018
21	जशपुर	01.5.2013	13.2.2012
22	बस्तर	19.9.2017	15.12.2017
23	कांकेर	26.7.2014	29.9.2018
24	कोण्डागांव	26.3.2018	30.12.2017
25	दंतेवाड़ा	03.09.2011	06.8.2018
26	सुकमा	23.8.2018	29.9.2018
27	बीजापुर	04.8.2018	20.8.2018
28	नारायणपुर	21.9.2011	17.9.2012

1. संचालनालय स्तर से उच्च वर्ग शिक्षक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति तिथि – 14.01.2019
2. शासन स्तर से व्याख्याता से प्राचार्य पद पर पदोन्नति तिथि – 06.08.2018

क्र.	दि. रू.	शाला का नाम	शाला का स्तर	भवन की स्थिति (विहीन / जर्जर)	वर्तमान संचालन स्थल
1	2	3	4	5	6
27	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला गोडलवाही	माध्यमिक	जर्जर	सामुदायिक भवन
28	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला परंवाडीह	माध्यमिक	जर्जर	पंचायत भवन
29	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला उमरवाही	माध्यमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
30	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला संबलपुर	माध्यमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
31	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला लालूटोला	माध्यमिक	जर्जर	कला मंच
32	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला दानीटोला	माध्यमिक	जर्जर	कला मंच
33	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला खोराटोला	माध्यमिक	जर्जर	प्राथ. शाला अतिरिक्त कक्ष
34	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला बेलरगोंदी	माध्यमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
35	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला पैरीटोला	माध्यमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
36	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला तेलिनबांधा	माध्यमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
37	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला पिनकापार	माध्यमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
38	चौकी	प्रा.शा. सिगरायटोला	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
39	चौकी	प्रा.शा. मक्के	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
40	चौकी	प्रा.शा. मोहगांव	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
41	चौकी	प्रा.शा. मरारटोला	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
42	चौकी	प्रा.शा. खुर्सीपार	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
43	चौकी	प्रा.शा. दिखली	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
44	चौकी	प्रा.शा. केकतीटोला	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
45	चौकी	प्रा.शा. थैलीटोला	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
46	चौकी	बा.प्रा.शा. बांधाबाजार	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
47	चौकी	प्रा.शा. मांझीटोला	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
48	चौकी	प्रा.शा. कहाड़कसा	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
49	चौकी	प्रा.शा. सिरमुदा	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
50	चौकी	प्रा.शा. छछानपाहरी	प्राथमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
51	चौकी	शा.पूर्व मा.शाला बांधाबाजार	माध्यमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष
52	चौकी	शा.पूर्व मा.शाला बा. चौकी	माध्यमिक	जर्जर	अतिरिक्त कक्ष

परिशिष्ट "अट्टाईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 2808) के भाग (क) की जानकारी]

विकासखण्डवार एवं स्थानवार शालाओं की जानकारी

क्र.	वि.ख.	स्थान/विद्यालय का नाम	क्र.	वि.ख.	स्थान/विद्यालय का नाम
1	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. बम्हनीडीह	28	बम्हनीडीह	शा.हाई स्कूल लखुरी
2	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. अफरीद	29	बलौदा	शा.उ.मा.वि. सिवनी च
3	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. झरना	30	बलौदा	शा.उ.मा.वि. मडवा
4	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. बिरा	31	बलौदा	शा.उ.मा.वि. खिसोरा
5	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. सेमरिया	32	बलौदा	शा.उ.मा.वि. बिरगहनी च
6	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि.डी.डी.एस. बिरा	33	बलौदा	शा.उ.मा.वि. बुडगहन
7	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. देवरी	34	बलौदा	शा.उ.मा.वि. कमरीद
8	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. चोरिया	35	बलौदा	शा.उ.मा.वि. करमंदा
9	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. बालक चांपा	36	बलौदा	शा.उ.मा.वि. बसंतपुर
10	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. भोजपुर चांपा	37	बलौदा	शा.उ.मा.वि. कोसमंदा
11	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. बरपाली चांपा	38	बलौदा	शा.उ.मा.वि. पहरिया
12	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. कन्या चांपा	39	बलौदा	शा.उ.मा.वि. महुदा ब
13	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. कन्या बाराद्वार	40	बलौदा	शा.उ.मा.वि. कुरदा
14	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. बालक बाराद्वार	41	बलौदा	शा.क.उ.मा.वि. बलौदा
15	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. कन्या सारागांव	42	बलौदा	शा.बा.उ.मा.वि. बलौदा
16	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. बालक सारागांव	43	बलौदा	शा.उ.मा.वि. देवरी
17	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. कड़ारी	44	बलौदा	शा.उ.मा.वि. ढोरला
18	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. सिलादेही	45	बलौदा	शा.हाईस्कूल जर्वे
19	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. सरवानी	46	बलौदा	शा.हाईस्कूल खैजा
20	बम्हनीडीह	शा.उ.मा.वि. तालदेवरी	47	बलौदा	शा.हाईस्कूल करमा
21	बम्हनीडीह	शा.हाई स्कूल पोडीकला	48	बलौदा	शा.हाईस्कूल पिसौद
22	बम्हनीडीह	शा.हाई स्कूल सरहर	49	बलौदा	शा.हाईस्कूल बछौद
23	बम्हनीडीह	शा.हाई स्कूल बोरसी	50	बलौदा	शा.हाईस्कूल औराईकला
24	बम्हनीडीह	शा.हाई स्कूल करनौद	51	बलौदा	शा.हाईस्कूल लछनपुर
25	बम्हनीडीह	शा.हाई स्कूल भंवरेली	52	बलौदा	शा.हाईस्कूल जाटा
26	बम्हनीडीह	शा.हाई स्कूल पोडीशंकर	53	बलौदा	शा.हाईस्कूल पचगवां
27	बम्हनीडीह	शा.हाई स्कूल पुछेली	54	बलौदा	शा.हाईस्कूल रसौटा

क्र.	वि.ख.	स्थान/विद्यालय का नाम	क्र.	वि.ख.	स्थान/विद्यालय का नाम
55	मालखरौदा	शास.उमावि. मालखरौदा	92	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. मुड़पार चु
56	मालखरौदा	शास.उमावि. अड़भार	93	पामगढ़	शास.हाई स्कूल कोसा
57	मालखरौदा	शास.कन्या उमावि. अड़भार	94	पामगढ़	शास.हाई स्कूल जेवरा
58	मालखरौदा	शास.उमावि. मोहन्दीकला	95	पामगढ़	शास.हाई स्कूल बुदेला
59	मालखरौदा	शास.उमावि. बड़ेमुड़पार	96	पामगढ़	शास.हाई स्कूल भुईगांव
60	मालखरौदा	शास.उमावि. सारसकेला	97	पामगढ़	शास.हाई स्कूल रसौटा
61	मालखरौदा	शास.उमावि. बड़ेसीपत	98	पामगढ़	शास.हाई स्कूल मेंउ
62	मालखरौदा	शास.उमावि. बड़ेरबेली	99	पामगढ़	शास.हाई स्कूल मेंहंदी
63	मालखरौदा	शास.उमावि. बन्दोरा	100	पामगढ़	शास.हाई स्कूल चोरभट्टी
64	मालखरौदा	शास.उमावि. किरारी	101	पामगढ़	शास.हाई स्कूल भदरा
65	मालखरौदा	शास.उमावि. क.पोता	102	पामगढ़	शास.हाई स्कूल सिल्ली
66	मालखरौदा	शास.उमावि. पिरदा	103	पामगढ़	शास.हाई स्कूल बिलारी
67	मालखरौदा	शास.उमावि. फगुरम	104	पामगढ़	शास.हाई स्कूल खरखोद
68	मालखरौदा	शास.उमावि. चांटीपाली	105	पामगढ़	शास.हाई स्कूल खोखरी
69	मालखरौदा	शास.उमावि. सिंघरा	106	पामगढ़	शास.हाई स्कूल मुड़पार ब
70	मालखरौदा	शास.उमावि. सकर्रा	107	पामगढ़	शास.हाई स्कूल व्यासनगर
71	मालखरौदा	शास.हाई. मन्द्रागोढी	108	पामगढ़	शास.हाई स्कूल खोरसी
72	मालखरौदा	शास.हाई. ढिमानी	109	पामगढ़	शास.हाई स्कूल हिरी
73	मालखरौदा	शास.हाई. सुलौनी	110	सक्ती	आदर्श शास.उमावि. सक्ती
74	मालखरौदा	शास.हाई. खरी	111	सक्ती	शास.कन्या उमावि. सक्ती
75	मालखरौदा	शास.हाई. क.सिंघरा	112	सक्ती	शास.उमावि. सकरेलीकला
76	मालखरौदा	शास.हाई. खेमड़ा	113	सक्ती	शास.उमावि. रगजा
77	मालखरौदा	शास.हाई. देवगांव	114	सक्ती	शास.उमावि. मसनियाकला
78	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. महामाया पामगढ़	115	सक्ती	शास.उमावि. केरीबंधा
79	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. खरौद	116	सक्ती	शास.उमावि. लवसरा
80	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. ससहा	117	सक्ती	शास.उमावि. खैरा
81	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. कन्या पामगढ़	118	सक्ती	शास.उमावि. किरारी
82	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. कुटीघाट	119	सक्ती	शास.उमावि. नगरदा
83	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. भिलौनी	120	सक्ती	शास.उमावि. नन्दौरकला
84	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. तनौद	121	सक्ती	शास.उमावि. पोरथा
85	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. डोगाकहरौद	122	सक्ती	शास.उमावि. जाजंग
86	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. कोसीर	123	सक्ती	शास.उमावि. देवरी
87	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. बोरसी	124	सक्ती	शास.उमावि. जुड़गा
88	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. कोसला	125	सक्ती	शास.उमावि. बरपालीकला
89	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. जोगीडीपा	126	सक्ती	शास.उमावि. जर्वे
90	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. लोहर्सी	127	सक्ती	शास.हाई. कसेर पारा सक्ती
91	पामगढ़	शास.उ.मा.वि. भैसो	128	सक्ती	शास.हाई. स्टेशन पारा सक्ती

क्र.	वि.ख.	स्थान/विद्यालय का नाम	क्र.	वि.ख.	स्थान/विद्यालय का नाम
129	सक्ती	शास.हाई. सकरेली बा.	166	जैजैपुर	शास.उमावि. रेड
130	सक्ती	शास.हाई. डेरागढ़	167	जैजैपुर	शास.उमावि. चुरलेली
131	सक्ती	शास.हाई. परसदाखुर्द	168	जैजैपुर	शास.उमावि. गंठरा
132	सक्ती	शास.हाई. टेमर	169	जैजैपुर	शास.उमावि. कटकोनीखुर्द
133	सक्ती	शास.हाई. नवापाराखुर्द	170	जैजैपुर	शास.उमावि. गिरगिरा
134	सक्ती	शास.हाई. बस्ती बाराद्वार	171	जैजैपुर	शास.उमावि. रंधर
135	सक्ती	शास.हाई. पलाडीखुर्द	172	जैजैपुर	शास.उमावि. नन्दली
136	सक्ती	शास.हाई. धनपुर	173	जैजैपुर	शास.उमावि. कांसा
137	सक्ती	शास.हाई. जेठा	174	जैजैपुर	शास.बा.उमावि. जैजैपुर
138	डभरा	शास.उमावि. पिहरीद	175	जैजैपुर	शास.कन्या उमावि. जैजैपुर
139	डभरा	शास.उमावि. छपोरा	176	जैजैपुर	शास.उमावि. धिवरा
140	डभरा	शास.उमावि. कुरदा	177	जैजैपुर	शास.उमावि. किकिरदा
141	डभरा	शास.उमावि. सपिया	178	जैजैपुर	शास.उमावि. ठठारी
142	डभरा	शास.उमावि. नरियरा	179	जैजैपुर	शास.उमावि. भोथिया
143	डभरा	शास.उमावि. आडिल	180	जैजैपुर	शास.उमावि. खजुरानी
144	डभरा	शास.उमावि. आमनदुला	181	जैजैपुर	शास.उमावि. सेलनी
145	डभरा	शास.उमावि. चरौदा	182	जैजैपुर	शास.उमावि. कोटेतरा
146	डभरा	शास.उमावि. डभरा	183	जैजैपुर	शास.उमावि. रीवाडीह
147	डभरा	शास.उमावि. चन्द्रपुर	184	जैजैपुर	शास.उमावि. पेण्डी
148	डभरा	शास.उमावि.क. कोटमी	185	जैजैपुर	शास.उमावि. कुटराबोड़
149	डभरा	शास.उमावि. धुरकोट	186	जैजैपुर	शास.उमावि. बा.हसौद
150	डभरा	शास.उमावि. मड़वा	187	जैजैपुर	शास.उमावि. क.हसौद
151	डभरा	शास.उमावि. किरारी	188	जैजैपुर	शास.उमावि. आमापाली
152	डभरा	शास.उमावि. टुण्डी	189	जैजैपुर	शास.उमावि. नन्देली
153	डभरा	शास.कन्या हाई. चन्द्रपुर	190	जैजैपुर	शास.उमावि. गुचकुलिया
154	डभरा	शास.हाई. बालपुर	191	जैजैपुर	शास.उमावि. ओड़ेकेरा
155	डभरा	शास.हाई. साराडीह	192	जैजैपुर	शास.उमावि. कांशीगढ़
156	डभरा	शास.हाई. सिधीतराई	193	जैजैपुर	शास.उमावि. दतौद
157	डभरा	शास.हाई. खरकेना	194	जैजैपुर	शास.उमावि. अकलसरा
158	डभरा	शास.हाई. सिरियागढ़	195	जैजैपुर	शास.उमावि. परसाडीह
159	डभरा	शास.हाई. कंवली	196	जैजैपुर	शास.उमावि. कचंदा
160	डभरा	शास.हाई. फरसवानी	197	जैजैपुर	शास.उमावि. छितापड़रिया
161	जैजैपुर	शास.उमावि. पेण्डरूवाँ	198	जैजैपुर	शास.हाई. खम्हरिया
162	जैजैपुर	शास.उमावि. सकराली	199	जैजैपुर	शास.हाई. जमड़ी
163	जैजैपुर	शास.उमावि. कोटमी	200	जैजैपुर	शास.हाई. मल्दा
164	जैजैपुर	शास.उमावि. सपोस	201	जैजैपुर	शास.हाई. रायपुरा
165	जैजैपुर	शास.उमावि. देवरघटा	202	जैजैपुर	शास.हाई. कैथा

क्र.	वि. ख.	स्थान/विद्यालय का नाम	क्र.	वि. ख.	स्थान/विद्यालय का नाम
203	जैजैपुर	शास.हाई. सेन्दुरस	240	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. कुटर
204	जैजैपुर	शास.हाई. करही	241	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. धुरक
205	जैजैपुर	शास.हाई. मुक्ता	242	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. सेमर
206	जैजैपुर	शास.हाई. मुरलीडीह	243	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. अमोद
207	जैजैपुर	शास.हाई. आमगांव	244	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. अमोद
208	जैजैपुर	शास.हाई. भोधीडीह	245	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. सलखन
209	जैजैपुर	शास.हाई. देवरघटा	246	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. किरित
210	जैजैपुर	शास.हाई. बेलादूला	247	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. नवागढ़
211	जैजैपुर	शास.हाई. मलनी	248	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. केरा
212	जैजैपुर	शास.हाई. हरेटीकला	249	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. मिस्दा
213	जैजैपुर	शास.हाई. चिस्दा	250	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. शिवरीनारायण
214	जैजैपुर	शास.हाई. तुषार	251	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. तेन्दुभांठा
215	नवागढ़	शा.हाईस्कूल भांठापारा नैला	252	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. महंत
216	नवागढ़	शा.हाईस्कूल खोखसा	253	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. धाराशिव (रोगदा)
217	नवागढ़	शा.हाईस्कूल घुठिया	254	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. पिथमपुर
218	नवागढ़	शा.हाईस्कूल सुकली	255	अकलतरा	शा.उ.मा.वि.बा. अकलतरा
219	नवागढ़	शा.हाईस्कूल बुडेना	256	अकलतरा	शा.उ.मा.वि.क. अकलतरा
220	नवागढ़	शा.हाईस्कूल सिंउड	257	अकलतरा	शा.उ.मा.वि.बा. नरियरा
221	नवागढ़	शा.हाईस्कूल गौद	258	अकलतरा	शा.उ.मा.वि. अमोरा
222	नवागढ़	शा.हाईस्कूल रिगनी	259	अकलतरा	शा.उ.मा.वि. कापन
223	नवागढ़	शा.हाईस्कूल कुरियारी	260	अकलतरा	शा.उ.मा.वि. कटनई
224	नवागढ़	शा.हाईस्कूल कंचदा	261	अकलतरा	शा.उ.मा.वि. पोडीदल्हा
225	नवागढ़	शा.हाईस्कूल उदयभांठा	262	अकलतरा	शा.उ.मा.वि. सोनसरी
226	नवागढ़	शा.हाईस्कूल तुलसी	263	अकलतरा	शा.उ.मा.वि. किरारी
227	नवागढ़	शा.हाईस्कूल मुडपार (शि.ना.)	264	अकलतरा	शा.उ.मा.वि. हरदी
228	नवागढ़	शा.हाईस्कूल सिंघुल	265	अकलतरा	शा.उ.मा.वि. तागा
229	नवागढ़	शा.हाईस्कूल कटौद	266	अकलतरा	शा.उ.मा.वि. तिलई
230	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. सिवनी	267	अकलतरा	शा.हाई स्कूल कन्या नरियरा
231	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. सरखों	268	अकलतरा	शा.हाई स्कूल चंगोरी
232	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. बोडसरा	269	अकलतरा	शा.हाई स्कूल परसाहीबाना
233	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. बनारी	270	अकलतरा	शा.हाई स्कूल बरगवां
234	नवागढ़	शा.क.उ.मा.वि. जांजगीर	271	अकलतरा	शा.हाई स्कूल अकलतरा
235	नवागढ़	शा.बहु.उ.मा.वि. क्र.1जांजगीर	272	अकलतरा	शा.हाई स्कूल सांकर
236	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. क्र.2जांजगीर	273	अकलतरा	शा.हाई स्कूल पंचगवां
237	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. खोखरा	274	अकलतरा	शा.हाई स्कूल परसदा रेमण्ड
238	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. धाराशिव(खो)	275	अकलतरा	शा.हाई स्कूल पकरिया झूलन
239	नवागढ़	शा.उ.मा.वि. भडेसर	276	अकलतरा	शा.हाई स्कूल झलमला